हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

13 सितम्बर, 1983

खण्ड 2, अंक 2

अधिकृत विवरण

विशय सूची

मंगलवार, 13 सितम्बर, 1983

पृश्ठ संख्या

तारांकित प्र न सं0 433 पर अनुपूरक प्र न (पुनराम्भ)	(2)1
तारांकि प्र न एवं उतर	(2)2
नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्र नों के लिखित उत्तर	(2)21
अतारंकित प्र न एवं उत्तर	(2)23
विभिन्न विशयों पर उठाया जाना	(2)24
वैयक्ति स्पश्टीकरणः–	
(1) श्री मंगल सैन द्वारा	(2)36
(2) डा0 भीम सिंह दहिया द्वारा	(2)37
(3) चौधरी साहब सिंह सैनी द्वारा	(2)37
(4) श्री हीरा नंद आर्य द्वारा	(2)38
ध्यानाकर्शण सूचनाः–	
बाजरें के बीज की इंफीरियर क्वालिटी की सप्लाई	(2)38

संबंधी	
वर्श 1983–84 के सप्लीमैंटरी एस्टीमेट्स (पहली कि त) पर चर्चा तथा मतदान	(2)39
अध्यक्ष द्वारा घोशणाः–	
ध्यानाकर्शण सूचनाओं संबंधी	(2)69
दि हरियाणा सीलिंग आन लैंड होल्डिंग्ज (अमैंडमैंट) बिल, 1983	(2)69
बैठक का समय बढ़ाना	(2)75
दि हरियाणा पब्लिक प्रिमिसिज एंड लैंड (एविक ान एंड रैट रिकवरी) अमैंडमैंट बिल, 1983	(2)75
वैयक्ति स्पश्टीकरणः–	
(1) श्रीमती चंद्रावती द्वारा	(2)78
बैठक का समय बढ़ाना	(2)79
वैयक्ति स्पश्टीकरण (पुनराम्भ):–	
(2) पं0 रो ान लाल तिवाड़ी द्वारा	(2)80
दि हरियाणा पब्लिक प्रिमिसिज एंड लैंड (एविक ान एंड रिक्वरी) अमैंडमैंट बिल, 1983 (पुनराम्भ)	(2)81

हरियाणा विधान सभा

मंगलवार, 13 सितम्बर, 1983

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर–1, चन्डीगढ़ में प्रातः 9:30 बजे हुई। अध्यक्ष (सरदार तारा सिंह) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्र न सं0 433 पर अनुपूरक प्र न (पुनराम्भ)

Mr. Speaker: Hon'ble Members, Question Hour.

Now, further supplementaries on Starred Question* No. 433 regarding felling of trees, standing in the name of Shri Fateh Chand Vij, M.L.A. will be asked and thereafter the printed list of Starred Question for today, i.e. 13.9.1983 will be taken up.

श्री लछमन सिंहः स्पीकर साहब, जो 35240/– रू0 जुर्माना लिया गया क्या मंत्री महोदय उसकी रसदी नम्बर बताने की कृपा करेंगे?

राजस्व मंत्री (श्री लछमन दास अरोड़ा): स्पीकर साहब, रसीद नं0 तो इस समय मेरे पास नहीं है लेकिन इस संबंध में गीता सिंह जी की तरफ से जो पत्र आया है वह मैं आपको पढ़ कर सुनाता हूं।

''निवेदन है कि मैंने लाट नं0 1,80/81 बांसों का 1,59,500 रूपये में खरीदा था। मेरी उस लाट की आपके पास 15950 रूपये की प्रतिभूति पड़ी है। मेरे खिलाफ आपकी रायपुर रानी रेंज में कुछ डैमेज रिपोर्ट काटी हुई है। इसलिए कृपया उनका केवल मुआवजा इस प्रतिभूति से काट लिया जाए। आपकी अति कृपा होगी।''

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, एस0वाई0एल0 कैनाल के बारे में मेरा प्र न संख्या 393 भी कल आज के लिए पोस्टपोन हुआ था। उस पर भी सप्लीमैंटरी पूछने की इजाजत दी जाए।

श्री अध्यक्षः पोस्टपोन तो नहीं हुआ था।

श्री मंगल सैनः आपने कहा था कि कल टेक–अप कर लेंगे। आप रिकार्ड देख लीजिए।

श्री अध्यक्षः मेरी जुबान से ऐसी बात बिल्कुल नहीं निकली है।

श्री मंगल सैनः फिर सर, हाफ एन आवर डिसक ा ही ग्रांट कर दीजिए।

Mr. Speaker: If a proper notice is given, it will be examined.

तारांकित प्र न एवं उत्तर

Teachers working in the State

*407. Shri Kitab Singh: Will the Minister of State for Education be pleased to state whether the strength of teachers working in the Schools located in urban and rural areas in the State is in accordance with the prescribed teachers-students ration; if not, the reasons therefore?

Minister of State for Education (Shri Jagdish Nehra): Yes.

श्री ंबीरेंद्र सिंहः क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि वह रे ाों क्या है, टीचर्ज की कुल तादाद क्या है तथा स्टूडैंटस की कुल तादाद क्या है?

श्रीं ंजगदी ा नेहराः अध्यक्ष महोदय, प्राईमरी स्कूल में भाुरू में पचास लड़कों के पीछे एक टीचर होता है। एडी ानल पैंतालिस बच्चों के पीछे एक और टीचर होता है। हाई स्कूल और हायर सैकेंडरी स्कूल में कुल टीचर्ज 56,333 है।

श्री बीरेंद्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, ये मास्टर्ज की संख्या भी साथ बता रहे है जबकि मैं केवल टीचर्ज की संख्या जानना चाहता हूं।

श्री जगदी ा नेहराः अध्यक्ष महोदय, प्राईमरी स्कूलज में 14,823, मिडल स्कूल्ज में 9,601, हाई स्कूल में 28,129 और हायर सैकेंडरी स्कूल्ज में 3,781 टीचर्ज है।

श्री बीरेंद्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, इन्होंने स्टूडैंटस की संख्या नहीं बताई?

श्री मंगल सैनः अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अभी फरमाया कि टीचर्ज और स्टूडैंटस की प्रैसकाइब्ड रे ाों है। मैं आपके द्वारा इनसे जानना चाहूंगा कि क्या रे ाों के मुताबिक टीचर्ज है या टीचर्ज की कमी है।

श्री जगदी ा नेहराः इस साल टीचर्ज करीब करीब पूर है। पिछले साल कुछ कमी रही थी। इस साल हमने करीब 2000 सांइस और मैथेमैटिक्स टीचर्ज लगाए और 1680 जे0बी0टी0 टीचर्ज लगाए है। अभी भी कुछ कमी है। जहां तक और टीचर्ज लगाने का सवाल है, इस साल 65 हजार के करीब बच्चों को एनरोल करने का टारगेट है जिसके लिए प्लानिंग कमी ान ने करीब 1500 टीचर्ज की सैंक ान दे रखी है। ये टीचर्ज इस साल लागए जाने है। लगभग 550 सिंगल टीचर स्कूल को डबल टीचर्ज स्कूल्ज में कन्वर्ट किया गया है। इनमें भी जे0बी0टी0 टीचर्ज लगाए जाने है। 200 के करीब गर्लज हाई स्कूल खोले है। उनमें भी टीचर्ज लगने है। इस तरह से करीब 2250 जे0बी0टी0 टीचर्ज लगाने हैं। इसके अलावा 1200 के करीब एस0वी0 टीचर्ज लगने है। स्टूडैंटस टीचर्ज की रे ाों का आल इंडिया नौर्म 1:45 का है जबकि हरियाणा में इस साल लगभग 1:44 की रे ाो आएगी।

श्रीमती चंद्रावतीः क्या मंत्री जी के ध्यान में यह बात है कि जो अर्बन एरियाज के स्कूल्ज है वहां यह रे ाों ज्यादा है और जो रूरल एरियाज के स्कूल्ज है उनमें यह रे ाों कम है।

श्री जगदी ा नेहराः इस साल इसे रै ानेलाईज कर दिया गया है। अब अर्बन और रूरल रे ाों में कोई फर्क नहीं है। यह बात मैं मानता हूं कि पिछले साल इस बात की कुछ कमी रही, लेकिन इस साल कोई कमी नहीं है।

चौधरी कुलबीर सिंह मलिकः क्या मंत्री जी बताएंगे कि इन टीचर्ज और मास्टर्ज में से ऐडहोक कितने है और पर्मानैंट कितने है? जो टीचर्ज ऐडहोक बेसिज पर है और जिन्हें काम करते हुए 240 दिन हो चुक है क्या उनको रैगुलर किया जाएगा?

श्री जगदी ा नेहराः अध्यक्ष महोदय, यह सवाल स्टूडैंटस और टीचर्ज की रे ाों का है। इससे इस सप्लीमैंटरी का कोई संबंध नहीं। आगे एक और सवाल आ रहा है उसमसे जवाब दे दिया जाएगा।

श्री मनफूल सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इन सारे टीचर्ज में लेडीज कितनी है और जैंटस कितने है?

श्री अध्यक्षः यह कोई प्र न नहीं है।

श्री राम बिलास भार्माः अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या देहात और भाहर में स्टूडैंटस और टीचर्ज की रे ाों अलग अलग है? साथ ही मैं यह भी जानना चाहता हूं कि गांवों में अध्यापकों के कितने स्थान खाली है और भाहरों में कितने स्थान खाली है?

श्री जगदी ा नेहराः अध्यक्ष महोदय, गांवों में और भाहरों में इस साल करीब करीब कोई भी स्थान खाली नहीं रहने देंगे। जहां स्थान खाली है वहां ऐडहोक टीचर्ज लगाए जा रहे है। जहां तक रे ाों का संबंध है, इसमें गांव और भाहर में कोई फर्क नहीं है। सारे हरियाणा के लिए एक ही काईटेरिया है।

श्री नेकी रामः क्या मंत्री जी बताएंगे कि रिजर्व कोटा पूरा है या कम है?

श्री जगदी ा नेहराः रिजर्व कोटा पूरा है।

श्री भले रामः अध्यक्ष महोदय, जे0बी0टी0 टीचर्ज की तो सिलैक ान हो गई है। क्या मंत्री जी बताएंगे कि लैंगवेज टीचर्ज और ड्राईंग टीचर्ज आदि की कब तक सिलैक ान हो जाएगी?

श्री जगदी ा नेहराः अध्यक्ष महोदय, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि लैंग्वेज टीचर्ज, ड्राईंग टीचर्ज और पी0टी0आई0 आदि की जो कमी है उसे जल्दी ही पूरा कर दिया जाएगा।

मास्टर ि ाव प्रसादः अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री जी ने बताया कि कई जगह इन्होंने ऐडहाक बेसिज पर अध्यापक रखें हैं। मैं आपके द्वारा इनसे यह जानना चाहूंगा कि जे0बी0टी0 टीचर्ज को एक जिले से दूसरे जिले में भेजना क्या ि ाक्षा की दृश्टि से उचित रहेगा जबकि उसी जिले में ही स्थान रिक्त हों और उनके कैडर के लिए जिले को ही जुरिसडिक ान माना गया हो?

श्री अध्यक्षः ट्रांसफर पालिसी के अनुसार ऐसा हुआ होगा।

मास्टर ि ाव प्रसादः स्पीकर साहब, ट्रांसफर होनी नहीं चाहिए जबकि उसी जिले में जगहें खाली है।

श्री अध्यक्षः यह सवाल स्टूडैंटस टीचर्ज की रे ाों का है, ट्रांसफर का नहीं।

मास्टर ि ाव प्रसादः स्पीकर साहब, इन्होंने जे0बी0टी0 टीचर्ज को एक जिले से बदल कर दूसरे जिले में लगा दिया है।

श्री जगदी ा नेहराः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की यह बात ठीक हे कि जे0बी0टी0 टीचर्ज का डिस्ट्रिक्ट कैडर है लेकिन जब कठिनाई होती है तो उनकी कंसैंट लेकर के उन्हें दूसरे जिलें में भी भेज दिया जाता है। सोनीपत और रोहतक जिलों में जे0बी0टी0 टीजर्च बहुत ज्यादा है। रै ानेलाइजे ान में करीब 117 टीचर्ज को सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से बाहर भेजा गया है।

श्री निहाल सिंहः क्या ि ाक्षा मंत्री महोदय बताने का कश्ट करेंगे कि साईंस और मैथ मास्टर्ज की कुल कितनी वैकेंसीज है? दूसरे आज प्राइमरी एजुके ान का स्टैंडर्ड गिरता जा रहा है क्या इस स्टैंडर्ड को ऊंचा करने के लिए स्टूडैंटस–टीचर रे ाों को रिवाइज करेंगे तथा प्राइमरी स्कूलों में एस.एस., साईंस और मैथ मास्टर्ज लगाएंगे?

श्री जगदी ा नेहराः जहां तक साईंस और मैथ मास्टर्ज की वैकेंसीज का संबंध है अभी कुछ दिनों पहले हमने दो हजार मास्टर्ज लगा कर कमी पूरी कर ली थी लेकिन अब भी जहां पर कमी है वहां पर ऐडहोक मास्टर्ज लगा रहे है। दूसरे प्राइमरी स्कूलों में साईंस और मैथ मास्टर्ज नहीं होते है और न ही वहां एस0एस0 मास्टर्ज होते है।

श्री निहाल सिंहः मैंने आपसे यह भी पूछा है कि क्या प्राइमररी स्कूलों का स्टैंडर्ड ऊंचा करने के लिए जो आपने रे ाों फिक्स की है उसे रिवाइज करने का भी विचार है?

श्री अध्यक्षः जो जवाब वे दे सकते थे, वह दे दिया है। आप बैठिए।

श्री किताब सिंहः स्पीकर साहब, भाहरों में टीचर्ज और स्टूडैंटस की रे ाों क्या है। ग्रामीण क्षेत्रों में अध्यापक और स्टूडैंटस की रे ाों नही है। मंत्री महोदय ने संतोशजनक उत्तर नहीं दिया है। क्या मंत्री महोदय आंकड़ें दे कर बतायेंगे कि भाहरों में क्या रे ाों है और गांवों में क्या रे ाों है?

श्री जगदी ा नेहराः स्पीकर साहब, अभी मैंने कहा था कि सारे हरियाणा में टीचर्ज की ऐ जैसी रे ाों है। जो रे ाों मैंने बतायी है उसे ये मिस–कैलकुलेट कर रहे हैं। मैंने प्राइमरी स्कूलों में एक और 45 की रे ाों बतायी है। एक टीचर के नीचे 45 बच्चे आते है। पहले पचास स्टूडेंटस के ऊपर एक टीचर होगा, अगर

उससे ज्यादा बढ़ जायें तो एक और 45 की रे ाों होगी। जहां तक मिडल और हाई स्कूल का संबंध है वहां पर स्टूडेंटस के हिसाब से टीचर्ज नहीं रखे जाते है। वहां पर सब्जैक्ट के हिसाब से टीचर्ज रखे जाते है।

Plantation of Trees

*432. Shri Jogi Ram: Will the Minister of States for Technical Education be pleased to state-

(a) the targets, if any, fixed for planting trees in the State during the year 1982-83;

(b) the total number of trees planted upto the day Haryana Forest Development Board started functioning together with the total Budget spent on the said account; and

(c) the number of trees planted subsequently till 31st March, 1983 and the total expenditure incurred thereon?

Minister of State for Revenue (Shri Lalchhman Dass Arora):

(a) 850 lacs plants.

(b) 476 lacs trees and Rs. 410 lacs were spent thereon.

(c) 374 lacs trees and an expenditure of Rs. 443.78 lacs incurred thereon.

श्री लछमन सिंहः स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने बताया है कि साढ़े आठ करोड़ दरखत लगाये है और उनका खर्च भी

साथ ही दिया है। इन में से 6 करोड़ तो जनता ने लगाये है और अढ़ाई करोड़ गवर्नमैंट ने लगाये है। क्या मंत्री महोदय बताने का कश्ट करेंगे कि जिन लोगों ने अपने पैसे से और अपनी मेहनत से पेड़ लगाये है; उनकी सरकार मदद करने के लिए तैयार है; अगर है, तो क्या मदद देगी?

श्री लछमन दास अरोड़ाः हमने आम लोगों को बहुत कम रेट पर नरसरी से पौधे दिये हैं। अगर उन्हें किसी कैमिकल की आव यकता होती है तो वह भी देते है।

श्री लछमन सिंहः क्या आपने उन्हें टैक्नीकल मदद भी दी है?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): जी हां, दी है।

श्री देवी दासः स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने बताया है कि सन् 1982–83 में 850 लाख पेड़ लगाये है। मंत्री जी ने यह भी बताया है कि 476 लाख पौधें लगाने पर तो 410 लाख रूपये खर्च हुए और 374 लाख पौधें लगाने पर 44.78 लाख रूपये खर्च हुए। क्या कारण है कि 476 लाख पौधों पर 410 लाख रूपया खर्च होता है और 374 लाख पौधों पर 443.78 लाख रूपया खर्च होता है? पौधे कम लगे है और खर्च ज्यादा हुआ है।

श्री लछमन दास अरोड़ाः मेरे साथी सदस्य ने ठीक बात कही है। 476 लाख पौधों पर 410 लाख रूपये खर्च हुए है और 374 लाख पौधों पर 443.78 लाख रूपये खर्च हुए है। खर्च भी

ज्यादा हुआ है और पौधे भी कम लगे है। इसका कारण यह है कि इसमें नरसरी का भी खर्च है और दूसरी जो इनस्टालमेंट है वह भी इसमें डाल दी जाती हैं। दूसरे जुलाई महीने में जो फारमिंग होती है या सामान आता है उसकी पेमेंट भी बाद में की जाती है इसलिए यह खर्च ज्यादा लगता है।

श्रीमती चंद्रावतीः अभी भाई लछमन सिंह जी ने बताया है कि अढ़ाई करोड़ पेड़ सरकार ने लगाये है और 6 करोड़ जनता ने लगाये है। जो सरकार ने अढ़ाई करोड़ पेड़ लगायें है उन पर आठ करोड़ रूपया खर्च किया है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहती हूं कि इस आठ करोड़ रूपये का ब्रेक–अप क्या है।? यहां पर पैसे का बहुत बड़ा घपला है, सारा पैसा ठीक जगह पर खर्च नहीं हुआ। क्या इतना रूपया एक साल में खर्च होता है? झूठी हाजरियां लगा कर पैसे को जेब में डालते है। दस लेबर लगाते है तो पचास की हाजरी लगाते है। लेबर भी हरियाणा की नहीं लगाते। लेबर यू0पी0 और राजस्थान की लगाते है। डी.एफ.औ. और रेंजर कितनी ही झूठी हाजरी लगाते हैं। सरकार इस बारे में इंक्वायरी कराये तब सही स्थिति का पता लगेगा।

श्री लछमन दास अरोड़ाः स्पीकर साहब, जहां तक इस बात का संबंध है कि 6 करोड़ पेड़ जनता ने लगायें है और अढ़ाई करोड़ सरकार ने लगाये है, मैं माननीय बहिन जी को बताना चाहूंगा कि बोर्ड की तरफ से ही पब्लिक को पौधे दिये गए है।

चार आने का एक प्लांट दिया जाता है जबकि हमारा एक प्लांट पर एक रूपया खर्च आत है।

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, हमारा यह हाउस प्रिविलेज है कि कोई स्टार्ड क्वै चन दे कर आनरेबल मिनिस्टर से जवाब लें लेकिन जिस फाइल से वे जवाब देते है वह तो उनके पास होती है, हमारे पास नहीं हैं। हम तो सिम्पल सवाल ही पूछ सकते है। इन्होंने इस सवाल के 'बी' पार्ट के जवाब में बातया है कि दरखत ज्यादा लगाये है और पैसा कम लगाया है लेकिन 'सी' पार्ट के जवाब में बताया है कि दरखत कम लगे है और पैसा ज्यादा लगा हैं। इसका मतलब यह हुआ कि ये कमी ान लेने में फेल हो गये और कोई उक–चूक हो गई। हम इनकी नियत पर कोई भाक नहीं करते क्योंकि सारा हरियाणा जानता है कि ये दूध के धोये हुए है और राख के मंजे हुए है.....

श्री लछमन दास अरोड़ाः डाक्टर साहब ने हेरफेर करके बात को वहीं का वहीं लाना है। इन्होंने तो सरकार पर कीचड़ उछालने की कोि ा ा करनी है। मैं इस सवाल का पहले ही जवाब दे चुका हूं। जो रूपया ज्यादा लगा है उसका कारण है कि जो पहले की लायबिलिटी थी उसकी पेमेंट बाद में की गई है, वह रूपया भाामिल होने से ज्यादा खर्च हुआ लगता है।

श्री हीरा नंद आर्यः जैसा कि मिनिस्टर साहब ने बताया है कि पौधे कम लगे है और पैसा ज्यादा खर्च हुआ। क्या इसका

कारण यह तो नहीं है कि फोरेस्ट बोर्ड बनने से खर्च ज्यादा बढ़ गया हो?

श्री लछमन दास अरोड़ाः माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है वह बिल्कुल गलत कहा है। ऐसी कोई बात नहीं है।

श्रीमती बसंती देवीः जब जमींदार नरसरी से पेड़ लेने के लिए जाता है तो उसे एक रूपये का पेड़ दिया जाता है जब कि कीमत चार आने है। इसका कारण क्या है?

श्री लछमन दास अरोड़ाः यह बिल्कुल गलत बात है। अगर कोई केस आपके नोटिस में है तो आप कम्पलेंट कराइये, जिसका भी फाल्ट होगा उस सजा देंगे।

चौधरी बलबीर सिंह ग्रेवालः स्पीकर साहब, मिनिस्टर साहब ने यह बताया है कि इन्होंने तकरीबन साढ़े आठ करोड़ दरखत साढ़े आठ करोड़ रूपया खर्च करके लगाये है। मैं इनसे यह जानना चाहता हूं कि इनमें से कितने दरखत इस वक्त इन–एग्जिसिसटैस है?

श्री कंवल सिंहः स्पीकर साहब, अभी मंत्री जी ने अपना जवाब देते समय यह कहा था कि कुछ रकम पहले की लायबिलिटी थी जो बाद में एडजस्ट की गयी है। मैं इनसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या सारी पिछली रकम एडजस्ट कर ली गयी है या अभी कुछ रकम रहती है जिसे अगले साल ऐड करेंगे?

श्री लछमन दास अरोड़ाः यह लेन–देन तो चलता ही रहता है। (हंसी) सर, प्लांटे ान जैसे होती रहेगी, यह काम तो होता ही रहेगा। (व्यवधान व भाोर) बकाया बिलों की पेमेंट तो होती रहेगी। (व्यवधान व भाोर)

चौधरी रो ान लाल आर्यः स्पीकर साहब, वन विकास बोर्ड ने यह जो खर्च किया है, इसका आडिट कौन करेगा क्योंकि जहां तक मुझे पता लगा है, ए0 जी0 हरियाणा ने इसका आडिट करने से इंकार कर दयिा है और जहां तक इस बोर्ड को पैसा देने का सवाल है, वह सारा अवैध तरीके से दिया गया है। आपको तो पता ही है कि सरकार अपना पैसा एक महकमें से दूसरे महकमें को तबदील तो कर सकती है लेकिन किसी आटोनोमस बौडी को नहीं तबदील कर सकती। कहने का मतलब यह है कि जो पैसा किसी महकमे के लिये विधान सभा ने पास किया है, उसको सरकार किसी बोर्ड को या आटोनौमस बौडी को नहीं दे सकती। क्या मंत्री महोदय यह बातयेंगे कि बोर्ड को जो पैसा दिया गया, यह अवैध तरीके से नहीं दिया गया?

श्री लछमन दास अरोड़ाः सर, हमने तो कोई अवैध पैसा नहीं दिया है। जहां तक ए0जी0 के इंकार का सवाल है, यह बात हमारी नौलेज में तो नहीं है।

Budget at Village Bakheta

*446. Shri Hari Chand Hooda: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state whether it is a fact

that the bridge ona drain at village Bakheta in District Rohtak is lying incomplete for the last five years; if so, the reasons therefor togetherwith the time by which the said bridge is likely to be completed?

Irrigation & Power Minister(Chaudhri Shamsher Singh Surjewala): Yes. The construction of sumbersible bridge at RD 138300 opposite village Bakheta of Distt. Rohtak was taken up in 1977 and piers & a butments were completed and when the slab was to be laid, the iuhabitants of the area demanded a high level bridge insteda. Further work on the submersible bridge was stopped and proposals for high level bridge were taken up. In the meantime, according to the master Plan of 1978, the capacity of Diversion Drain No. 8 was required to be almost doubled which changed the bed width, depth and, therefore, completely changed the parameters of the high level bridge. Now the high level bride will be constructed alongwith the remodelling of Diversion Drain No. 8 but being a major work, will take minimum two working seasons.

श्री हरि चंद हुड्डाः स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने अपने जवाब में यह फरमाया है कि इन दी मीन टाईन, 1978 की मास्टर प्लान के मुताबिक डाइव र्न ड्रेन नं08 की कैपेसिटी डबल करनी जरूरी थी। आज 1983 आ गया हैं। मैं टोटली और बखेता ब्रिज के बारे में पिछले चार साल से पोजी न पूछ रहा हूं। अपने जवाब में इन्होंने लास्ट में यह कह दिया है कि इस ब्रिज को कम्पलीट करने में कम से कम दो वर्किंग सीजन्ज लगेंगे। हर जगह चौधरी भाम ेर सिंह सुरजेवाला और चौधरी भजनलाल ने

यह कमिट किया है कि हम विद इन टू मंथ बना देंगे। पिछली दफा तो मंत्री महोदय ने यह कहा था कि टटौली ब्रिज पर सामान अभी पहुंच जायेगा लेकिन वह आज तक भी नहीं पहुंचा। इनकी तो वह बात है कि वह वायदा ही क्या जो पूरा हो जाये। स्पीकर साहब, अब की बार अगर आप कुछ वायदा करके मुझे यकीन दिलाओ तो आपकी बात मैं मान सकता हूं। क्या यह इन दोनों ब्रिज के बारे में कोई टाईम फिक्स करेंगे कि इनको इतने समय के अंदर अंदर हम कम्पलीट कर देंगे?

चौधरी भाम ेर सिंह सुरजेवालाः स्पीकर साहब, टटौली ब्रिज के बारे में तो मेरे लायक दोस्त सवाल करना ही भूल गये। उसके बारे में मेरे पास इस समय कोई इंफर्मे ान नहीं है। जहां तक बखेता के बारे में इन्होंने यह कहा कि मैंने या मुख्य मंत्री जी ने कोई वायदा किया था, मैं यह कहना चाहता हूं कि हमने कोई वायदा नहीं किया कि इसको दो महीनेके अंदर पूरा कर देंगे। अध्यक्ष महोदय मैं इसी फलड के दौरान स्वयं बखेता गांव में गया था, मैंने वहां पर जाकर मौके पर सब कुछ देखा। मैंने लोगों की बातें भी सुनी। जहां तक ब्रिज का कार्य को पूरा करने का ताल्लुक है डाइव र्न ड्रेन की पहले जो क्षमता 3200 क्यूसिक्स थी, अब उसको बढ़ाकर हम 5600 क्यूसिक्स कर रहे है। जब हम ड्रेन को चौड़ा करेंगे तो पुल भी चौड़ा बनेगा। मैं उनको यह बताना चाहता हूं कि हम 1985 तक यह पुल बनाकर तैयार कर देंगें।

श्री हरि चंद हुड्डाः स्पीकर साहब, जब सुरजेवाला साहब वहां पर गये तो मैं भी वहां पर मौजूद था। स्पकीर साहब, यह आज से लगभग 5–6 साल पहले की मास्टर प्लान में स्कीम थी, लेकिन अभी तक भी कम्पलीट नहीं की गयी है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि अब तक वह ब्रिज कम्पलीट क्यों नहीं किया गया है?

श्री अध्यक्षः आपका जवाब आ गया है।

श्रीमती चंद्रावतीः क्या मंत्री महोदय यह बताने का कश्ट करेंगे कि इस ड्रेन को न चौड़ा करने और इस पुल को न बनाने की वजह से हरियाणा के इस इलाके के लोगों को इतनी कठिनाइयां हुई है कि वे आज 2–3 फुट पानी में रह रहे है। क्या यह तथ्य ठीक नहीं है?

चौधरी भाम ेर सिंह सुरजेवालाः स्पीकर साहब, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं आनरेबल लीडर आफ दि अपोजी ान को यह बताना चाहता हूं कि डाइव र्ान ड्रेन नं0 8 की क्षमता 0 से लेकर 70 आर0 डी0 तक 4,000 क्यूसिक्स से बढ़ा कर 7,000 क्यूसिक्स कर दी गई है। इस फलड के दौरान इस डाइव र्ान ड्रेन ने 6,000 से लेकर 7,000 क्यूसिक तक फ्लड वाटर लिया है और इस इलाके के लोगों को इससे काफी रिलीफ मिला है। अगर इसकी रीमौडलिंग न हुई होती तो गोहाना और रोहतक के इलाकों में इससे कहीं ज्यादा पानी आना था।

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, मेरे लायक दोस्त हुड्डा साहब ने बड़ा ही वाजिब सवाल पूछा था। यह सवाल वाकई अवाम की तमकलीफ को दूर करने के लिये था। मंत्री महोदय ने जवाब में फरमाया है कि सबमरसीबल पुल इसलिये नही बन पाया क्योंकि ड्रेन नं0 8 की रीमौडलिंग होनी थी। अब उन्होंने यह फरमाया है कि 1985 तक इसे पूरा करेंगे। मैं आपके द्वारा यह पूछना चाहता हूं कि इस साल की भारी वर्शा और बाढ़ के कारण जो इस ड्रेन नं08 की हालत है, इसको देखते हुए क्या इसको रीमौडलिंग करके और ज्यादा चौड़ा करने पर विचार कर रहे है, यदि हां तो कब तक इस काम को पूरा कर देंगे। (व्यवधान व भाोर)

श्री अध्यक्षः आपकी बात का जवाब तो आ गया है।

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, डा0 मंगल सैन ने फरमाया है कि **(10.00बजे)** इस काम में इतना अर्सा क्यों लगा है। अध्यक्ष महोदय, सबमरसीबल ब्रिज तो पहले ही बन रहा था लेकिन जब सबमरसीबल ब्रिज पर स्लैब डालने लगे तो गांव के लोगों ने कहा कि हमें इस पुल की जरूरत नहीं, हमें तो ऊंचा ब्रिज चाहिए। जब ऊंचे ब्रिज बनाने की प्लान बन कर आई तो उस समय डाइव र्न ड्रेन नं08 की रिमौडलिंग की प्लान बनकर आ गई। रिमौडलिंग स्कीम के तहत ड्रेन की क्षमता बढ़ाने की योजना है। मतलब यह है कि डाइव र्न ड्रेन नं0 8 की

रिमौडलिंग स्कीम के तहत उसकी क्षता दुगनी करने की तजवीज है और इसको जल्दी कर देंगे।

श्री हरिचंद हुड्डाः क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि अगर डाइव र्न ड्रेन नं0 8 की क्षमता बढांएगे तो क्या उसके मुताबिक पुल भी बनाएंगे?

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः रिमौडलिंग प्रोजैक्ट में पुल की क्षमता बढ़ाना भी भाामिल होता है।

श्री बीरेंद्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने बताया है कि रीच 0 से 70 आर0डी0 तक ड्रेन की रिमौडलिंग कर दी गई है और कैपेसिटी चार हजार क्यूसिक्स से सात हजार क्यूसिक्स कर दी गई है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि यह रिमौडलिंग किस साल में हुई और 70 से आगे उस ड्रेन की रिमौडलिंग क्यों रूक गई और यह काम कब भाुरू हुआ था?

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः डाइव र्न ड्रेन की रिमौडलिंग 0 से 70 आर0डी0 का काम 1979 में भाुरू होकर 1982–83 तक चला और बाकी की रिमौडलिंग अगले दो वर्श में पूरी कर दी जायेगी।

श्री निहाल सिंहः सबमरीबल पुल का काम बीच ही में छोड़ दिया गया और वहां पर मैटिरियल पड़ा हुआ है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जो मैटिरियल वहां पर लगा और जा वहां पड़ा हुआ है वह वेस्ट हो गया या दुबारा काम में आ

जाएगा? क्या मंत्री महोदय यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उस पर कितना रूपया खर्च हुआ है और आगे कितना खर्च आएगा?

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः सबमरसीबल पुल पचास हजार रूपया खर्च हो चुका है और पूरा ब्रिज बनाने में चार लाख रूपया खर्च आएगा। अध्यक्ष महोदय, इस बारे में विचार किया जा रहा है कि सबमरसीबल पुल का जो पोर ान है वह बड़ा ब्रिज बनाने के लिए इस्तेमाल हो सकता है या नहीं। टेक्नीकली यह बात अंडर ऐग्जामिने ान है।

श्री भले रामः अध्यक्ष महोदय, ड्रेन नं0 8 हमारे एरिया में पानी वापिस फैंकती है और गोहाना सब–डिविजन में गांव बड़ौदा सब से ज्यादा अफैक्टिड विलेज हैं दो गांवों में पानी भरा हुआ है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या ड्रेन नं0 8 कैपेसिटी बढ़ा देने से हमारे एरिया में जो दो ड्रेंज है उनका पानी वह ले लेगी या नहीं?

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, ड्रेन नं0 8 और डाईव र्ान ड्रेन नं0 8 अलग अलग है। ड्रेन नं0 8 में छापरा ड्रेन और खेड़ी ईसादपुर दो ड्रेन आकर मिलती है। ड्रेन नं0 8 इन दोनों ड्रेंज का पानी एक साथ नहीं ले सकी क्योंकि इस वर्श ड्रेन नं0 8 का लैवल उन ड्रेंज से ऊंचा रहा जिसकी वजह से यह ड्रेन पानी पीछे फैंकती रही । जब ड्रेन नं0 8 का लैवल फाल करेगा तो वह अपनी सबसिडियरी ड्रेंज का पानी ले

सकती है इसका डिजाइन इस तरह का है। कुदरती इस वर्श लगातार बारि ा होती रही इसलिए ड्रेन नं0 8 सबसिडियरी ड्रेंज का पानी नहीं ले सकी। जब ड्रेन का लैवल नीचे चला जाएगा तो वह पानी लेना भुरू कर देगी।

New Road from Bahadurgarh nahra-Narhi

***452. Chaudhri Manga Ram:** Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) whether any new road from Bahadurgarh nahra-Nahri is proposed to be constructed;

(b) if so, the time by which the said road is likely to be completed; and

(c) in case thework for the construction of the saidroad is already in progress, the date of start of work in respect thereof?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल):

(क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग)रू यह प्र न नहीं उठते।

चौधरी मांगे राम: अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के में किडोली, प्रहलादपुर आदि कई ऐसे गांव है जो पक्की सड़क से नहीं मिले हुए है। पिछली दफा चोधरी मेहर सिंह के टाईम में वहां पर रोड़ी डाली गई, तारकोल के ड्रम भेजे गए, सड़क पर मिट्टी भी

डाल दी गई लेकिन इस सरकार ने वहां से सब चीजें उठवा लीं। क्या मुख्यं मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगें कि इन गांवों को सड़क से कब तक जोड़ दिया जाएगा?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि इनके हलके में 41 गांव है और कोई भी ऐसा नहीं जो पक्की सड़क से न जुड़ा हुआ हो। डबल सड़क काकाम भी इनके हल्के में 39 किलोमीटर पर चल रहा है। और बाकी सब गांव पक्की सड़क से जुड़े हुए है।

चौधरी मांगे रामः अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि अगर इन गांवों में सड़क हो तो मैं अस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। (ाोर व व्यवधान)

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, पता नहीं ये सिंगल रोड़ज की बात कर रहे है या डबल रोड़ज की बात कर रहे है। अध्यक्ष महोंदय, सिवाए खादर के इलाके के, या जो बहुत छोटे गांव है या रैवेन्यू रिकार्ड में जिनके नाम नहीं है या मैदानी इलाकों में जिन गांवों की आबादी 250 से कम है और पहाड़ी इलाकें में जिनकी आबादी 150 से कम है इनको छोड़कर हरियाणा में कोई ऐसा गांव नहीं है जो पक्की सड़क से न मिला हो। (ाोर व व्यवधान)

चौधरी धीर पाल सिंहः मेरे हल्के में नगर पुर तथा और कई गांव है जहां पर पक्की सड़क नहीं है। मुख्य मंत्री जी तो

हिसार से आगे जाते ही नहीं है इनको हरियाणा का क्या पता है? (ाोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः आप बैठिए।

श्री लछमन सिंह कम्बोजः अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि हरियाणा में कोई गांव ऐसा नहीं है जो सड़क से न जुड़ा हुआ हो। मेरे हलके के अंदर बहुत से ऐसे गांव है जहां पर कोई सड़क नहीं हैं। (ाोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः आप बैठ जाइये। (ाोर एवं व्यवधान)

चौधरी धीर पाल सिंहः मुख्य मंत्री जी तो हिसार से आगे जाते ही नहीं है। बहुत से गांवा ऐसे है जहां पर सड़कें नही है।

श्री अध्यक्षः चौधरी धीरपाल सिंह, मैं कल से आपका कंडक्ट देख रहा हूं कि आप बगैर मेरी इजाजत के बोलना भाुरू कर देते है आपको ऐसा नही करना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि मुझे मजबूर होकर आपके खिलाफ एक ान लेना पड़ें।

Chaudhri Dhirpal Singh: Sorry Sir.

चौधरी कुलबीर सिंह मलिकः मेरे हल्के जुलाना में भी बहुत से गांव ऐसे है। (ाोर)

श्री अध्यक्षः यह सवाल जुलाना के बारे में नहीं है यह तो बहादुरगढ़ के बारे में है, इसलिए आप बैठ जाएं।

श्री हीरा नंद आर्यः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री मांगे राम जी ने कहा है कि बहादुरगढ़ नाहरा–नाहरी सड़क की कंस्ट्रक ान पहले भाुरू हुई थी लेकिन बाद में उसे रोक दिया गया। मुख्य मंत्री महोदय ने इन्हें चैलेंज किया। कृपया वे इसका जवाब दें कि जो कुछ माननीस सदस्य ने कहा है, यह हकीकत है या नहीं? वे इस बारे में पोजी ान क्लीयर कर दें।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय मुझे अफसोस है कि माननीय सदस्य श्री मांगे राम जी के सवाल को नहीं समझें। जहां तक नाहरा नहरी सड़क की बात है, मैं उनको बताना चाहता हूं कि यह पक्की सड़क है और तीन हल्कों को यह कवर करती हैं । यह पक्की सड़क दिल्ली के बार्डर के साथ साथ जाती है।

श्री अध्यक्षः अगर कोई ऐसी बात है और मांगे राम जी को इस बारे में कुछ ंजानकारी प्राप्त करनी है तो वह मुझे मेरे चैम्बर में मिल लें, मैं सारी तसल्ली करवा दूंगा।

डा0 मंगल सैनः स्पीकर साहब, आप बुजुर्ग है। हमारे इस हाउस के आनरेबल अध्यक्ष है। मैं आप से यह जानकारी चाहता हूं कि अगर इन्होंने हाउस को गलत सूचना दी हो तो आप क्या इन पर एक ान लेंगे?

श्री अध्यक्षः डाक्टर साहब, मेरी अर्ज है कि आप इस हाउस के सीनियर मैम्बर हैं । आपको पता है कि अगर कोई मिनिस्टर या लीडर आफ दी हाउस गलत जवाब देता है तो उसके

कंसीक्वैनसिज तो अपने आप ही बन जाएंगे। यह जरूरी नहीं कि इस बारे में मैं कहूं या आप कहेंगे।

डा0 मंगल सैनः ठीक है जी।

चौधरी सुरेंद्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, जब मुख्य मंत्री महोदय ने यह कह दिया है कि जिस गांव की आबादी 250 से ज्यादा होगी, वहां पर पक्की सड़कें होगी तो फिर इनकी क्यों नहीं तसल्ली हो रही है? (हंसी)

Purchase of Forest in Panchkula Range

***431. Shri Devi Dass:** Will the Minister of State for Technical Education be pleased to state-

(a) whether it isa fact that certain forest in Panchkula range was sold in the recent past for a sum amounting to about Rs. 44 lakh; if so, the name of the contractor who purchased the said forest together with the details of the amount actually paid by the said contractor with the dates of payment thereof;

(b) the dates on which the wood was actually removed by the said contractor;

(c) whether Khair or any kind of trees were uprooted by the contractor which were not permissible under rules; if so, the details of such trees; and

(d) whether the removal of the wood was permitted by the Department under undue pressure of any authority/influential person or under the order of the

Government without safe-guarding the interest of the Department?

Minister of State for Revenue(Shri Lachhman Dass Arora):

(a) Yes, Sir. The information regarding the name of the contractor, amount deposited and actual date of payment is laid on the Table of the House at Annexure 'A'.

(b) Such record is not maintained by the Department. Removal is permitted proportionate to payments.

(c) Yes Sir. 10,100 Khair trees.

(d) No, Sir.

ANNEXURE "A"

The details of the amount actually paid by M/s Baldev Singh Bhagat Singh of Kalka.

Instalment	Amount due	Amount deposited	Date on which actually paid
First	13,20,000/-	2,20,000	4-1-78
		1,00,000	9-1-78
		5,00,000	2-2-78
		2,00,000	18-2-78
		1,00,000	10-3-78

		1,00,000	29-4-78
		1,00,000	18-5-78
		13,20,000	
Second	13,20,000/-	2,00,000	19-10-78
		2,00,000	13-1-79
		2,00,000	31-3-79
		1,00,000	2-6-79
		50,000	2-7-79
		75,000	30-8-73
		40,000	7-11-79
		1,00,000	14-11-79
		30,000	26-11-79
		30,000	29-11-79
		20,000	29-11-79
		40,000	6-12-79
		70,000	18-12-79
		50,000	15-1-80
		50,000	30-1-80
		65,000	7-2-80

		13,20,000	
Third	13,20,00 4,40,000 E. Money		
	17,60,000	10,000	
		40,000	
		10,000	
		20,000	
		15,000	
		20,000	
		10,000	
		25,000	
		60,000	
		15,000	
		50,000	
		30,000	
		50,000	
		40,000	
		10,000	

		25,000	
		15,000	
		30,000	
		15,000	
		50,000	
		4,40,000	
		1,25,000	
		90,000	
		1,25,000	
	Total:	**13,20,000**	

श्रीमती बसंती देवीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से यह जानना चाहती हूं कि इस पेमेंट की मियाद क्या थी, इस मियाद को क्यों, कैसे और किस ने बढ़ाया?

श्री लछमन दास अरोड़ाः अध्यक्ष महोदय, पैमैंट की मियाद 78 से 80 तक की थी। यह मियाद विभाग के अफसरों द्वारा बढ़ाई जाती है, सरकार ने नहीं बढ़ाई। अगर कोई पैमैंट वक्त पर नहीं होती तो पैमैंट के साथ इंट्रस्ट भी लिया जाता है।

श्री देवी दासः अध्यक्ष महोदय, मिनिस्टर साहब ने अपने सवाल के पार्ट 'ग' के उत्तर में बताया है कि ठेकेदार द्वारा खैर या

अन्य किस्म के दस हजार के लगभग वृक्ष काटे गये। क्या इस ठेकेदार को सरकार द्वारा वृक्ष काटने की आज्ञा दी गयी थी? इससे अगले पार्ट 'घ' के जवाब में इन्होंने कहा है कि 'जी नहीं'। क्या मिनिस्टर साहब बताएंगे कि यह जो 10,100 खैर के वृक्ष काटे गये, यह किस अधिकारी की इजाजत से काटे गये और क्या उस अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही की गयी है?

श्री लछमन दास अरोड़ाः अध्यक्ष महोदय, जो खैर के दरखत काटे गये है, वे चोरी से काटे गये है और बाद में अधिकारियों ने जिन लोगों को पकड़ा, उनको पैनल्टी लगायी गयी।

चौधरी सुरेंद्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने बताया है कि मियाद सरकार के स्तर पर नहीं बढ़ाई गयी बल्कि कुछ अफसरों ने बढ़ाई। दूसरा इन्होंने यह कहा है कि रूल्ज के मुताबिक अप–रूटिंग अलाउड नहीं है। लेकिन स्पीकर साहब, मैं मंत्री महोदय जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या फारेस्ट रिसर्च इंस्टीच्यूट, देहरादून की यह रिपोर्ट है कि अगर खैर के पेड़ को काटने के बाद आपरूट न किया गया तो नई प्लाटे ान पर फंग्गस का अटैक हो सकता है। वे यह भी बताएं कि क्या अपरूटिंग की ओर इसकी प्राईस के बारे में गवर्नमैंट आफ इंडिया के लैवल पर तथा हरियाणा प्रांत के विजीलैंस विभाग द्वारा कोई इंकवायरी हुई; और अगर हुई तो उन्होंने क्या रिपोर्ट दी?

श्री लछमन दास अरोड़ाः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीस सदस्य को बताना चाहता हूं कि कानून के अनुसार पैमैंट की मियाद बढ़ाने की पावर्ज आफिसर्ज के पास है।

चौधरी सुरेंद्र सिंहः स्पीकर साहब, भाायद मेरा प्र न मिनिस्टर साहब नहीं समझें। मैं पार्टस में अपना क्वै चन पूछ लेता हूं। क्या यह बात सच है कि खैर के वृक्ष को काटते हुए अगर जड़ से न उखाड़ा जाए तो नई प्लांटे ान को फंग्गस का अटैक हो सकता है?

श्री लछमन दास अरोड़ाः जहां तक खैर के दरख्त को जड़ से काटने का सवाल है, इसकों हम परमिट नहीं करते और ठेकेदार चोरी या धक्के ााही से जड़ से काट लेते हे। क्योंकि उनको जड़ से कथ्था ज्यादा मिलता है।

चौधरी सुरेंद्र सिंहः स्पीकर साहब, खैर का वृक्ष काटते हुए अगर उसको जड़से न उखाड़ा जाए तो उससे नई प्लांटे ान चाहे किसी किस्म की भी हो उस पर फंग्गस का अटैक हो सकता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या फारेस्ट रिसर्च इंस्टीच्युट देहरादून की इस बारे में कोई रिपोर्ट है? दूसरा मैंनें यह भी पूछाा है कि 44 लाख रूपये के अमांउट के डिसप्यूट पर केंद्रीय सरकार के फारैस्ट डिपार्टमैंट के डी.आई.डी. स्तर पर और हरियाणा के विजिलैंस के एस0पी0 ने इंक्वायरी की और यह रिपोर्ट दी कि यह प्राईस बिल्कुल ठीक है। यह कृपया चैक करके

बताएं कि पेमैंट की मियाद बढ़ाने के लिये फैसला किस लैवल पर हुआ? क्योंकि इन्होंने कहा है कि यह फैसला गवर्नमैंट लैवल पर नहीं हुआ।

श्री लछमन दास अरोड़ाः स्पीकर साहब, पेमैंट की मियाद बढ़ाने का फैसला गवर्नमैंट लैवल पर नहीं है, बल्कि डिपार्टमैंट के अफसरों के लैवल पर हुआ।

चौधरी सुरेंद्र सिंहः स्पीकर साहब, मेरे सवाल का पूरा जवाब नहीं आया है। (ाोर एवं व्यवधान)

चौधरी धीरपाल सिंहः अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय यह बताने का कश्ट करेंगे कि जो 10,100 खैर के वृक्ष काटे गये, यह एक ही पार्टी के लोग थे या कि अलग अलग पार्टी के लोग इसमें भाामिल थे?

श्री लछमन दास अरोड़ाः अध्यक्ष महोदय, एक ही पार्टी है, एक ही ठेकेदार है, जिस ने यह दरखत काटे। इसके बदले में उसको पैनलटी लगाई गयी है।

श्री लछमन सिंहः अध्यक्ष महोदय, मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि 10,100 खैर के वृक्ष नाजायज तरीके से काटे गये। मैं उन से यह जानना चाहता हूं कि क्या इसकी ओपन औक्सन की थी? क्या यह मामला चौधरी भजन लाल जी के मुख्य मंत्री रहने के वक्त का है? क्या हरियाणा के विजिलैंस के एस0पी0 श्री लाल और भारत सरकार के फारेस्ट विभाग के डी0आई0जी0 श्री सोलंकी

के सुपुर्द इस बात की इंक्वायरी नहीं की गयी थी? उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट दी होगी, वह इनके पास होगी। उस रिपोर्ट में यह दिया गया है कि इंडिया में इन फारेस्ट की प्राईस मैक्सीमम रही है। यह फिर बार बार कैसे कहते है कि यह वृक्ष नाजायज तौर पर काटे गये है? क्या सरकार ने इनकी औक ान नहीं की थी? क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि यह वृक्ष नाजायज काटे गये थे या कि इनकी औक ान हुई थी?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, इस बारे में मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, ये पेड़ बकायदा नीलामी करके दिये जाते है लेकिन ये पेड़ जड़ से उखाड़नें के लिये नहीं दिये जाते बल्कि जड़ से ऊपर से काटने के लिये दिय जाते है। बलदेव सिंह, भगत सिंह ठेकेदार ने ये 10,100 पेड़ जड़ से उखाड़ लिये। जड़ से उखाड़ने का मकसद यह होता है कि जड़ से उनको कत्था ज्यादा मिलता है। कंडी ान यह होती है कि दरख्त को इतना छोड़ना है और ऊपर का हिस्सा काटना है। वे लोग पकड़े गये और उन पर पैनल्टी लगाई गई। उनके खिलाफ रा ाी बाकी है और हमने डी0सी0 अम्बाला को लिखा है कि यह रिकवरी उनसे एज एरियर्ज आफ–लैंड रैवेन्यू की जाए।

श्री निहाल सिंह: ये जो 10,100 दरख्त काटे गये इन पर पैनेलिटी कितनी लगाई गई?

श्री लछमन दास अरोड़ा: इस पर 49057.10 रूपये पैनलिटी लगाई गई।

श्री कंवल सिंह: स्पीकर साहब, एक सवाल चौधरी सुरेंद्र सिंह ने किया था कि फारैस्ट रिसर्च इंस्टीच्युट, देहरादून का कहना है कि अगर खैर के दरख्त को जड़ से न उखाड़ा जाए तो फंग्गस की बीमारी फैल जाती है, इसका जवाब नहीं आया है।

चौधरी भजन लाल: यह टैक्नीकल बात है। मुझे इस रिपोर्ट के बारे में पता नहीं है। आगे से जब नीलामी करेंगे तो ध्यान रखेंगे। दूसरी बात यह है कि एक दरख्त बेचते वक्त अगर आप कंडी ान लगाते है कि आपकों यह दरख्त यहां तक काटना है तो वह अगर उससे ज्यादा काटता है तो पैनेलिटी तो लगेगी ही।

Compensation on account of Hailstorm

***498. Chaudhri Kulbir Singh Malik:** Will the Minister of State for Revenue be pleased to state-

(a) the districtwise amount of compensation sanctioned to the farmers on account of damage caused to crops due to hailstorm during the years 1982-83; and

(b) the districtwise details of the amount, out of the amount as referred to in part (a) above, which still remains to be paid togetherwith the reasons for delay and the period within which the same is likely to be paid?

Minister of State for Revenue(Shri Lachhman Dass Arora):

(a) & (b): A statement is laid on the Table of the House indicating the amount sanctioned and disbursed during the year 1982-83. The amount undisbursed, which is only 1% of the total sanctioned amount, is due to non-availability of claimants, land disputes etc. The remaining amount will be disbursed as soon as district-staff is free from flood duties.

Sr. No.	District	Amount Sanctioned in 1982-83	Amount disbursed in 1982-83	Balance
1	Ambala	14,84,360	14,84,360	Nill
2	Sonepat	89,25,290	89,25,290	Nill
3	Gurgaon	82,52,050	82,52,050	NIll
4	Karnal	16,49,037	15,24,284	1,24,753
5	Hissar	1,47,46,000	1,47,37,000	9,000
6	Bhiwani	5,00,96,432	4,95,54,103	5,42,329
7	Faridabad	60,00,000	58,45,000	1,55,000
8	Sirsa	60,34,760	60,00,000	34,760
9	Rohtak	3,81,15,758	3,78,94,666	2,21,092
10	Jind	57,50,000	56,54,909	95,091
11	Kurukshetra	6,73,699	6,23,563	50,136

12	Mahendergarh	32,01,850	30,40,087	1,61,763
	Total	14,49,29,236	14,35,35,312	13,93,924

चौधरी कुलबीर सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, बकाया राि ा जो बांटने वाली रहती है वह करीब 14 लाख रूपये है। क्या ऐसी बात तो नहीं है कि सरकार दीवालिया हो गई हो? दूसरे जो बाढ़ आदि से नुकसान हुआ है, क्या सरकार इसका भी मुआवजा देगी?

श्री लछमन दास अरोड़ाः जहां तक इन्होंने कहा कि सरकार दीवालिया तो नहीं हो गई, मैं बताना चाहता हूं कि पेमैंट सभी जिलों में डी0सीज0 के पास पड़ी है। सिर्फ लोगों की ि ानाखत करने के लिये टाईम का सवाल है। सरकार की तरफ से खास तौर पर परपोज किया गया है कि यह पैसा एच0सी0एस0 अफसर से नीचे का कोई अफसर न बांटे।

श्री हीरा नंद आर्यः क्या मंत्री जी बतायेंगे कि बाढ़ के कार्य से फारिंग होकर यह रकम बांट दी जाएगी? दूसरे जहां बाढ़ नहीं आई है, वहां पर पैसे बांटने में क्या दिक्कत हैं? जिन इलाकों में लोग बाढ़ से पीड़ित है उनको तो इस समय पैसे की ज्यादा जरूरत है इसलिये उनको भी यह पैसा अभी बांट दिया जाए, क्या ऐसी कार्यवाही करेंगे?

श्री लछमन दास अरोड़ाः जहां तक इन्होंने कहां कि बाढ़ ग्रस्त लोगों को पैसे की जरूरत है, पैसा तो भेजा हुआ है लेकिन लोगों को ि ानाखत करके ही पैसा देना पड़ेगा। इसलिये थोड़ा टाईम लगता है।

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, हमारे वजीर साहब ने अपनी चमड़ी बचाने के लिये कह दिया कि बाढ़ के कार्य से मुक्त होकर यह पैसा बांटेंगे.....

श्री अध्यक्षः डा0 साहब चमड़ी तो सारे ही बचाएंगे। मिनिस्टर भी बचाएगा और एम0एल0ए0 भी बचाएगा। आपको ऐसे लफज कहने की क्या जरूरत है।

श्री मंगल सैनः इन्होंने एलीबी बना दी, बचाव का रास्ता पहले ही ढूंढ लिया इसलिये मैंने यह कहा। मैं आपके जरिये मंत्री जी से कहूंगा कि जो जवाब पटल पर रखा है उसको पढ़ लें। इसमें इन्होंने फर्माया है कि करनाल में 1,24,753 रूपये बांटने बाकी है, भिवानी में 5,42,329, फरीदाबाद में 1,55,000, सिरसा में 34,760, महेंद्रगढ़ में 1,61,763 रूपये बाकी है। रोहतक और जींद तो बाढ़ग्रस्त है। बाकी इलाकों में तो बाढ़ नहीं आई है। मैं आपके द्वारा यह पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार के अनाप भानाप खर्चों की वजह से खजाने में पैसा नहीं है। इन्होंने हुड्डा से 25 करोड़ रूपया ले लिया जोकि आज तक वापिस नहीं किया। इससे

बढ़ करबैंककप्सी की मिसाल क्या हो सकती है। या तो ये इकबाल करें ठीक है हमारे पास पैसा नहीं था?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, मंगल सैन जी ने दो सवाल कर दिये। एक तो इन्होंने हुड्डा के बारे में कह दिया और दूसरे रेवैन्यू डिपार्टमैंट के बारे में कहा। मैं आपके जरिये इनको बताना चाहता हूं कि जहां स्टेट में ओले पड़े वहां 1982.83 में 14,49,29,263 रूपये सरकारी खजाने से जिलों में भेजे गये। इनमें से 14,35,35,312 रूपये किसानों को बांट दिये हैं बाकी 13,93,924 रूपये बचते है। ये ऐसे केसिज के बचते है जैसे एक खेत के चार मालिक है इसलिये जब तक चारों मालिक नहीं आएगे तब तक उनको पैसा नहीं मिल सकता। कोई कहता है कि मेरी जमीन की तकसीम का झगड़ा चल रहा है, कोई मुजारा कहता है कि हम जमीन के मालिक है इसलिये वह पैसा हमें मिलना चाहिए। इस वजह से यह पैसा बांटना बाकी रहता है। सारी पेमैंट जिलों में गई हुई है। जहां पर कोई डिसप्यूट नहीं होगा, वहां पर ये पेमैंट जल्द ही बांट दी जाएगी। जहां पर फलड नहीं है वहां के लिये हमने पहले ही कह रखा है कि पैसा बांट दो और बांट भी रहे है। आप अंदाजा लगांए कि 15 करोड़ रूपये में से केवल 13 लाख रूपये बांटने बाकी रहते है। जहां तक हुड्डा के पैसों का ताल्लुक है, हम डेढ़ दो करोड़ रूपया हर महीने लोगों को वापिस कर रहे है। डा0 साहब के लिये गलत इलजाम लगाना ठीक नहीं।

श्री मंगल सैनः लोगों को एक साथ पैसे क्यों नहीं दिये?

चौधरी भजन लालः हम एक साथ ही दे रहे है, कि तों का तो सवाल ही नहीं है। आप अंदाजा लगाएं कि लोगों ने हुड्डा से प्लाट लेने के लिये बीस करोड़ रूपया जमा करवाया। जिन लोगों की लाटरी निकल गई उनको तो प्लाट मिल गये। जिनको पैसा वापिस देना था उनको हम नम्बर वाईज वापिस दे रहे है। सबको एक साथ कैसे दे सकते हैं। आप बैंक और दफ्तर में जाकर देखें, लोगों की लाईनें लगी मिलेगी।

श्री अध्यक्षः अब क्वै चन आवर समाप्त होता है।

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकि प्र नों के लिखित उत्तर

Land of Government Livestock Farm, Hissar

***442. Shri Kanwal Singh:** Will the Chief Minister be pleased to state whether any land belonging to the Government Livestock Farm at Hissar, has been allotted to any Private Cooperative Society for construction of residential colony; if so, reasons necessitating such allotment?

प ुपालन राज्य मंत्री (चौधरी लाल सिंह): जी नहीं।

Widening of Jhajjar-Jahazgarh Road

***479. Chaudhri Om Parkash:** Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that the estimate for widening and raising of Jhajjar-Jahazgarh Road in Rohtak District, was sent to the Government for sanction sometime back;

(b) whether the said estimate has been sanctioned; and

(c) if so, the time within which the said work is likely to be started and completed?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल):

(क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग): इस समय यह प्र न नहीं उठते है।

Railway Link to Ladwa from Yamuna Nagar

***456. Chaudhri Sahab Singh Saini:** Will the Chief Minister be pleased to state whether the State Government is aware of any proposal to provide Railway Link to Ladwa from Yamunagar and to Kurukshetra via Ladwa; if so, details thereof?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): जी हां। कुरूक्षेत्र को यमुनानगर से रेल द्वारा मिलाने का मामला राज्य सरकार ने भारत सरकार से उठाया हुआ है। राज्य सरकार के प्रस्ताव के अनुसार प्रस्तावित रेलवे लाईन यमुनानगर–लाडवा–कुरूक्षेत्र सड़क के साथ–साथ जाएगी।

Compensation for land acquired for Road

***437. Master Ram Singh:** Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) whether the Government has acquired any land in the Radaur constituency for the purpose of construction of a road;

(b) if so, whether the compensation in respect of the said land has been paid to the concerned farmers; and

(c) if the reply to part (b) above be in the negative the period within which the said compensation is likely to be paid togetherwith the reasons for delay, if any, in making the payment?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल):

(क) जी हां।

(ख) कुछ लोगों को मुआवजा दिया जा चुका है।

(ग) वर्तमान वित्तीय वर्श में बाकी मुआवजा देने का प्रयत्न किया जाएगा। मुआवजा देने में देरी की मुख्य वजह यह है कि कुछ कानूनी औपचारिकताएं अभी रहती है।

Mandaur Minor

***460. Dr. Bhim Singh Dahiya:** Will the Minister for Irrigation & Power be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Govt. to construct Mandauri Minor on

Western Jamuna Canal in Sonepat District; if so, the date since when such a proposal is under consideration;

(b) whether any land for the above said minor has been acquired or is proposed to the acquired; if so, the date on which the land was acquired or is proposed to be acquired together with the date on which payment of compensation in respect thereof was made or is likely to be made; and

(c) the date on which the work on the said Minor was started or is proposed to be started?

Irrigation & Power Minister (Chaudhri Shamsher Singh Surjewala):

(a) Yes, the scheme has been sanctioned by Govt. on 8.11.79.

(b) The land belonging to two villages, Mandauri and Nehra has already been acquired on 17.2.82 and 20.3.82 respectively and compensation paid on the same dates. Land belonging to 3rd village Mandaura has not been acquired because of a writ petition in the Hon'ble Punjab & High Court, which has been dismissed only on 6.9.1983. The land of village Mandaura is now likely to be acquired and payment made by 31.1.84.

(c) Work has not been started. It is proposed to be started in Feb., 1984.

Construction of Dam for the disposal of Rakhi Water

***470. Shri Mahendra Pratap Singh:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state-

(a) whether it is a fact that about ten years back a dam was constructed adjacent to Nawada Koh, Dabua, Feroz Gandhi Nagar by the Govt. for the disposal of Rakhi water of Thermal Power Project, Faridabad; if so, the expected life thereof; and

(b) whether there is any scheme under consideration of the Govt. to construction another dam for storing the said Rakhi water near said villages and Feroz Gandhi Nagar fater the expiry of life of Dam, as referred to in part (a) above; if so, the location thereof?

Irrigation and Power Minister (Chaudhri Shamsher Singh Surjewala):

(a) Yes. A dam was constructed adjacent to the village Nawdkoh in the year 1975 for ash disposal of Faridabad Power Project. The present expected life of this dam is upto the year 1987-88.

(b) Another dam is propsed near village Bhankari about 2 KM away from the existing ash disposal area.

अतारांकिम प्र न एवं उत्तर

Criteria for the nomination of Members on the District Grievances Committees.

63. Smt. Basanti Devi: Will the Chief Minister be pleased to state whether any criteria has been formulated to

nominate members to serve on the District Grievances Committees in the State; if so, the details thereof?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): जनता की ि ाकायतों के निवारण के लिए सरकार ने सभी जिलों के लिए जिला लोक सम्पर्क एवं ि ाकायत समितियां गठित की हुई है। सभी समितियों के मुखिया मंत्री है व स्थानीय जिलाधी ा इस समिति का उप–प्रधान होता है। जिला स्तर के सभी विभागाध्यक्ष इस समिति के सरकारी सदस्य होते है।

संबंधित जिलों के संसद सदस्य व राज्य विधान सभा के सदस्यों के अतिरिक्त बारह अन्य व्यक्तियों को इन समितियों में गैर सरकारी सदस्य के रूप में मनोनीत किया जाता है। जिले के अलग–अलग भाग में रहने वाले प्रमुख व्यक्तियों को जो कि समाज के विभिन्न वर्गों को प्रतिनिधित्व करते हो, गैर सरकारी सदस्य मनोनीत किया जाता है।

Grain Market at Narnaund

79. Shri Mangal Sein: Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a Grain Market at Village Narnaund, tehsil Hansi, District Hissar; and

(b) if so, the time by which the said Grain market is likely to be constructed?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल):

(क) जी हां।

(ख) नारनौंद में आधुनिक मंडी का निर्माण करने के लिए उप निवे ान विभाग द्वारा भूमि अभिग्रहण की गई है। निर्माण कार्य हरियाणा राज्य कृशि विपणन बोर्ड, चंडीगढ़ द्वारा, भूमि हस्ताक्षरण होने के प चातृ आरमी किया जाएगा। अपितु इस को राज्य में मंडियों के विकास के लिए बनाए गए मास्टर प्लान के दूसरे चरण में बनाए जाने की योजना है और यह चरण सितम्बर, 1987 से आरम्भ होगा।

विभिन्न विशयों का उठाया जाना

डा0 भीम सिंह दहिया: स्पीकर साहब, मेरी एक सबमि ान है। स्पीकर साहब, पिछले सात सालों में हरियाणा सरकार ने लगभग बीस करोड़ रूपया महर्शि दयानंद यूनिवर्सिटी को दिए है और उसमें कई करोड़ रूपए का घोटाला है। वहां पर चीजें खरीदी जाती है लेकिन वे गायब हो जाती है। म ीनरी खरीदी जाती है लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं होता। मैडीकल कालेज में इम्तिहानों के पर्चें बेचे जाते है। इन सब बातों पर डिस्क ान के लिऐ मैंने अंडर रूल 84 एक मो ान आपकी सेवा में दी थी। उसके बारे में आप ने क्या फैसला किया है?

श्री अध्यक्ष: दहिया साहब, वह मो ान आपने आज सुबह 8.30 बजे दी है, मैं उसे कंसीडर कर रहा हूं।

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, मैंने महर्शि दयानंद यूनिवर्सिटी में पिछले कई वर्शों से हो रही आर्थिक अनियमितताओं और वहां की नीति संबंधी पालिसी मैटर पर डिस्क ान करने के लिए आपकी सेवा में रूल 84 के तहत एक मो ान आज सुबह 7.45 बजे दी थी, उस के बारे में आपने क्या फैसला किया है? इसके अलावा मैंने एक प्रिविलेज मो ान का नोटिस भी दिया है कि हमारे आई0पी0एम0 साहब चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवाला ने मार्च 1983 और जुलाई 1983 में एस0वाई0एल0 के बारे में दो स्टैटमैंटस दी थी। उन दोनों स्टेटमैंटस में काफी कंट्राडिक ान है और इस तरह इन्होंने हाउस को मिसलीड किया है। सुरजेवाला जी मेरे आदरणीय मित्र है, मैं इन की इज्जत करता हूं लेकिन हाउस के किसी भी मैम्बर को मिसलीड करने का कोई अधिकार नहीं है। इन्होंने जो कंट्राडिक्टरी स्टेटमैंअस दी है उन से हमारे प्रिविलेज को ब्रीच करने वाली बात है।मैंने इस बारे में जो प्रिविलेज मो ान का नोटिस आपकी सेवा में दिया है, वह प्रिविलेज कमेटी को रैफर होना चाहिए। तीसरी मेरी सबमि ान यह है कि मैंने आपकीसेवा में एक काल अटैं ान मो ान का नोटिस भी दिया है कि आज हरियाणा के हजारों प्राइवेट कालेजिज के टीचर्ज चंडीगढ़ में आए हुए है। उन की डिमांड है कि उन्हें सेलरी ट्रेजरी के श्रू मिलनी चाहिए। जो गवर्नमैंट के कालेजों में टीचर्ज को फैसिलिटीज मिली हुई है वहीं फेसिलिटीज उन्हें भी मिलनी चाहिए। इस बारे में आपने क्या फैसला किया है? चौथी सबमि ान मेरी यह है कि मैंने एक औरकाल अटैं ान

नोटिस दिया है कि पिछले दिनों हरियाणा सिविल सैक्रेटेरिएट को डिसमिस करवा दिया था, इसलिए सैक्रेटेरिएट के कर्मचारियों में बहुत बेचैनी है। हड़ताल के समय मुख्य मंत्री जी ने सैक्रेटेरिएट के कर्मचारियों के साथ कम्परोमाइज कर लिया था। इसलिए आप मेरा यह काल अटैंशन मोशन का नोटिस एडमिट कर लें ताकि इन्होंने कर्मचारियों के साथ जो कम्परोमाइज किया है उसके बारे में हमें पता लग सकें।

इसके अलावा मैं आपकी इज्जत से एक और बात कहना चाहता हूं और मैंने यह बात कल भी कही थी। मैंने कल यह कहा था कि सरदार लछमन सिंह का मामला बड़ा सीरियस है और यह मामला प्रिविलेज कमेटी को भेजा जाए। इन्होंने कल कहा था कि मुझे अपनी जान का खतरा है। स्पीकर साहब यदि एक मैम्बर यह कहता है कि उन्हें अपनी जान का खतरा है तो आप। हमारे कस्टोडियन होने के नाते हमारी जान माल की हिफाजत करना आपका फर्ज है।

श्री अध्यक्षः डा0 साहब, आपने चौधरी सुरजेवाला के खिलाफ जो प्रिविलेज मोशन का नोटिस दिया है, वह मैंने डिस–अलाउ कर दिया है। मैंने इस बारे में सारे रूल्ज कंसल्ट किए है और यह प्रिविलेज का मामला नहीं बनता।

इसके अलावा आपने सैक्रेटेरिएट के कर्मचारियों की हड़ताल के बारे में जो काल अटैंशन मोशन का नोटिस दिया है

उसके बारे में मैंने आपके पास जवाब भेज दिया है। वह भी डिस अलाउ कर दिया है। जो बाकि काल अटैं ान मो ान के नोटिस है, उन को मैं कंसीडर कर रहा हूं। उनके बारे में आपको आज एक बजे जवाब दे दूंगा।

श्री हरिचंद हुड्डाः स्पीकर साहब, मैंने आपकी सेवा में कल एक काल अटैं ान मो ान का नोटिस दिया था लेकिन आपने वह डिस–अलाउ कर दिया। मैं आपके फैसले से नाराज नहीं हूं कि आपने क्यों डिस–अलाउ कर दिया। अभी थोड़ी देर पहले मुख्य मंत्री जी ने ओलावृश्टि से हुए नुकसान के मुआवजे के बारे में रोहतक जिले की जो फिगर बताई है, वे गलत फिगर बताई है और इन्होंने हाउस को मिसलीड किया है। रोहतक में मुआवजे का लगभग 56 लाख रूपया बकाया रहता है। लेकिन गवर्नमैंट ने 2,21,282 रूपए बकाया बताकर बहुत बड़ा झूठ बोला है। स्पीकर साहब, टिटौली और जसयाना ये दोनों गांव मेरे हल्के में है, इनका पांच लाख रूपया मुआवजे का बकाया रहता है और मेरक गांव के लोगों का हेल स्टौरम से हुए नुकसान का मुआवज नौ लाख रूपया बाकी रहता है। इसी प्रकार चांदी गांव के किसानों को तेरह लाख रूपया बाकी रहता है। स्पकीर साहब, 56 लाख रूपया तो अकेले रोहतक जिले का बाकी रहता है और बाकी हल्कों का लगभग 92 लाख रूपया मुआवजे का बकाया रहता है। मेरी अर्ज यह है कि रोहतक जिले मैं जिन गांवों के अंदर नौ–नौ फुट पानी खड़ा है, उन गांवों के लोगों को मुआवजे का बकाया

पैसा जल्दी से जल्दी दिया जाना चाहिए, लेकिन उनका 92 लाख रूपया यह सरकार नहीं बांट रही है। स्पीकर साहब, आपके द्वारा सरकार से मेरा निवेदन है कि जो लोग करह से मर रहे है उन पर यह सरकार जुल्म न करें, उनको मुआवजे का पैसा जल्द से जल्द दें। हरियाणा प्रदे ा में जो लोग बाढ़ के पानी में डूबे हुए है और उनके मुआवजे का जो पैसा सरकार की तरफ बकाया है वह पैसा जल्दी से जल्दी दे ताकि लोग अपना जीवन निर्वाह कर सकें।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, हुड्डा साहब ने सरकार पर एक इल्जाम ओलावृश्टि से हुए नुकसान के बारे में लगाया है कि लोगों को उनकी फसल के नुक्सान का मुआवजा नहीं दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, दो बार ओले पड़े थे। एक बार मार्च के महीने में ओले पड़े थे और दूसरी बार अक्तूबर के महीने में ओले पड़े थे। (ाोर)

श्रीमती चंद्रावती: जनाव स्पीकर साहब, हमारे माननीय सदस्य हुड्डा साहब ने यह कहा है कि जिन जिन गांवों में बाढ़ आई हुई है उन गांवों के लोगों को उनका बकाया मुआवजे का पैसा जल्दी दे दिया जाए। स्पीकर साहब, जिन गांवों में बाढ़ के कारण लोक पीड़ित है उनको औलावृश्टि से हुए नुकसान का बकाया मुआवजा जल्दी दिया जाना चाहिए ताकि उनका भला हो सके। मुख्य मंत्री जी द्वारा इस स्टेज पर अपनी पोजी ान

एक्सप्लेन करने का क्या फायदा है। इनको तो कमिटमैंट करनी चाहिए कि उनको पैसा जल्दी दे दिया जाएगा।

चौधरी भजन लालः आप मेरी बात सुनने का कश्ट करें। अध्यक्ष महोदय, दो दफा ओलावृश्टि हुई थी एक बार मार्च के महीने में और दूसरी बार अक्तूबर के महीने में। मैंने रोहतक के आंकड़ें दिए है, वे मार्च के महीने में हुई औलावृश्टि के बारे मैं है। रोहतक में मार्च के महीने में ओलावृश्टि के कारण जो नुकसान हुआ था उसका लगभग दो लाख रूपया मुआवजे का बाकी रहता है। अक्तुबर के महीने में ओलावृश्टि से रोहतक जिले में जो नुक्सान हुआ है, वह लगभग 1 करोड़ 21 लाख रूपए का है। अब तक बीस लाख रूपया बांटा जा चुका है लेकिन अचानक बाढ़ आने के कारण बाकी का पैसा नहीं बंट सका। माननीय सदस्य को बेबुनियाद बात नहीं कहनी चाहिए कि गवर्नमैंट ने बहुत बड़ा झूठ बोला है। जो बाकी पैसा मुआवजे का रहता है, वह अचानक बाढ़ आने के कारण रहा है, उसको जल्दी से जल्दी बांटने की कोि ा ा करेंगे। सभी जानते है कि जितने भी अधिकारी है, चाहे वे किसी भी डिपार्टमैंट के है, सभी बाढ़ के काम में लगे हुए है ताकि जिन गांवों में पानी खड़ा है या जिन खेतों में बाढ़ का पानी खड़ा है, उसको जल्द से जल्द निकाला जा सकै और बाढ़ से पीड़ित लोगों को आराम मिल सकें। ज्योंहि उन गांवों या खेतों से बाढ़ का पानी निकल जाएगा, उन सारे

गांवों के लोगों को मुआवजे का बकाया पैसा देने की पूरी कोि ा ा करेंगे।

श्री लछमन सिंहः स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक बहुत ग्रेव सिचुए ान की तरफ दिलाना चाहूंगा। मैं अपने चीफ मिनिस्टर साहब से यह अपील करूंगा कि वे फौरी तौर पर उस बारे में एक ान लें और मेरे हल्के में लोगों के अंदर जो डिसकंटैंटमैंट का जजबा पैदा हो चुका है, उसको दूर करने की कोि ा ा करें। स्पीकर साहब, पिछले साल कालका में रमलीला हुई थी। उस रामलीला को एक एस0एच0ओ0 ने तोड़ा था और उसने रामलीला के अंदर फायरिंग की थी। चीफ मिनिस्टर साहब के हुकम से उस समय उस एस0एच0ओ0 को और थाने के सारे कर्मचारियों को तबदील किया और सस्पैंड किया। लेकिन अभी पंद्रह दिन हुए वह एस0एच0ओ0 पिंजौर थाने में लगा दिया गया है। उस एस0एच0ओ0 को वहां पर लगाने से पंद्रह दिन से ऐसा वातावरण पैदा हो चुका है कि न वहां पर कोई कानून है अरै न ला एंड आर्डर है। जो चाहे वह एस0एच0ओ0 कर सकता है। (ोम भोम की आवाज) स्पीकर साहब, मैंने एक सप्ताह पहले सरकार को उस बारे में टैलीग्राम दी थी और मेरा यह फर्ज भी बनता है बतौर नुमांयदें कि मैं यह बात सरकार के नोटिस में लाऊं। स्पीकर साहब, वहां पर पंजाब के एक्सट्रीमिस्ट आ गए है और उन एक्सट्रीमिस्टों की पैरवी वहां के दो आदमी कर रहे है जिनका नाम टीका अमरजीत सिंह सोडी और गुरचेत सिंह गरचा

है। गुरचेत सिंह गरचा की फोटो आपने पंचायत समितियों के इलैक ांज के दौरान इंडियन एक्सप्रेस में देखी होगी। उस फोटो में गुरचेत सिंह गरचा थानेदार के साथ खड़ा है और अपनी बंदूक में राउंडज डाल रहा है। उस फोओ को आप सब लोगों ने देखा होगा। मैंने उससे पहले भी सरकार को टैलीग्राम दी थी, एस0पी0 से भी मिला था और चीफ सैक्रेटरी साहब को भी इस बारे में टैलीग्राम दी थी कि आप इस बात का प्रबंध करें। स्पीकर साहब, मेरी एप्रीहैं ान है कि वहां पर मरडर होगा। मैं सरकार को यह बता देना चाहता हूं कि वहां पर जब तक वह एस0एच0ओ0 और एस0पी0 कायम है, मरडर जरूर होगा कोई नहीं रोक सकता। इसके अलावा मैं आपकी मारफत सरकार से एक और अपील करना चाहूंगा। मेरी एप्रीहैं ान कल ही साबित हो गई है। कल एक व्यापारी पंचकुला में एक बैंक से डेढ़ लाख रूपया लेकर आ रहा था। बैंक के बाहर से ही उसको लूट कर लुटेरे पंजाब की तरफ भाग गए। स्पीकर साहब, यह कोई प्रैसटी की बात नहीं है, यह तो ला एंड आर्डर का मामला है जिसको ठीक करना सरकार की जिम्मेदारी है। स्पीकर साहब, कालका एक ऐसी जगह है जहां पर वहां के लोगों ने इस किस्म की बदअमनी कभी पहले नहीं देखी थी। इसके अलावा मैं यह कहना चाहता हूं कि सारान क्वेरीज के ठेकेदार अपनी लेबर को हर रोज पंद्रह हजार रूपए देते है लेकिन टीका अमरजीत सिंह सोढी और गुरचेत सिंह गरचा वहां पर जाते है और बंदूक दिखा कर सारा पैसा छीन कर ले आते है। यदि मदखलत होती है तो पैसा इनसे वापिस करवा दिया जाता है।

इसलिए मैं चीफ मिनिस्टर साहब से अपील करना चाहूंगा कि इस किस्म के वातावरण को ठीक किया जाए। जहां इस किसम का वातावरण पैदा हो जाए तो वहां के एम0एल0ए0 की क्या पोजी ान होगी, यह आपको पता है। मैं इनकी हर आफर एक्सैप्ट करने के लिए तैयार हूं न लछमन सिंह किसी से डरता है और डरने वाला हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि मुझे कोई खतरा हो, मुझे कोई डर नहीं है। उस भगवान को जो मंजूर होगा, वही होगा लेकिन मैं इस सरकार से यह अपील करना चाहता हूं कि वहां के लोगों को परे ाान नहीं करना चाहिए। मैं एक बार फिर चीफ मिनिस्अर साहब से अपील करूंगा कि वहां पर ला एंड आर्डर कि सिचुए ान को ठीक करने की कोि ा ा करें।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद के साथ सरदार लछमन सिह की बात का जवाब देना पड़ रहा है। जिस थानेदार का जिक्र इन्होंने किया है उसका नाम भी मुझे पता नहीं है। इस थानेदार को एक बार सस्पेंड करने की बात भी इन्होंने कही है। जो कर्मचारी अपने कार्य में कोताही करेगा उसको सस्पेंड भी किया जायेगा और दूसरा एक ान भी लिया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, जहां तक मुझे याद है अगरमैं नहीं भूलता उस थानेदार को बहाल करने की सिफारि ा के लिये भी भाायद सरदार लछमन सिंह जी ही मेरे पास आए थे। जहां तक इनकी हिफाजत का सवाल है, मैं वि वास दिलाता हूं कि इनकी पूरी हिफाजत की जायेगी। यह इनकी बात ठीक है कि इन्होंने टैलीग्राम दिया है।

टेलीग्राम मेरे पास भी आया था। मैंने उसी वक्त डायरैक्टर जनरल आफ पुलिस को इनकी हिफाजत करने के लिए कहा। इनके साथ कोई साजि ा न हो और किसी प्रकार की कोई ज्यादती न हो, उसकी हिफाजत करना सरकार का फर्ज है। स्पीकर साहब, यह तो हमारी पार्टी का मैम्बर है, अपोजी ान पार्टी का ही कोई मैम्बर क्यों न हो, या हरियाणा प्रांत का कोई भी नागरिक क्यों न हो, उसकी हिफाजत करना सरकार का फर्ज है। सरकार उस फर्ज को पूरा कर रही है। जहां तक इन्होंने दो आदमियों टिक्का और गर्चा का जिक्र किया है, इस बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनकों मैं बिल्कुल भी नहीं जानता था। इन दोनों व्यक्तियों की जान–पहचान मेरे को सरदार लछमन सिंह जी ने ही करवाई थी। इन्होंने मुझे बताया था कि ये बहुत अच्छे आदमी है और मेरे बहुत अच्छे दोस्त है। यदि कोई व्यक्ति जानबूझ कर कानून अपने हाथ में लेगा तो उसको बिल्कुल बख्शा नहीं जायेगा। चाहे भंजन लाल का सगा भाई भी क्यों न हो, यदि वह गलत काम करेगा या कानून तोड़ेगा तो उसे भी नहीं छोड़ा जाएगा, उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्यवाही की जायेगी।

श्रीमती चंद्रावती: अध्यक्ष महोदय, रूल 84 के तहत मैंने ताजेवाला बैराज और हथीनीकुंड बैराज को संबंध में एक मो ान दी थी, उसका क्या हुआ?

श्री अध्यक्ष: आपने आज सुबह 9–00 बजे ही दी है। वह एग्जामिन हो रही है। बाद में बता दूंगा।

श्रीमती चंद्रावती: अभी सी0एम0 साहब ने सरदार लछमन सिंह जी के बारे में अपना जवाब दिया है। उस संबंध में सबसे पहले मैं भाई लछमन सिंह जी को कहना चाहूंगी कि ऐसी चीजें हमने भी सहन की है, आप भी सहन कर लें। स्पीकर साहब यह बात यहीं पर खत्म नहीं हो जाती। आज मुख्य मंत्री चौधरी भजनलाल जी पावर में आने के बाद यह भूल गए होंगे कि एक भाई के साथ नाराजगी होने पर बात खत्म हो जाती है। आज ये इनके दोस्तों को और वर्कर्ज को परें ाान कर रहे है और उनके खिलाफ जो किया जा रहा है वह गलत है। अब मुझे यह भी बात कहनी पड़ेगी कि आज का एडमिनिस्ट्रे ान बिल्कुल खत्म हो चुका है। पुलिस के अंदर उन लोगों को तरजीह दी जा रही है जो सबसे.....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: ऐसे भाब्द कार्यवाही से एक्सपंज कर दिए जाएं और कार्यवाही में न आएं।

श्रीमती चंद्रावती: स्पीकर साहब, इसी प्रकार से 26—8—83 को अम्बाला के एस0एच0ओ0 ने 12—00 बजे के करीब दलबीर सिंह सैनी एडवोकेट को गिरफ्तार किया और उसे कैद किया गया। इस प्रकार से लोगों के साथ बहुत ज्यादती की जा रही हैं (ाोर) उनके साथ जो ज्यादती हुई है उसके बारे में मैं बता रही हूं। मरे पास इस संबंध में एप्लीके ान आई हुई है।

श्री अध्यक्षः आप किस की इजाजत से यह एप्लीके ान पढ़ रही है।

श्रीमती चंद्रावतीः मैं आपकी इजाजत से पढ़ रही हूं। स्पीकर साहब अम्बाला के अंदर बलबीर सिंह सैनी एडवोकेट को गिरफ्तार करके नाजायज तंग किया जा रहा है, इस प्रकार की चीजें नहीं होनी चाहिए।

Mr. Speaker: This is not etiquette.

चौधरी भजन लालः बहन जी मैं इसकी जांच करवाउंगा। इस मामले मैं जो भी दोशी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी।

चौधरी नर सिंह ढांडाः अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मुख्य मंत्री ने बताया कि 1982–83 में हुई ओलावृश्टि के मुआवजे का पैसा दिया जा चुका है और कुछ दिया जाना भोश रहता है। इस संबंध में सी0एम0 साहब से मेरी रिक्वैस्ट है कि जिला कुरूक्षेत्र के अंदर भी पाई हल्कें के कई ऐसे गांव है जिनका ओलावृश्टि के मुआवजे का पैसा बकाया रहता है। स्पीकर साहब, खरीफ 1981 की फसल का नरड, सेगा और काकोत गांवों का पैसा 81 हजार रूपये बनता है। इस बात को उस समय के राजस्व मंत्री चौधरी फूल चंद जी ने भी माना था। वह पैसा आज तक किसानों को नहीं मिल पाया है। इसी प्रकार अप्रैल 1982 में ओलावृश्टि हुई थी। इस ओलावृश्टि के दौरान कठवार गांव का कलेम 2 लाख

32 हजार रूपये के करीब बनता है और खनौद गांव का क्लेम 2 लाख 65 हजार के करीब बनता है। इस संबंध में मेरी सरकार से प्रार्थना है कि जितना भी पैसा पाई हल्कें के किसानों को ओलावृश्टि का दिया जाना है, वह जल्दी से जल्दी दिया जाना चाहिये। इसी प्रकार से पाई हल्कें के 17 गांव अंडर वाटर है। वहां पर आज हालत यह है हमारी माताएं और बहने बाहर भी नहीं निकल सकती। खेतों के अंदर बहुत अधिक मात्रा में पानी खड़ा है। कर्मचारियों को बार बार कहने पर भी कोई कर्मचारी ध्यान नहीं दे रहा यहां तक कि कमी नर ने भी लिख कर भेजा है लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा। जब पानी निकलने के लिए डीजल पम्प की मांग करते है तो पम्प नहीं दिया जाता और न ही गांवों के लोगों को आटा आदि सप्लाई किया जाता है, इससे किसानों के अंदर बहुत अधिक बेचैनी फैल रही है। स्पीकर साहब जो बातें मैंने कहीं है उनके बारे में मेरी सरकार से प्रार्थना है कि उन पर तुरन्त ध्यान दिया जाये।

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, मैं आपकी रूलिंग जानना चाहता हूं। जब हाउस का एक मैम्बर हाउस में खड़े होकर यह कहे कि मेरी जान को खतरा है तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। स्पीकर साहब सी0एम0 साहब ने बड़ी सफाई से कह दिया कि मेरी उनके साथ दु मनी नहीं है।

चौधरी भजन लालः मेरी उनके साथ कोई दु मनी नहीं है। वाकायदा उनकी सुरक्षा के लिए उन्हें गनमैंन दिया हुआ है।

श्री मंगल सैनः मेरी बात को आप ध्यान से सुनिए। मैंने लछमन सिंह जी को आपका दु मन नहीं माना मैंने आपका गहरा दोस्त माना है। चौधरी साहब जिस गद्दी पर आज आप बैठे है, यदि सरदार लछमन सिंह जी हमें चकमा दे कर न जाते तो आप वहां पर न होते। चकमे का दुख तो हमैं भी है। स्पकीर साहब, मेरी हम्बल सबमि ान यह है कि हाउस में एक बहुत ही सीरियस मामला रेज हुआ है और यह मामला प्रिवलेज का मामला बनात है। यह आपका रूल 261 है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। आगे क्या लिखा है उसके बारे में आप भी जानते है और मैं भी जानता हूं। इसलिए स्पीकर साहब, मेरी आपसे रिकवैस्ट यह है कि जिन अफसरों से या जिन लोगों से इन्हें जान का खतरा है, उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए।

श्री बीरेंद्र सिंहः स्पीकर साहब, आप हमें समय दे दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। (व्यवधान)

श्री हीरा नंद आर्यः स्पीकर साहब, मेरी आपसे प्रार्थना है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः ट्रेजरी बैंचिज को तो मैं समय ही नहीं दे रहा। अपोजी ान की तरफ से ही बोल रहे है।

श्री हीरा नंद आर्यः आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। सी0एम0 साहब कह रहे है कि इन्होंने इनको गनमैंन दिया हुआ है। मैं इस संबंध में कहना चाहता हूं कि यह गनमैंन इन्होंने इनकी सी0आई0डी0 करने के लिये दिया हुआ है।

श्री अध्यक्षः यदि किसी की सुरक्षा के लिये गनमैंन दिया जाता है तो कहते है कि सी0आई0डी0 के लिये दिया हुआ है, यदि नहीं देते तो कहते है कि सरकार उनकी सुरक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। यह कोई प्वायंट आफ आर्डर नहीं बनता।

श्री हीरा नंद आर्यः स्पीकर साहब, रूल 84 के तहत मैंने एक मो ान दिया हुआ है, उसका क्या हुआ।

श्री अध्यक्षः कब दिया है?

श्री हीरा नंद आर्यः आज सुबह ही दिया है। मैडिकल कालेज रोहतक के अंदर त्रिपुरा से एक लड़की एम0बी0बी0एस0 के कोर्स में दाखिला लेने के लिए आई थी। उसके साथ वहां पर मैडिकल कालेज के सीनियर डाक्टर ने रेप करने की कोि ा ा की है। लेकिन सरकार ने उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है। जब कोई लड़की स्टेट से बाहर की यहां पर पढ़ने के लिए आए और उसके साथ ऐसी घटना हो तो इससे बड़ी भार्म की बात और क्या हो सकती है।

श्री अध्यक्षः आप बैठ जाइये। मैं उसे देख लूंगा।

श्री बीरेंद्र सिंहः स्पीकर साहब, जब से हमने हो ा संभाला है और अखबार पढ़ने लगे है तब से हमने यही सुना है कि अगर कोई आनरेबल मैंबर विधान सभा में खड़ा होकर सारे हाउस के सामने यह कहे कि उनकी जान को खतरा है तो उसका सख्त नोटि लिया जाता है। इसलिए मेरी आपसे रिक्वैस्ट है कि जब एक मैम्बर इतने सीरियस ऐलिगै ान लगायैं और कहें कि उनकी जान को खतरा है पता नहीं दो तीन दिन के अंदर उसके साथ क्या हो जायेगा। उन्होंने टेलीग्राम भी दी है, बकायदा इतलाह दी है और इतलाह देने के दो तीन दिन के बाद अगर उसका एप्रिहैं ान हो और स्पीकर साहब के नोटिस में लाने के बाद स्पीकर द्वारा इस मामले को लाइटली लिया जाए तो मैं समझता हूं ठीक नहीं। इसके बाद मुख्य मंत्री यह कहें कि उनका पूरा ध्यान रखा जाएगा, कोई खतरा नहीं है, वास्तव में खतरा तो उनसे इनको है। (व्यवधान) तो स्पीकर साहब, आप इस मामले को लाइटली न लें। जो फेथ हमने आपमें रिपोज कर रखा है, इस सदन का कांफिडैंस आपके ऊपर है, उसको जरब न लगने दीजिए और आपको इस पर सीरियस एक ान लेना चाहिए, उसको लाइटली इग्नौर करने की जरूरत नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितनी बातें आपने कहीं, सब मैम्बर साहेबान ने ऐसी ही बातें कहीं है और सरदार लछमन सिंह जी ने भी यही कहा है। अगर आप इस

मसले पर अपने सुझाव देते कि यह करों जो स्पीकर कर सकता है, तो अच्छा होता। (व्यवधान)

श्री बीरेंद्र सिंहः आप मुझे बोलने दीजिए, मैं सुझाव देता हूं। मैम्बर साहब ने डैफिनेट और स्पैसिफिक एलीगै ांज लगाये है। इन एलगे ांज को मद्देनजर रखते हुए मुख्य मंत्री जी को और सरदार लछमन सिंह जी को अपने चैम्बर में काल–अप करें। इनके साथ ही साथ अपोजी ान के लीडर्ज और ग्रुप लीडर्ज और पार्टी लीडर्ज को भी अपने चैम्बर में काल–अप करें और इस मसले पर विचार करें। जो आदमी इनकी पार्टी से ताल्लुक रखता है, उसके साथ भी ऐसा सलूक हो रहा हो तो हम कैसे सुरक्षित रह सकते है। जब हमारे साथ ऐसा हादसा होगा तो क्या होगा? इनको तो प्रोटेक ान मिलेगी लेकिन अपोजी ान के सदस्यों के साथ अगर ऐसा होगा तो उसका पेट किस तरह भरेगा, अपोजी ान की तसल्ली किस तरह होगी। इसलिए मेरी आपसे रिक्वैस्ट है कि इन सब को अपने चैम्बर में काल–अप करें और इस मामले को भीघ्र थरे ा–आउट किया जाए। ये तीन दिन से एलीगे ान लगा रहे है, इसको थरे ा–आउट करके हाउस में अनाउंसमैट करें।

श्री अध्यक्षः अब आप बैठ जाइए।

आनरेबल मैम्बर्ज, मुझे श्री हुकम सिंह की तरफ से बाजरे के सीड की इनफीरियर क्वालिटी के बारे में एक काल अटैं ान मो ान का नोटिस मिला है।

श्री राम बिलास भार्मा: अध्यक्ष महोदय, रूल 84 के तहत मो ान दिया था कि डिस्ट्रिक्ट महिंद्रगढ़ में सैंकड़ों ट्रांसफार्मर जल गये है और बिजली न मिलने के कारण किसान बरबाद हो गये है। बैरेज के कंस्ट्रक ान की वजह से पीने के पानी का लैवल 30–35 फुट नीचे चला गया है क्योंकि बैरेज बन जाने से साहबी और दाहन नदियों का बरसाती पानी रूक गया है। किसानों ने बिजली के नये कनैक ांज के लिए दरख्वास्तें दे रखी है लेकिन वे यूं कि यूं पड़ी है। बिजली विभाग वाले बड़ा घटिया मैटीरियल इस्तेमाल कर रहे है। इसलिए स्पीकर साहब, मैंने रूल 84 के तहत मो ान दिया था, मैं चाहता हूं कि इस मसले पर डिटेल में बहस हो ताकि लोगों को दिक्कतें हाउस के सामने लाई जा सकें। आज हरियाणा करोड़ों रूपये का कर्जदार है लेकिन दूसरी तरफ इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड में फिजूलखर्ची बढ़ रही है। इसलिए इस पर बहस होनी चाहिए।

चौधरी साहब सिंह सैनी: स्पीकर साहरब, मैंने कल कुरूक्षेत्र वि वविद्यालय के वाइस चांसलर द्वारा की गई धांधली के बारे में रूल 84 के तहत नोटिस दिया था, उसकों एडमिट किया जाए। उसमें मैंने यह जिक किया है कि वी0सी0 ने फंडज का

मिसयूज किया है, वी0सी0 ने अपने परिवार को अनडयू फेवर दी है। इस पर बहस होनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः साहब सिंह जी, आप एडवोकेट है, इस ढंग से नहीं बोलना चाहिए। वह मैंने डिसअलाउ कर दिया है, भाायद आपके पास जवाब पहुंच गया होगा।

चौधरी साहब सिंह सैनीः स्पीकर साहब, फंडज का मिसयूज होनी पालिसी मैटर है। अगर यहां पनर इस मामलें पर डिस्क ान नहीं होगी तो कहां होगी, कौन देखेगा इस चीज को? जो पैसा हम देते है, वह खर्च करते है, बिल्डिंग बनाते है, फरनीचर खरीदते है, अगर उसको हम चैक7अप नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? सरकार ऐसे इंस्टीच्यू ांज को पैसा देती है, इस पैसे को किस ढंग से खर्च किया हैं, इसको चैक करना चाहिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः आप बैठ जाइए। आपकी जो सिसियैरिटी है, उसकों मैं मानता हूं लेकिन यहां पर जो रूल्ज है उनके मुताबिक मुझे चलना पड़ता है और रूल्ज इस मामले पर डिस्क ान की इजाजत नहीं देते।

चौधरी साहब सिंह नैनः स्पीकर साहब, इसके बारे में मैं पार्लियामैंट की प्रोसीडिंगज कोट करना चाहता हूं। रूल्ज तो आपके पास है, इधर मैं प्रासिडिंग्ज पढ देता हूं।

Mr. Speaker: We cannot discuss it under Rule 84.

डा0 भीम सिंह दहिया: स्पीकर साहब, यूनिवर्सिटी के बारे में सरकार की पालिसी क्या है, यह मैं बताना चाहता हूं। जनरल बात फंडज की है और इसको यहां डिस्कस करने की इजाजत है। जहां तक इंटरनल एडमिनिस्ट्रे ान की बात है, इस पर डिस्क ान नहीं कर सकते और हम इस मामलें पर डिस्क ान करना भी नहीं चाहते। सरकार इस इंस्टीच्यू ान को जो पैसा देती है, उस पर चैक होना चाहिए। किस ढंग से रूपया इस्तेमाल किया जाता है, हम इस पर डिस्क ान करना चाहते है और इसकी हमें इजाजत होनी चाहिए। आप अंडर रूल 84 के तहत डिस्कस कर सकते है।

श्री अध्यक्ष: अगर आप इस प्वायंट पर इतने ही फोर्टीफाईड है तो you may meet me in my Chamber. Either you convince me or I will convince you.

श्रीमती चंद्रावती: जनाब स्पीकर साहब, यह बात ठीक है, हम यूनिवर्सिटी के इंटरनल मामलों पर डिस्क ान नहीं कर सकते, लेकिन वहां का वाईस चांसलर भाई–भतीजवाद का जीता जागता सबूत है। यूनविर्सिटी में अपने लड़के–लड़कियों, दामाद और अन्य रि तेदारों को नौकरियां दे रहा है। इस को चैक करने के लिए डिस्क ान होनी चाहिए। क्या सरकार इसकी इन्कवायरी कराने के लिये तैयार है? यह हलका श्री साहब सिंह सैनी का हलका है, इसलिए वे इस बात पर ज्यादा जोर दे रहे है। स्पीकर साहब, हम आपके थ्रू गवर्नमैंट के नोटिस में लाना चाहते।

कि यूनविर्सिटी का माहोल बहुत खराब है, इस पर डिस्क ान होनी चाहिए।.....भ्रश्टाचार हो रहा है, मैं क्या करूं, यह मेरी डयूटी है कि मैं अपनी बात को आपके थ्रू सदन में लाउं।

श्री अध्यक्षः पैसे खाने वाली बात रिकार्ड न की जाए।

श्रीमती चंद्रावतीः स्पीकर साहब, मैंने कोई गलत बात नहीं कही, कोई अप ाब्द नहीं कहा। (व्यवधान) आप इसकी इन्कवायरी करवा लें।

चौधरी भजन लालः आप लिखकर भेज दीजिए, इन्कवायरी करवा लेंगे। (व्यवधान) बहन जी हम आपकी कदर करते है, आप पुरानी पार्लियामैंटेरियन है। आप सदन में खड़ी होकर ऐसी बात कहती है, यह आपको भाोभा नहीं देती। इसके जवाब में मैं भी कुछ कहूं, तो अच्छा नहीं लगता। आप जो कुछ कहती है उसका प्रूफ दीजिए, उदाहरण के साथ कोई वजनदार बात कीजिए।

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, मैं इस बात को एप्रि ाएट करूंगा कि अगर लीडर आफ दी हाउस कुरूक्षेत्र वि वविद्यालय के बारे में ब्यान दें और रूल 84 के तहत डिस्क ान हो। स्पीकर साहब, मेरी आपसे रिक्वैस्ट है कि इस पर डिसक ान ही इजाजत दे दें। मैंने भी इसके बारे में काल अटैं ान मो ान दी थी। मुझे मालूम है कि a lot of complaints

are there. मेरी आपसे सबमि ान है कि इसके बारे में कोई मैयर निकालें, हम कोई इल्जाम नहीं लंगाना चाहते लेकिन यह मामला हैपी नहीं हैं, यह ग्लेरिंग इंसटांस है क्योंकि वी0सी0 अपने खून के बेटे को बहुत तरक्कियां देते है। स्पीकर साहब, आप भी इस जिले को रिप्रेजेंट करते है.....

श्री अध्यक्षः आप बैठिए। मैं सैनी साहब के जजबात को महसूस कर रहा हूं और दहिया साहब के जजबात को भी महसूस कर रहा हूं। मैम्बर साहेबान ने ठीक कहा है कि मैं उसी जिले का हूं और सारी चीज जानता हूं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जहां ओटोनोमस बाडी और उसके डे–टू–डे की वर्किंग की बात हो, एम्पलायमेंट की बात हो, कौन सा प्रोफैसर कितनी तनख्वाह ले रहा है, इस तरह की कई बातें है जो आप लोग कहते है। दूसरी तरफ मेरे पास वाईस चांसलर के लैटर भी आ रहे है जिन में लिखा है कि फलां मैम्बर है जिनको उनके साथ पर्सनल ग्रज है और पर्सनल ग्रज की वजह से हमें बेइज्जत करना चाहते है, यूनिवर्सिटी का नाम बरबाद करना चाहते है। इन चीजों को देखते हुए मुझे दोनों तरफ देखना जरूरी हैं साथ ही साथ मैं आपको यह कह रहा हूं कि औटोनोमस बोडी की जो बात है, अगर उसके बारे में मेरे मन में कोई कंफयूजन है तो आप मेरे चैम्बर में आ जाएं और मुझे कंविंस करवा दीजिए, वरना मैं आपकों कंविंस करवा दूंगा। उसके बाद बार–बार ये बातें कहना ठीक नहीं।

लीडर आफ दी अपोजी ान, श्रीमती चंद्रावती जी से भी कहना चाहता हूं कि पता नहीं कौन करप्ट है और कौन करप्ट नहीं है। हर बार बिना किसी बेसिज के यह कहना कि सारा ऐडमिकिस्ट्रे ान करप्ट है और सारे औफिसर्ज रि वत खाते है भाोभा नहीं देता। यह तो वह बात हुई जैसे एक बाप अपने लड़कें को बार–बार कहे कि तुम खराब हो और बेटा यह कह दे कि खराब हूं तो खराब ही सही। (विघ्न) आप सारे औफिसर्ज को कहतीहै कि वे कमी ान लेते है या करप् ान कर रहे है। यह बात जायज नहीं है। आप स्पैसिफिक बात मुझे बताएं या चीफ मिनिस्टर साहब को बताएं। फिर अगर कोई ऐक ान न लिया जाये तो आप बात कहें कि मैंने यह इंस्टांस दिया था लेकिन उसके बाद भी कोई ऐक ान नहीं लिया गया।

श्रीमती चंद्रावतीः जनाब कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटी के वाईस चांसलर के बारे में उन्होंने **(11.00बजे)** आपको बताया है और कई बार सरकार के भी नोटिस में लाया गया है। हमें बार–बार इसलिये बात कहनी पड़ती है क्योंकि सरकार उस पर कोई एक ान नहीं लेती। मैं जो बात कहती हूं वह बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहती हूं। मुझे पता है कि हमारे यहां बहुत नेक औफिसर्ज भी है। मैं यह नहीं कहती कि सारे औफिसर्ज करप्ट है लेकिन ऐडमिनिस्ट्रें ान में भ्रश्टाचार है इस बात से भी कोई इंकार नहीं कर सकता। मैं स्पेसिफिक चार्जिज भी लगाउंगी, जब मौका आएगा। चूंकि नाम लेने पर यहां मनाही है इसलिए हमें इस तरह

की बता आपके जरियें कहनी पड़ती है। हमारी कुछ अनप्लेजैंट ड्यूटीज है। लोगों कें इंट्रैस्ट को वाच करने के लिए हमें इस तरह कहना पड़ता है।

श्री साहब सिंह सैनीः स्पीकर साहब, डिप्लोमा इंजीनियर्ज ने दिल्ली में धरना दे रखा है। उनक पे–स्केल्ज में कुछ ऐनोमली है। मुख्य मंत्री जी ने उनसे वायदा भी किया था लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। मैंने उनके बारे में एक काल अटैं ान मो ान दी थी। उसका क्या हुआ?

श्री अध्यक्षः वह डिस–अलाऊ हो गई है। मैंने आपको जवाब दे दिया है।

श्री हीरा नंद आर्यः अध्यक्ष महोदय, आपने अभी कहा कि जब तक स्पैसिफिक ऐलीगे ान न लगाई जाए तब तक कोई कार्यवाही करना संभव नहीं है। आपने यह भी कहा कि उस वाईस चांसलर के खिलाफ लिखित में मुख्य मंत्री जी से ि ाकायत करें, तब वे उसकी इंक्वायरी करवाएंगे। लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं कि एम0डी0यू0 के वाईस चांसलर के खिलाफ जो एक दर्जन विधायकों ने लिखित में ि ाकायत की थी उस पर क्या ऐक ान हुआ हैं?

श्री हीरा नंद आर्यः मैंने आर्डर किए थे कि विजिलैंस डिपार्टमैंट की रिपोर्ट ली जाए लेकिन इन्होंने आज तक उस पर

कोई कार्यवाही नहीं की अगर कोई कार्यवाही की गई हो तो ये हाउस को बताएं।

ि ाक्षा राज्य मंत्री (श्री जगदी ा नेहरा): स्पीकर साहब, ये सब मैम्बर्ज साहेबान जो वाईस चांसलर के खिलाफ स्पैसिफिक बेसिज बताए बिना ऐलिगे ान्ज लगा रहे है इन सबकों यूनिवर्सिटीज से निकाला हुआ है। मिसाल के तौर पर श्री भीम सिंह दहिया एम.डी.यूनिवर्सिटी के वाईस चांसलर के खिलाफ इसलिए ऐलिगे ान लगाते है क्योंकि इनको उन्होंने वहां से निकाला हुआ है। इसी तरह से श्री साहब सिंह सैनी का मामला है। इनकों वाईस चांसलर कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने यूनिवर्सिटी में जानें की इजाजत नहीं दी थी। इनको वहां से बाहर निकाल दिया था। (ाोर) श्री हीरा नंद आर्य को भी चूंकि एम.डी. यूनिवर्सिटी से निकाल दिया था इसलिये ये भी वहां के वाईस चांसलर के खिलाफ ऐलीगे ान लगा रहे है। अध्यक्ष महोदय, ऐसे ही किसी आदमी के खिलाफ ऐलीगे ान लगाना ठीक बात नहीं है। (विघन) डा0 मंगल सैन जी की हालत भी यही है। इनकी और चौधरी हरद्वारी लाल जी की आपस में नहीं बनती। इसलिये ये भी उनके खिलाफ काल अटैं ान मो ान दे रहे है। इनका यह तरीका ठीक नहीं है। (ाोर)

श्री हीरा नंद आर्य: अध्यक्ष महोदय, ये इसलिए उनकी वकालत कर रहे है क्योंकि इनकी उनके साथ सौदेबाजी हैं। (ाोर)

वैयक्तिक स्पश्टीकरण–

(1) श्री मंगल सैन द्वारा

श्री मंगल सैनः आन ए पर्सनल ऐक्सप्लेने ान सर। स्पीकर साहब, हाउस को चलाने का एक नियम है। स्पीकर साहब, आप हमारे राईटस के कस्टोडियन है। आपने आनरेबल मिनिस्टर को अपनी बात कहने का ठीक टाईम दिया लेकिन वे खड़े होकर वाईस चांसलर के डिफैंस में बोलने लग पड़ें। यही नहीं, उनकी डिफैंस में बोलते बोलते उन्होंने हमारे ऊपर बाइल्ड ऐलीगे ांज लगाने भाुरू कर दिये। स्पीकर साहब वाईस चांसलर्ज जो हमापरे बारे मैं लिखते रहते है वही बातें इन्होंने रिप्रडृयूस करने की कोि ा ा की। इन्होंने कहा कि मैं एम0डी0 यूनिवर्सिटी के वाईस चासलर का वैसे ही विरोध करता हूं लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं ईमानदारी से कहता हूं कि मेरी उनसे कोई पर्सनल दु मनी नहीं है। उनका मैं जो विरोध करता हूं वह उनकी हरकतों की वजह से कहता हूं। (विघ्न) श्री जगदी ा नेहरा साहब, आपके लीडर के ऊपर जो इल्जाम उन्होंनें अपने ऐफिडैविट में लगा रखें है उनहें आप हाई कोर्ट में जाकर देख लीजिए। आप लोगों में अगर गैरत होती तो आप उसको दुबारा वाईस चांसलर न लगाते। उसकी कलम से डर कर और अदालत से डर कर आपने उसको वाईस चांसलर लगाया है। हम तो उनका विरोध वहां होने वाली इर–रैगुलैरेटीज की वजह से करते है।

अध्यक्ष महोदय, इन्हौंने कहा कि इस हाउस के आनरेबल मैम्बर्ज को यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग से निकाल दिया गया। अगर यह बात सही है तो it is a slap on the face of the treasury benches. इन्हें मैम्बर की इज्जत प्रौटैक्ट करनी चाहिए। we have every right to entre into any Govt. building कोई हमें वहां जाने से रोक नहीं सकता। अगर कोई रोकता है तो it means that our privilege is being breached by that man. My friend does not know this thing. अगर ये गवर्नमैंट में होते हुए भी इस हाउस के आनरेबल मैम्बर्ज के राईटस को प्रोटैक्ट नहीं कर सकते तो यह इनके लिए बड़ी भार्म की बात है।

(2) डा0 भीम सिंह दहिया द्वारा–

डा0 भीम सिंह दहियाः अध्यक्ष महोदय, मैं भी पर्सनल ऐक्सप्लेने ान के नाते कुछ कहना चाहता हूं। मंत्री महोदय ने कहा कि मैं एम0डी0यू0 के बारे में इसलिए सवाल पूछता हूं या इल्जाम लगाता हूं क्योंकि मुझे वहां से निकाला गया है। मैं मानता हूं कि मुझे वहां से निकाला गया है लेकिन इन्हें यह भी पता होना चाहिए कि मुझे इसलिए निकाला गया था क्योंकि मैंने उस यूनिवर्सिटी के वाईस चांसलर द्वारा की गई गलत बातों की खिलाफत की थी। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि मुझे वहां से ठीक निकाला गया या गलत निकाला गया, इस बात के लिस इसी सरकार ने एक कमी ान आफ इंक्वायरी बैठाया था जिसका नाम दूलत कमी ान आफ इंकवायरी है। उस कमी ान

की रिपोर्ट को ये पढ़ कर देखें। उसे पढ़कर इन्हें यह भी पता चलेगा कि जो चार्जिज हमने लगाए थे वे साबित हुए है या नहीं हुए है। अध्यक्ष महोदय बड़ी भार्म की बात है वह रिपोर्ट दो साल से पड़ी है, उस पर मिट्टी चढ़ रही है। इन्होंने आज तक उस पर कोई ऐक ान नहीं लिया।

(3) चौधरी साहब सिंह सैनी द्वारा–

चौधरी साहब सिंह सैनीः अध्यक्ष महोदय, मैं भी एक मिनट के लिए पर्सनल ऐक्सप्लेने ान देना चाहता हूं। मंत्री महोदय ने कहा कि मुझे वि ववविद्यालय से निकाला गया। स्पीकर साहब मैं इस वि ववविद्यालय का न कभी स्टूडैंट रहा हूं और न ही किसी काम से कभी वहां गया हूं। इस वाईस चांसलर के खिलाफ पहले ही चेतराम कमी ान कर रिपोर्ट आई हुई है। इसक अलावा मेरे पास तीस ऐलीगे ांज का यह मैमोरैंडम है। इस मैं आपको देना चाहता हूं। आप इसे मुख्य मंत्री जी को दे दें और मुख्य मंत्री जी यह वायदा करें कि वे इसकी इंक्वायरी करवाएंगे। अगर ये चार्जिज साबित हो जाए तो इस वाईस चांसलर को उसी तरह से डिसमिस किया जाना चाहिए जिस प्रकार इसे हिमाचल प्रदे ा यूनिवर्सिटी से डिसमिस किया गया था।

स्पीकर साहब, ि ाक्षा मंत्री ने हमारे ऊपर जो वाइल्ड ऐलीगे ान लगाएं है उसके लिए उनको यहां क्षमा मांगनी चाहिए और वे भाब्द जो उन्होंने यहां कहें है विदड्रा करने चाहिए।

(4) श्री हीरा नंद आर्य द्वारा–

श्री हीरा नंद आर्यः अध्यक्ष महोदय, ि ाक्षा मंत्री महोदय ने यह कहने की हिम्मत की है कि सभी सदस्यों ने सारी ही बातें अपने व्यक्तिगत रंजि ा के कारण कही है। यह उनकी अपनी सूझ–बूझ हो सकती है। यह उनकी बात बिल्कुल निराधार है। स्पीकर साहब, मेरी श्री हरद्वारी लाल जी से कोई व्यक्तिगत रंजिस या झगड़ा नहीं है। उन्होंने जो गलत काम किया है उनके बारे में हमें ऐतराज हैं। दुल्लत कमी ान ने उनके खिलाफ रिपोर्ट दी है लेकिन इस सरकार की हिम्मत नहीं है कि उनके खिलाफ ऐक्ा ान लें।

श्री अध्यक्षः अब आप बैठिए।

ध्यानाकर्शण सूचना–

बाजरे के बीज की इनफीरियर क्वालिटी की सप्लाई संबंधी

श्री अध्यक्षः आनरेबल मैम्बर्ज, मुझे श्री हुकम सिंह की तरफ से बाजरे के सीड की इनफीरियर क्वालिटी की सप्लाई के बारे में एक काल अटैं ान मो ान का नोटिस मिला है मैं इसका एडमिट करता हूं। श्री हुकम सिंह जी अपना नोटिस पढ़ दें और मंत्री महोदय अपनी स्टेटमैंट दे दें।

श्री हुकम सिंह फोगाटः मैं इस सूचना के माध्यम से सरकार का ध्यान एक अत्याव यक लोक महत्व के विशय की ओर दिलाना चाहता हूं । इस साल हाइब्रिड (ांकर) बाजरे का बीज जो खेतीबाड़ी महकमे की तरफ से किसानों को बेचा गया, वो बहुत ही घटिया किस्म का था। इस बाजरे के पेड़ों में ऐसी बीमारी लगी जिनमें सिट्टे नहीं निकले और जो सिट्टे निकले उनके दानों को चेपा व दूसरी किस्म की बीमारियां लग गई। जिसके कारण किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस मामले की जांच करवाई जाए। जिस किसाने यह बीज बोया है उसकी स्पै ाल गिरदावरी करवाकर किसान को उचित मुआवजा दिया जाए वरना किसान को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ेगा।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): मैं इसका जवाब कल दे दूंगा।

वर्श 1983–84 के सप्लीमैंटरी एस्टीमेटस (पहली कि त) पर चर्चा तथा मतदान

(1) राज्य के राजस्वों पर प्रभावित व्यय के अनुमानों पर चर्चा।

(2) अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान।

Mr. Speaker: Hon. Members, the House will now discuss the Supplementary Estimates (First Instalment) for the year 1983-84.

According to the previous practive and to save the time of the House, all the demands on the order paper will be deemed to have been read and moved and discussed together. The Hon. Members will, however, while speaking indicate the demand No. on which they are raising discussion.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 1,85,00,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1984 in respect of Demand No. 11-Urban Development.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 1,42,26,000 for revenue expenditure and Rs. 12,84,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1984 in respect of Demand No. 13-Social Welfare and Rehabilitation.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 20 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1984 in respect of Demand No. 20-Forest.

श्री मंगल सैन (रोहतक): स्पीकर साहब, आज सदन में सरकार की ओर से सन् 1983–84 के सप्लीमैंटरी एस्टीमेटस पे । किये गये है। लगता है कि सरकार के पास समय नहीं था। अगर

सरकारी सारी स्टेट के हालातों पर विचार करके सप्लीमेंटरी एस्टीमेट्स पे ा करती तो अच्छा रहता। इस सरकार के पास सोचने का समय नहीं है क्योंकि चौधरी भजन लाल जी तो अपनी गद्दी बचाने में मस्त रहते है। पहले तो उनक गैरो से ही मुकाबला था अब अपनो से भी है। अगर चौधरी भाम ोर सिंह जी अपने दिमाग को अप्लाई कर लेते तो और भी पैसा यूनिवर्सिटी एस्टीमेटस के जरिए बाढ़ के लिए लिया जा सकता था। (विघ्न)

स्पीकर साहब, अभी तो मैं भूमिका बना रहा हूं। मेरे पास सब कुछ लिखा हुआ है। मेरा यह सौभाग्य है कि मैं 27–28 साल से एम0एल0ए0 हूं और मेरा यही भाुगल रहाहै। इनका जो फर्ज है मैं उसे याद दिलाता रहा हूं। सुरजेवाला जी, आपके ही डिपार्टमैंट में सब से ज्यादा तबाही हुई है। चौधरी भजन लाल जी ने माना है कि फलड की वजह से 70 करोड़ रूपये का फसलों तथा दूसरा नुक्सान हुआ है। तकरीबन पांच सौ गांव फलड से प्रभावित हुए है। भाहरों की तो बहुत ही बुरी हालत हैं। अगर मेरे रोहतक भाहर में जाना हो तो गोहाना और दिल्ली के रास्ते से नहीं जा सकते, सोनीपत के रास्ते से जाना पड़ेगा। अगर नरवाना से रोहतक जाना हो तो भी रूकावट आयेगी सड़के टूटी पड़ी है, पानी खड़ा हुआ है इसलिए इस सरकार को दूसर बार सप्लीमेंटर एस्टीमेटस लाने पड़ेंगे। स्पकीर साहब, इस सरकार ने रोडज एंड बिल्डिंग के बारे में भी तवज्जों नहीं दी है। मेरे अपने भाहर की ही हालत देख लीजिए। वहां पर चालीस किलोमीटर की सड़क है

जो बरबाद हो गई है। वहां पर कोई ऐसी सड़क नहीं है जो ठीक है। चौधरी भजन लाल जी वहां पर गये थे और लोगों से वायदा करके आये थे कि इन टूटी सड़को को बनवा देंगे।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): सड़कें तो तभी बनेंगी जब पहले पानी निकाल देंगें।

श्री मंगल सैन: आप इस वायदे पर तो जरूर कायम रहना और वायदों की तरह इस वायदे पर भी कच्चे न हो जाइये। अगर सरकार फलड रिलीफ और सड़कों की मुरम्मत के लिए इन सप्लीमेंटरीर एस्टीमेटस में पहले ही पैसा डाल देती तो ठीक रहता। इसी तरह से सरकार म्यूनिसिपल कमेटियों को ग्रांट दे देती ताकि वे कमेटियां अपने भाहरों की हालत को ठीक कर पातीं। रोहतक म्यूनिस्पिल कमेटी को एक करोड़ या दो करोड़ रूपया दे देते तो भाहर की हालत ठीक हो सकती थी। वहांपर सैनीटे ान की बहुत बुरी हालत हैं। बाढ के कारण रोहतक भाहर में बड़ी भारी गंदगी फैली हुई है। रोहतक में जो डी0सी0 लगे है वे बड़े नौजवाउन है, वे बड़ी ईमानदारी से काम कर रहे है लेकिन वे पैसा कहां से लायें? पैसा तो सरकार ने देना ळै। रोहतक म्यूनिसिपल कमेटी में केवल एक ट्रक है और दो ट्रैक्टर है। ट्रैक्टर्ज की तो बहुत बुरी हालत है। उनके छ टायर खराब हैं। रोहतक म्यूनिसिपल कमेटी को सरकार ने केवल पांच लाख रूपया दिया है। आप ही बताइयें कि पांच लाख रूपये से क्या बनेगा?

अगर रोहतक म्युनिसिपल कमेटी को कम से कम दो करोड़ रूपया ग्रांटदे दी जाती तो वहां की हालत में कुछ सुधार हो जाता।

स्पीकर साहब, इन सप्लीमेंटरी एस्टीमेटस में तो ाम का भी जिक्र है। हरियाणा की राजनीति में इस इलाके का बड़ा अच्छा स्थान रहा है। वहां पर सरकार ने पी0डब्ल्यू0डी0 स्टोर के लिए जगह ली थी। सरकार ने पहले जो कम्पैंस ान का पैसा दिया था उसे कोर्ट ने बढा दिया है क्योंकि सरकार ने कम कम्पैंस ान दिया था। इसी तरह से मैसर्ज राम जी दास भार्मा एंड संस को भी सरकार ने पैसा दिया हैं। सोनीपत में जो कम्पलैक्स बना है यानी सैक्रेटेरिएट बना है उसके लिए जमीन एक्वायर की थी जब यह जमीन एक्वायर की गई तो थोड़ा पैसा दिया गया लेकिन अब कोर्ट ने उसे बढ़ा दिया है। अब एक और भी यहां बात आती है कि इस सैक्रेटेरिएटस को बनाने के पीछे सरकार कीक्या पालिसी है, ये किन किन जिलों में बनाये जायेंगे। ंपता नहीं रोहतक जिले को क्या इग्नोर किया गया है? वहां पर सैक्रटेरिएट क्यों नहीं बनाया जा रहा है? क्या इसका कारण यह तो नहीं है कि चुनाव में रोहतक जिले से एक आदमी ही कांग्रेस का चुन कर आया है और वह भी इधर उधर की मदद से चुन कर आ गया। रोहतक जले के साथ बहुत ज्यादा ज्यादती हो रही है। रोहतक के बारे में हरियाणा प्रदे ा के प्रधान श्री सुल्तान सिंह ने भी कहा है कि इस जिले के साथ सौतेली मां का व्यवहार हो रहा है। हरियाणा में किसी भी भाहर की ऐसी बुरी हालत नहीं होगी

जैसे रोहतक की है। क्या रोहतक की बुरी हालत इसलिए है कि रोहतक भाहर से अपोजी ान का आदमी जीत कर आता है? मैं नहीं समझता कि सरकार की ऐसी नियत है और अगर हे तो बहुत बुरी बात है। डैमोक्रैसी में ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार सब जगहों से टैक्स के रूप से पैसा वसूल करती है। रेवैन्यू हर भाहर और गांवों से आता है। जब रोहतक भाहर बराबर रैवेन्यू देता है तो उसकी मेनटेनैंस पर भी बराबर का पैसा खर्च होना चाहिए।

डिमांड नं0 11 में फरमाया है कि गवर्नमैंट आफ इंडिया ने ने ानल कैपिटल रीजन बनाया है। मेरी समझ में नहीं आया कि उस ने ानल कैपिटल रीजन से रोहतक भाहर को कैसे इग्नोर कर दिया गया। क्या इसके पीछे कोई पोलिटिकल कारण तो नहीं है? रोहतक भाहर सारी कंडी ांज पूरी करता है, वहां युनिवर्सिटी भी है, मैडिकल कालेज भी है और भी सभी प्रकार की सुविधायें उपलब्ध है लेकिन न जाने उसे कैसे इग्नोर कर दिया गया? गवर्नमैंट आफ इंडिया की मिनिस्टरी आफ हाउसिंग ने एक करोड़ 85 लाख रूपया मंजूर किया है। यह पैसा पानीपत, कुरूक्षेत्र, करनाल और गुड़गांवा भाहरों को दिया जायेगा और उतना ही पैसा हरियाणा सरकार इन भाहरों को मैचिंग ग्रांट के रूप में देगी। यह सैंट्रल स्पोंसर्ड स्कीम है। इसलिए मेरी सरकार से रिक्वैस्ट है कि इस स्कीम में रोहतक भाहर को भी भाामिल किया जाये। अगर इस योजना में करनाल भाामिल हो सकता है, कुरूक्षेत्र भाामिल हो सकता है तो रोहतक क्यों नहीं हो सकता?

हमें किसी दूसरे के बारे में कोई ऐतराज नहीं है। बड़ी खु ाी की बात है ये जिले भाामिल होने चाहिए लेकिन रोहतक जला तो दिल्ली के साथ सटा हुआ है और दिल्ली की आबादी का बोझ इसी जिले के ऊपर रहता है। (इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए) डिप्टी स्पीकर साहब, मैंने आज सुबह ही एक सप्लीमैंअरी मुख्य मंत्री जी से पूछा था। उसके जवाब में मुख्य मंत्री जी ने यह जवाब दिया था कि हुड्डा के माध्यम से 25 करोड़ रूपया जो इन्होंने इक्टठा किया था, वह लगातार दे रहे हैं। मैं आपके द्वारा मुख्य मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि रूपया इक्ट्ठा करते समय आपको कोई न कोई प्रोपराइटटी तो मेनटेन करनी चाहिए थी कोई सिद्धांत तो अपनाना चाहिये था। 200 या 400 प्लाट्स के लिये जो पैसा टैम्पोरेरी तौर पर आया था वह किस सिद्धांत के तहत बिजली बोर्ड को दे दिया जो कि एक दूसरी दिवालिया कम्पनी है। यह बात हमारी समझ में नहीं आती। फिर आप यह कहते है कि हम बैंकरप्ट नहीं है, दिवालियें नही है। भजन लाल जी, रोहतक में पी0डब्ल्यू0डी0 का जो सर्कल है, उसमें आज नौ महीने हो गये है लेकिन लैटर आफ कैडिट अभी तक नहीं पहुंचा। फिर आप यहां पर डींगे मारो, यह कहां तक ठीक है? क्या रोहतक के साथ ही जयादती है या आपकी योजनाएं ही अनाप– ानाप है, इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मैं इतना जरूर चाहता हूं कि हमारे रोहतक जिले को भी इस योजना में भाामिल किया जाना चाहिए। डिपटी स्पीकर साहब, इसके बाद डिमांड नं0 13 में इन्होंने 12 लाख 84 हजार रूपये की

मांग पे ा की है। सो ाल वैल्फेयर डिपार्टमैंट एक बहुत ही अच्छा डिपार्टमैंट है। यह डिपार्टमैंट समाज के कमजोर वर्ग, असहाय लोगा या बदकिस्मत आदमी जो आर्थिक तौर पर या भाारीरिक तौर पर कमजोर है, उनकी कुछ मदद करता है यह सरकार का फर्ज है कि वह कमजोर वर्ग की देखभाल करे और उनको संभाले। जो ओल्ड एज पैं ान लोगों को 50 या 60 रूपये महीना मिलती है, वह मैं समझता हूं कि नाकाफी है। आजकल महंगाई के समय में इससे क्या बनता है? यह रा ि ा बढ़ाकर कम से कम 200 रूपये की जानी चाहिये ताकि लोग अपना गुजारा तो कर सकें। इसी तरह से डिप्टी स्पीकर साहब, फारैस्ट के महकमें की बात भी यहां पर कहना चाहता हूं। इसकी बड़ी तारीफ हो चुकी है। अखबारों ने भी इस सरकार को इस बारे में काफी सेवा की है। बार–बार एतराज उठाया गया कि आप सरकारी प्रौपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकते और न ही आप सरकारी आफिसर्ज को डैपुटे ान भेज सकते हो। इसके अलावा सैंट्रल गवर्नमैंट ने भी बार बार लिखा लेकिन यह सरकार अपनी मनमानी किये जा रही है। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं यह कहना चाहता हूं कि जो रूपया हमसे मंजूरी के लिये मांग रहे है, इसमे पलवल के अस्पताल की जमीन के बारे में, नारायणगढ़ के अस्पताल की जमीन के बारे में और तो ाम के पी0डब्ल्यू0डी0 स्टोरैज के बारे में लैंड एक्वीजी ान करते समय कम पैया दिये जाने के कारण मांग रहे है। मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार को इस बात के लिये पहले ही ध्यान कर लेना चाहिये कि किसानों को सही मुआवजा

दिया जाये ताकि उन बेचारों को अदालतों के धक्के न खाने पड़ें। लिटीगे ान में कितना रूपया बर्बाद होता है, डिप्टी स्पीकर साहब, आप तो खुद वकील है, आपको पता ही है। हाल ही में जो संकट आया है, यह संकट इंसान का बनाया हुआ है। मुख्य मंत्री जी सारी परिस्थितियों को देखते हुए अपने डिपार्टमैंटस को खींचते तो अच्छा होता। अगर आपके ड्रेनेज डिपार्टमेंट ने सावधानी बरती होती और पी0डब्ल्यू0डी0, पब्लिक हैल्थ ने सावधानी से काम किया होता, गफलत न की होती और किमिनल नैगलीजैंस ने किया होता तो यह संकट न आता। रोहतक भाहर की म्यूनिसिपल कमेटी ऐसी है जो टोटली तोड़ने लायक है। इस म्यूनिसिपल कमेटी में कोई एक–आध ही आदमी ऐसा होगा जो ईमानदार होगा। भजन लाल जी वहां पर गये थे और यह बात इनके नोटिस में भी आई होगी कि वहां पर बेईमानी काफी है। सुरजेवाला साहब तो वहां पर घूमते ही रहते है। यह वहां पर गये, अच्छी बात की। यह इनका फर्ज था। सप्लीमैंटरी एस्टीमैंटस पर मैं इतना ही कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं।

चौधरी साहब सिंह सैनी(थानेसर): उपाध्यक्ष जी जो सरकार ने ये सप्लीमेंटरी एस्टीमेटर हाउस की मंजूरी के लिये पे ा किए है, मैं इनका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। सबसे पहले मैं इस में डिमांड नं0 8 जो बिल्डिंग्ज और रोडज के बारे में है, के बारे में बोलूंगा। उपाध्क्ष जी, आपको पता ही है और जैसे कि डाक्टर साहब ने बताया भी है कि हमारे प्रांत की

सड़कों की इतनी खराब हालत है कि पता नहीं इनके ऊपर जो मैटिरियल लगाया जाता है, वह कहां से परचेज किया जाता है कि सड़क बनते ही टूट जाती है। मैं कुरूक्षेत्र जिले की सड़कौं के बारे में बताना चाहता हूं। वहां पर मेले के दौरान कुछ सड़कें बनाई गयी थी और इन पर पूरा मैटीरियल भी लगाया गया था, ऐसा बताया गया है। लाखों रूपया इनके बनाने पर खर्च किया गया, लेकिन मेला खत्म होने के बाद दो महीने के अंदर ही इनकी हालत बहुत खराब हो गई और तीन तीन, चार चार फुट के खड्डे पड़ गये। जब मैटीरियल ही घटिया और कम लगाया जायेगा तो सड़कें ज्यादा देर तक कैसे चल सकती है। जब यहां पर यह पूछा जाता है कि यह सड़क क्यों टूट गई तो ये कहते है कि हम क्या करें, पता नहीं अधिकारीगण क्या करते है प्र ाासन ठीक ढंग से कोई जवाब ही नहीं दे पाता। इसके दूसरी तरफ सरकार की तरफ से बार–बार यह आवाज आती है कि इन सड़कों को ठीक करने के लिए पैसा चाहिये। आप चाहें तो देहात की सड़कों की पोजी ान देख लीजिये। कुछ गांव तो अभी तक भी सड़कों से जुड़े ही नहीं है। जो जुड़ भी गये है उनकी सड़कों की हालत इतनी खस्ता है कि वहां पर बड़े–बड़े खड्डे पड़े हुए है इन खड्डों को बंद होने का सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि जहां तक इनको रिपेयर करने की बात है जो आदमी इस पर लुक डालता है वह थोड़ी सी लुक डाल कर ऊपरी बजरी डाल देता है जिस वजह से वह खड्डे फिर टूट जाते है। डिप्टी स्पीकर साहब, आपका तो खादर का एरिया है। आपको तो पता ही है वहां जो

सड़कें बनी हुई है वे बरसात के पानी से बिल्कुल ही बरबाद कर दी है। उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। देहात की सड़कों की भी यही हालत है और भाहर की सड़कों की भी यही हालत है। अम्बाला से पिपली तक जी0टी0 रोड़ वाली सड़क की इतनी बुरी हालत है कि अगर आपके पास रात के समय लाईट वगैरा खराब हो जाये तो एक्सीडैंट हो जाये और होत भी रहते है। डिप्टी स्पीकर साहब, यह जो सरकार हमसे बार–बार इस काम के लिये पैसे की मांग करती रहती है, यह न करनी पड़े अगर ठीक मैटीरियल परचेज करें और पूरा माल लगायें। अगर ऐसा करे तो काफी हद तक यह सामान्य हल हो सकती है। आपको तो उपाध्यक्ष जी, पता ही है कि सरकार कैसे काम कर रही है। कहती कुछ है और करती कुछ है। मैटीरियल अगर ठीक लगाये तो काफी हद तक यह समस्या कम हो सकती है। इसके बाद मैं डिमांड नं020 जो फौरेस्ट विभाग के बारे में है कहना चाहता हूं । इस पर पिछले सै ान में भी काफी डिस्क ान हुई थी। उस समय हमने काफी औब्जैक ान रेज किये थे। हमने यह कहा था कि फौरेस्ट डिवैल्पमैंट बोर्ड के फाइनैंसिज का रैगुलेट करने का कोई तरीका निर्धारित नहीं किया गया है। बिला पैसे से यह किस प्रकार चलेगा। इसके अलावा इसका हिसाब–किताब किस प्रकार से होगा, कौन इसकी चैकिंग करेगा? फौरेस्ट डिवैल्पमैंट बोर्ड के लिये पैसा असैम्बली से पास होगा या नहीं होगा यह स्पश्ट हनीं है। हमारी इन बातों की ओर से सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही। हमने जो बाते उस समयकही थी उनको मानने के लिये इस

सप्लीमेंटरी एस्टीमेटस के जरिए डिमांड दी गई है। इसमें यह लिखा है कि क्योंकि उस वक्त बोर्ड के फाइनैंसिज के बारे में कोई फैसला नहीं हुआ था। इसलिये यह मांग की जा रही है। हमने उस समय भी सरकार को यह कहा था कि जो बोर्ड आप बना रहे है, यह पार्लियामेंटरी इनैक्टमैंट के विरूद्ध है। पहले आर्डिनैंस के जरिये फिर बिल के माध्यम से यह जो आफिसर्ज और डिवीजंज आप बोर्ड को ट्रांसफर कर रहे हो, यह सही नहीं है क्योंकि पार्लियामैंट ने इसके बारे में पहले ही इनैक्टमैंअ की हुई है। मुख्य मंत्री जी को भी पता है कि सैंट्रल गवर्नमैंट ने इसके बारे में औब्जैक ान किया है और इसके बारे में एक मुकदमा हाई कोर्ट में भी पैंडिंग है। इसके जवाब में केंद्रीय सरकार ने जो रिटन रिप्लाई फाईल किया है, उस में यह लिखा है कि हमने तो मंजूरी नहीं दी है। (व्यवधान)

चौधरी भजन लालः उपाध्यक्ष महोदय, साहब सिंह सैनी खुद वकील है और ये बता रहे है कि मामला हाई कोर्ट में चल रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, जो मामला हाई कोर्ट में चल रहा हो क्या वह मामला हाउस में डिस्कस हो सकता है?

चौधरी साहब सिंह सैनीः उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो सदन को यह बता रहा था कि केंद्रीय सरकार ने पहले ही बोर्ड बनाने पर आब्जैक ान किया था। मुख्य मंत्री को भली भांति पता है कि केंद्रीय सरकार ने जो जवाबी दावा दायर किया है। उसमें लिखा हे कि हमने हरियाणा सरकार को बोर्ड बनाने की इजाजत नहीं

दी। मेरा तो मतलब यह है कि केंद्रीय सरकार ने अभी तक इस बिल को मंजूरी नहीं दी है जिसके थ्रू हरियाणा सरकार ने फौरेस्ट डिवैल्पमैंट बोर्ड बनाया है।

उपाध्यक्ष महोदय, जब यह सरकार फौरेस्ट बोर्ड के लिए ग्रांट–इन–एड की डिमांड कर रही है और यह प्ली दी जा रही है कि चूंकि यह बोर्ड एक आटोनोमस बोडी है इसलिए हम इसको ग्रांट–इन–एड देंगे। मैं मुख्य मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि ग्रांट–इन–एड उस कार्पोरे ान या बोर्ड को दी जाती है जिसकी फाइनैंि ायल पोजी ान खराब हो, जहां घाटा हो रहा हो जिसके पास पैसा न हो, जिस तरह हम घाटा होने पर यूनिवर्सिटी को, बोर्ड या कार्पोरे ान को देते है। यह सरकार ग्रांट–इन–एड के माध्यम से फौरेस्ट बोर्ड को पैसा देना चाहते है और मेरे ख्याल में यह गैर कानूनी है क्योंकि बोर्ड को कोई घाटा नहीं हो रहा है। इसकी फाइनैंि ायल पोजी ान खराब नहीं है और न ही कोई प्र ाासनिक अड़चन ही है।

श्री अध्यक्षः आप जल्दी खत्म करें। आपका टाईम हो चुका है।

चौधरी साहब सिंह सैनीः दो मिनट में खत्म कर दूंगा। इसके साथ ही साथ मैं सदन को बताना चाहता हूं कि फौरेस्ट डिवैल्पमैंट बोर्ड के अकाउंटस ए0 जी0 को भेजे गए। उपाध्यक्ष महोदय आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि ए0 जी0 हरियाणा ने

कहा है कि फोरैस्ट डिवैल्पमैंट बोर्ड के अकाउंट का कोई पैटर्न निर्धारित नहीं है इसलिए हम इसका औडिट नहीं करेंगे। ए0 जी0 हरियाणा ने औबैजक ान रेज किया है और ए0 जी0 हरियाणा ने सी0 ए0 जी0 को भी लिखा है लेकिन हरियाणा सरकार ने ए. जी. के औबैजक ान पर कोई ध्यान नहीं दिया है और न ही उस औबैजक ान को सुधारने की कोि ा ा की है। उपाध्यक्ष महोदय, जो आटोनोमस बौडीज है उनके अकाउंटस लोकल फंड कंट्रोलर औडिट करता है लेकिन फौरेस्ट डिवैल्पमैंट बोर्ड के अकाउंटस लोकल फंड कंट्रोलर को नहीं भेजे गए। इस प्रकार की इल्लीगैलिटीज और इररैगूलैरेटीज उस फोरेस्ट डिवैल्पमैंट बोर्ड में हो रही है जो बिल के माध्यम से बनाया गया था। उसके ऐस्टीमैटस विधान सभा के पास करवाना बिल्कुल गलत है, गैर कानूनी है। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि 1982–83 को फौरेस्ट डिपार्टमैंट का बजट फौरेस्ट डिवैल्पमैंट बोर्ड को दे दिया और इस प्रकार ग्रांट–इन–एड की डिमांड हाउस से पास करवा कर बोर्ड को पैसा दिया जा रहा है। ये सारी गलत बातें है। मैं सदन को यह भी बताना चाहता हूं कि फौरेस्ट डिवैल्पमैंट बोर्ड ने जी0टी0 रोड़ के साथ साथ बहुत सारे पेड़ काट दिए है और जो नए पेड़ लगाए है वे सिर्फ यह दिखाने के लिए कि बोर्ड ने बहुत काम किया है और बहुत अधिक पेड़ लगाए है, लेकिन इंटीरियर में हालत यह है कि बोर्ड ने कोई काम नहीं किया है। अगर सही तरह से पैसा खर्च किया जाता और ठीक काम किया जाता तो फौरेस्ट डिवैल्पमैंट बोर्ड के लिए पैसे की

जरूरत नहीं थी। मेरे ख्याल में यह डिमांड जैनुअन नहीं है। मेरी सदन से प्रार्थना है कि इसको रद्द किया जाए और सदन इस डिमांड को पास न करे।

श्री भागी राम(ऐलनाबाद–अनुसूचित जाति): उपाध्यक्ष महोदय, हाउस में अनुपूरक अनुमान की पहली किस्त सरकार सदन से पास करवाना चाहती है। उपाध्यक्ष महोदय, ये मांगे मैजोरिटी के बल पर पास तो हो जाएंगी लेकिन फिर भी मैं इनका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। सबसे पहले मैं डिमांड नं0 8 को लेता हूं जो बिल्डिंग्ज और रोडज के बारे मैं है। उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा के अंदर सड़कों का क्या हाल है यह सब को पता है। सिरसा जिले में बहुत सी ऐसी सड़कें है जिनको पंद्रह–पंद्रह साल बने हो गए है लेकिन अब तक उन सड़कों पर कोई मुरम्मत का काम भ्रुरू नहीं हुआ है। हरियाणा में जो सड़कें बनाई जाती है उनका मैटीरियल जैसे ईंटे, सीमेंट, तारकोल आदि पता नहीं कहां से लाया जाता है सड़क अभी बनकर तैयार नहीं होतीकि उससे पहले ही उखड़ना भ्रुरू हो जाती है। इसी तरह से बिल्डिंग्ज जो बनाई जाती है, उनका हाल है। बिल्डिंग्ज पूरी होने से पहले ही गिरनी भ्रुरू हो जाती है। दीवार फट जाती है, छत गिर जाती है। कहने का मतलब यह है कि बिल्डिंग्ज और रोड़ज का बहुत बुरा हाल है। आज सवेरे ही चौधरी भजन लाल जी कह रहे थे कि हरियाणा में कोई गांव ऐसा नहीं है जो सड़क से न जुड़ा हो। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि हरियाणा में हजारों गांव ऐसे है

जिनमें सड़कें नहीं है। मेरी अपनी कांस्टच्युएंसी में नौ सड़कें ऐसी है जो बहुत दिनों से मंजूर हुई पड़ी है, इनमें से कई सड़कें तो चौधरी देवी लाल के समय में मंजूर हुई पड़ी है, लेकिन अब तक कोई काम उन सड़कों पर नहीं हुआ है। मेरे हल्के में एक गांव मौजूखेड़ा हे वहां पर सड़क बनाने के बारे में चीफ मिनिस्टर ने आ वासन दिया था लेकिन हालत यह है कि सड़क तो क्या बननी थी, साइड पर पड़ी हुई ईंटें भी उठवा ली गई। मेरे हल्के में रामपुर थेड़ी, थेड़ सहिदा, मंजिल थेड़, धर्मपुरा, संतोखपुरा, रन्जीतपुर थेड़ी, केयरवाला से चक्का, मौंजूखेड़ा, घमोड़ा खेड़ा, और आठबुर्जी गांव है जहां पर सड़क नहीं है और चीफ मिनिस्टर साहब कहते है कि हरियाणा में कोई गांव ऐसा नहीं है जो सड़क से न मिला हो।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं डिमांड नं0 11 जो भाहरी विकास से संबंधित है, के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मेरी कांस्टच्युएंसी में रानियां और ऐलनाबाद दो कस्बे है। यहां पर गुरूद्वारा रोड और ममेरा रोड़ दो रोडज है जिनकी हालत बहुत ही खराब है। यहां पर पानी खड़ा हुआ है। सिरसा जिलें के दो मिनिस्टर यहां बैठे है और तीसरे की छुट्टी कर दी गई है लेकिन फिर भी सिरसा जिले के साथ बहुत ही भेदभाव की नीति बरती जाती है। रानियां डबवाली, और कालांवाली में हरिजन बस्तियों की हालत बहुत ही खराब है। वहां से कोई आदम आसानी से गुजर नहीं सकता। यहां पर लछमन दास अरोड़ा और

जगदी ा नेहरा दो मिनिस्टर बैठे है लेकिन ये भी सिरसा जिलें के लिए कुछ काम नहीं करवा सकते। पिछले दिनों जगदी ा नेहरा ने एक पब्लिक मीटिंग में लोगों को कहा कि तुम्हारे काम कैसे हो सकते है तुमने तो भागीराम को जिताया है। कितन अफसोस की बात है कि एक मिनिस्टर पब्लिक जल्से में यह कहे कि आपने अपोजी ान के एम0एल0ए0 को जिताया हैं इसलिए कोई काम नहीं हो सकता।

डिप्टी स्पीकर साहब, अब मैं समाज कल्याण के बारे में कहना चाहता हूं। हरिजन कल्याण निगम और हरिजनों के बारे मैं बहुत कुछ कहा जाता है कि हरिजनों की भलाई के लिए यह सरकार बहुत कुछ कर रही है। जब भी हरिजनों के बारे में कोई कागज पत्र सरकार के पास जाता है तो बहुत जोर से गीत गाये जाते है लेकिन वास्तव में होता कुछ भी नहीं है। डिप्टी स्पीकर साहब, यह सरकार वृद्धावस्था पैं ान देती है लेकिन हातल यह है कि चार–पाच साल से लोगों ने फार्म भरे हुए है अभी तक उनके पास कोई लैटर नहीं गये और न ही उनकी कोई पें ान ही मंजूर हुई है। जिन लोगों की मंजूर हुई भी है, उनको अभी तक कोई पैसा नहीं मिला है। मेरे अपने गांव के चार आदमियों को पैं ान मिलती है। वे कह रहे थे कि पिछले छः महीने से हमें अभी कोई पैसा पैं ान का नहीं मिला है। मेरे अपने हल्के के एक गांव हरिपुरा में सन 1982 में एक सरपंच ने एक रेजोल्यु ान पास करवाया था कि हरिजनों को मकान बनाने के लिये प्लाटस दिये

जाएं और उस वक्त सरकार की तरफ से 63 हरिजनों को प्लाटस भी दिये गये। अब पंचायत के नये इलैक ान हुए और जो वहां का नया सरपंच चुना गया, उसने पता नहीं इस पहले वाले रेजोल्यु ान को क्यों फाड़ कर फैंक दिया है। उन प्लाटों के जो नक ो है वे पास हुए पड़ें है। जहां हरिजनों के प्लाटस थे जहां पर उन लोगों ने कच्ची पक्की झोपड़ियां डाल रखी थी वहां पर उस सरपंच ने अपने दम पर दो–ंतीन ट्रैक्टरों द्वारा करवा फिरवा दिया वहां पर एक सताधारी आदमी है उसका कब्जा करवाने की सोची जा रही है और उस जमीन पर अब जवार बिजवा दी गयी हैं। (ोम भोम की आवाजें) मुझे यहां तक पता चला है कि उस सरपंच का बहनोई उस सारी जमीन पर कब्जा करना चाहता है। 13–14 एकड़ जमीन ऐसी है जोकि हरिजनों को प्लाटस के लिये दी गई हैं, मगर सारी की सारी जमीन पर वह सरपंच अपने बहनोई का कब्जा करवाना चाहता है। इन हरिजनों ने वहां के डी0 सी0 महोदय की कोठी पर प्रोटैस्ट के तौर पर धरना भी दिया था। लोगों ने होम मिनिस्टर साहब से भी मुलाकात की लेकिन वह आदमी इतना ताकतवर है कि वह भजन लाल जी और दूसरे मिनिस्टरों की कोई परवाह नहीं करता। पता नहीं वह आदमी इन लोगों की भाह पर ही इतना सारा कुछ कर रहा है। मैं यह बात बड़ी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं। मैंने पहले भी बताया था कि उन प्लाटों के नक ो भी लोगों ने मकान बनाने के लिए बनवा लिये कब्जा भी लोगों के पास है, और फिर उन गरीब हरिजनों को यह कह दियागया कि आपको किसी दूसरी जगह पर प्लाटस

दे दिये जाएंगे। इन लोगों ने वहां पर अपनी कच्ची पक्की झोपड़ियां भी बना रखी है। पता नहीं सरकार को अब कौन सी दिक्कत आ गई है, जिसके कारण पहले अलाटीज को वहां से भगाया जा रहा है। उन लोगों को यह भी कहा जा रहा है कि आप सरकार से समझौता कर लो। भाायद इसलिये कह रहे हे कि उनकी जमीन पर उस सरपंच ने करवा फिरवा दिया। करवा इसलिए फिरवाया क्योंकि उन लोगों ने सरकार के खिलाफ वोट दिया था। (इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए) स्पीकर साहब, मैं बताना चाहता हूं कि लोगों ने होम मिनिस्टर साहब से भी इस बारे में बातचीत की थी और उन्होंने हरिजनों को आ वासन भी दिया था कि उनके प्लाटस दे दिये जाएंगे लेकिन कितने अफसोस की बात है कि यह सरकार उन अलाटीज को उजाड़ने पर उतारू है। स्पीकर साहब, जो रेजोल्यू ान था उसमें यह लिखा हुआ था कि बीस सूत्रीय कार्यक्रम को कामयाब करने के लिये यह प्लाटस दिए जाएंगे लेकिन पता नहीं भजन लाल जी का यह 420 सूत्रीय कार्यक्रम है या बीस सूत्रीय कार्यक्रम है, जिसके तहत यह सरकार इस तरह का काम करने जा रही है? स्पीकर साहब, आप इन्हें समझायें क्योंकि ये आराम से मानने वाले नहीं है। आप इनको झाड़ डाले ताकि इनको भार्म आये। आज गांवों के अंदर गरीब लोगों के साथ, कमजोर वर्ग के लोगों के साथ, पिछड़े वर्ग के लोगौं के साथ सत्ताधारी लोग बेदखली फैला रहे है। अगर कोई व्यक्ति कांग्रेसी नहीं है तो उसको बसने की इजाजत नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, चारों तरफ ही अंधेरा फैला हुआ है जैसे कि लछमन सिह जी कह रहे थे। आज अगर वे डिसीडैंट बन गये तो उनको मरवाने की बात हो रही है इसी तरह से चौटाला में हुआ है। थाने में हरिजनों को मारा गया और पुलिस वाले उसको गाड़ी में लदवा के कहीं दूसरी जगह ले गये। कोई कहता है कि चीफ मिनिस्टर मरेा आदमी है, कोई कहता है कि मैं उनका साला हूं, कोई कहता है कि मैं उनका बहनोई हूं। जो लोग हरिजनों को तंग करते है मार पीट करते है उनको पुलिस भी कुछ नहीं कहती। इस तरह से आप ही बताओं कि हरिजन जताएं तो कहां पर जाएं?

अध्यक्ष महोदय, अब मैं डिमांड नं0 20 पर फारेस्ट के बारे में कहना चाहता हूं कि इसका हरियाणा प्रांत के अंदर बहुत बुरा हाल है। मेरे अपने गांव की पचास एकड़ जीमन फारेस्ट वालों को दी गई है। वह जमीन दस सालों से दी हुई है। लेकिन उस जमीन अब तक भाायद कोई भी दरखत नहीं उगा है। अगर कहीं एक आध उगा भी है तो वह फारेस्ट विभाग की तरफ से नहीं उगाया गया हैं। नहरों और सड़को के किनारों पर जो कीकर के वृक्ष लगाये गये है, उनको कोई खास लाभ नहीं है, न ही वे किसी काम ही आते है। छोटे–छोटे दरखतों को भी काटा जा रहा है। अभी ऐलनाबाद में किसी मिनिस्टर साहब के यहां भाादी थी। उस वक्त सफाई करने के बहाने से सड़क के दोनो तरफ छोटे–छोटे दरखतों को काट दिया गया। इस तरह से बहुत

बुरा हाल हरियाणा में फारेस्ट का हो रहा है। स्पीकर साहब, आप इन सभी मिनिस्टरों को एक मीटिंग में बुलाएं और डांटे ताकि ये जो इस तरह की हरकतें कर रहे है इनको बंद करें। (ाोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्षः भागी राम जी मैं आपको ही नहीं डांट सकता तो इनको कैसे डांटूगा?

श्री भागी रामः अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं आपका धन्यवाद करता हुआ अपना स्थान लेता हूं और यह कहकर अपना भाशण समाप्त करता हूं कि यह बातें इन के लिये बड़ी भार्मनाक है। इन को ऐसा तरीका अपनाना चाहिये जिससे हरियाणा प्रांत का भला हो सकें।

श्री कंवल सिंह (धिराये): अध्यक्ष महोदय, यह जो सप्लीमैंटरी ग्रांटस हाउस के सामने डिस्कस हो रही है मैं उन पर अपने विचार हाउस के सामने रखने के लिये खड़ा हुआ हूं। स्पीकर साहब, चार केसिज ऐसे है जिनमें जमीन एक्वायर की गई है और जिन का जिकर मेरे से पहले बोलने वाले मेरे साथियों ने भी किया है। चारों केसिज में हाई कोर्ट या लोअर कोट्र ने कम्पंसे ान एनहांस किया है। यह बात बार बार इस सदन के सामने आई है कि हरियाणा के अंदर गरीब किसान और ज्यादातर मैजोरिटी उन गरीब लोगों की है जिनके पास पांच सात एकड़ या इससे भी कम जमीन है। देखने वाली बात तो स्पीकर साहब यह

है कि सरकार अपने डिवैल्पमैंट के कार्यों के लिये छोटे जमींदारों की जमीन ले रही है। कहीं पर सरकार ने इस जमीन को लेकर कम्पलैक्स बनाने होते है कहीं पर इंडस्ट्रीयल एस्टेटस सैट अप करने होते है। स्पीकर साहब एक्वीजी ान प्रोसीडिंग्ज के बारे में आप अच्छी तरह से वाकिफ है। यह देखने वाली बात है कि इन चारों केसिज में जितना पैसा किसान को मिलना चाहिये था उसका एक चौथाई भी भायद उन लोगों को नहीं मिल पा रहा है। केवल वही आदमी मुआवजा ले पाते है, जो साधन सम्पन्न है। उन लोगों को पैसा मिल जाता है जो कोर्ट में जाने की क्षमता रखते हों या जो झगड़ सकते हों, लेकिन हो सकता है उनको भी पैसा पूरा न मिलता हो। जिन लोगों के पास कोर्ट में जाने की क्षमता नहीं थी, वे बेचारे ऐसे ही रह गये।

स्पीकर साहब, मैं आपको तो ाम हल्के की बात बताना चाहता हूं। वहां पर पी0डब्ल्यू0डी0 स्टोर बना है जिसकी जमीन को कम्पैन्से ान एल0ए0ओ0 साहब ने केवल 3200 रूपए प्रति एकड़ रखा था। अपीलें करने पर जिला जज ने बढ़ाकर दस हजार रूपये प्रति एकड़ कर दिया। सरकार को अपने अधिकारियों को चौकन्ना करना चाहिये कि कम्पैंसे ान सैटल करते समय सब बातों को ध्यान मैं रखते हुए सही कम्पेंसे ान दें। अंदाजा ठीक क्यों नहीं लगाया जाता? अगर सोच समझ कर कम्पैंसे ान देंगे तो बाद में न सरकार को परे ाानी होगी और न कोर्ट में जाना पड़ेगा। जो जज साहेबान और एच0सी0एस0 अधिकारी है, हम इन

दोनों कैटेगरिज में कोई लम्बा चौड़ा फर्क नहीं समझते। कई जुडि ारी में चले जाते है और कोई एग्जैक्टिव में आ जतो है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन कोई जसटिस या फेयर प्ले तो होना ही चाहिये। लेकिन फेयरनैस तो है ही नहीं। आप देखें ये 3200 रूपये एकड़ के हिसाब से कम्पैंसे ान देते है जिसको बाद में डिस्ट्रिक्अ कोर्ट ने दस हजार एकड़ के हिसाब से देने को कहा। जिस आदमी ने इतनाकम कम्पनसे ान दिया क्या एाकी एक्सप्लेने ान मांगी गई? इस आदमी की गलती से कितन लोगों को हैरासमैंट हुई है? जो लोग कोर्ट में नहीं जा सके वे इस फायदे से वंचित रह गये। जो लोग कोर्ट में नही जा सके वे गरीब लोग है और कोर्ट में जाने के काबिल नहीं हैं। दूसरे केस में स्पीकर साहब, देखें कि 32,12,025 रूपये तो इन्होंने पहले दे दिये है क्योंकि यह कम्पनसे ान डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने एनहांस किया था। उसके बाद वे लोग हाई कोर्ट में गये। हाई कोर्ट ने 26,78,760 रूपये और देने के आर्डर कर दिये। पहले वे किसान डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गये फिर हाई कोर्ट में गये। गवर्नमैंट ने यह भी नहीं सोचा कि यहीं बस कर दें । अब गवर्नमैंट सुप्रीम कोर्ट में जाने लग रही है। क्या गवर्नमैंट यह समझती है कि उन लोगों को कोर्ट ने जरूरत से ज्यादा कम्पनसे ान दे दिया हैं? स्पीकर साहब, हरियाणा का कोई भी छोटा से छोटा भाहर ऐसा नहीं है जहां जमीन की कीमत 500 रूपये गज से कम हो। कस्बों में भी 150–200 रूपये गज से कम कीमत नहीं है। बड़े भाहरों में तो हरियाणा में 1000 रूपये गज तक की कीमत है और दूसरी तरफ

किसानों को 10–20 रूपये गज के हिसाब से कम्पनसे ान मिलता है। फिर ये कहते है कि हम गरीबों के और किसानों के हितैशी है। इसके बाद पलवल के जनरल हस्पताल की बात हैं। इसके लिये जमीन एक्वायर की गई और 1,90,920.48 रूपये का कम्पनसे ान दिया गया। जिस का रेट दो रूपये गज के हिसाब से बैठता है। कैसी भी जमीन क्यों न हो दो रूपये का रेट आज कीं भी नहीं है। राजस्थान में भी ऐसा भाव नहीं है। स्पीकर साहब, फरीदाबाद के अंदर इन्होंने अपने जिन चहेते लोगों को डिसक्रि ानरी कोटे से प्लाट दिये है आज उनमें से 500 गज के प्लाट पर 3–4 लाख रूपये का प्रीमियम हैं। इधर बेचारे किसानों ने मु कल से 5–10 कनाल जमीन बचा कर रखी थी उनको दो रूपये गज के हिसाब से कम्पनसे ान मिल रहा है। स्पीकर साहब, जो आदमी कोर्ट में जा सके ये सिर्फ उन्हीं को 33,065 रूपये और कम्पनसे ान मिला है। अगर यह कम्पनसे ान सब को मिलता तो यह रा ि साढें नौ लाख बनती। जो लोग मजबूरी की वजह से कोर्ट में नहीं जा सकें वे इस रा ि से वंचित रह गये। स्पीकर साहब, जैसे मैंने पहले बजाया कि अगर आप देहात में भी जाएं तो वहां भी आपको 20–25 रूपये गज से कम रेट पर जमीन नहीं मिलेगी। पलवल जैसे भाहर में तो सौ रूपये गज से कम नहीं होगी। लेकिन इन्होंने दस रूपये गज का रेट दिया है। इसलिये मैं आपके द्वारा गवर्नमैंट से दर्खास्त करूंगा कि वह गरीबों और किसानों की तरफ ध्यान दें। जिन लोगों को अननसैसरी हैरासमैंट हुई है, उनको अगर आप बचा

सकते है तो जरूर बचाएं। आप अपनी सुप्रीम कोर्ट से अपील वापिस लें। जिन लोगों के पास अदालत में जाने के साधन नहीं थे उनको भी उसी रेट पर कम्पनसे ान दिया जाए। स्पीकर साहब, यही हालत जनरल हस्पताल, नारायणगढ़ की है। इस हस्पताल के लिये जो जमीन एक्वायर की गई उसका पांच हजार रूपये प्रति एकड़ के हिसाब से कम्पनसे ान दिया गया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इसे बढ़ा कर साढे सात हजार रूपये प्रति एकड़ कर दिया। जब लैंड ओनर इस आर्डर से सैटिसफाई न हुआ तो वह हाई कोर्ट में चला गया। हाई कोर्ट ने उसकी एक कनाल तेरह मरले जमीन को कम्पनसे ान तीन हजार रूपये कर दिया जबकि लोयर कोर्ट ने पंद्रह सौ रूपये किया था। इसके अलावा हाई कोर्ट ने 250 रूपये हैड पम्प का भी कम्पनसे ान देने के लिए आर्डर दिये। बाकी जो लोग कोर्ट में नहीं गये उनको सिर्फ 1,43,800 रूपये कम्पनसे ान मिला। नारायणगढ़ में, मैं नहीं समझता कि बड़े किसान हों। यहां पर बड़े मुअजिज दोस्त बैठे है जो हर वक्त किसानों की बातें करते रहते है। उनको सोचना चाहिए कि किसानों के साथ यह इन–जस्टिस क्यों हो रहा है? मेरे एक सवाल के जवाब में मिनिस्टर साहब ने कह दिया कि हिसार में किसी सोसायटी को जमीन नहीं दी गई हैं। मुझसे सवाल पूछने में फर्क रह गया। अगर मैं यह पूछता कि क्या ऐसा मामला विचारधीन है तो ये कहते है कि हां हम देना चाहते है। स्पीकर साहब, हिसार के अंदर अनाज मंडी है और आटों मार्किट है और दूसरी तरफ बाई पास है। उसके बीच में सौ एकड़ जमीन

पड़ी है। उस जमीन पर इनकी निगाह पड़ गई। भजन लाल जी अपने खास खास ब्यूरोकैसी के कुछ चुने हुए लोगों पर खु ा रहते है। एक सोसायटी बनी और सोसायटी ने कहा कि यहां पर हमें प्लाट दे दीजिये। उस सोसाइटी को 25 रूपयें गज के हिसाब से देने की स्कीम है। कुछ अफसरों ने मुझे टेलीफोन किया कि देखिये, फाइनैंि ायल कमि ानर ने दस महीनों से फाईल दबा रखी थी, आम पता नहीं कहां से आ टपके। मैंने कहा आपकों इसमें क्या एतराज है, क्यों आपको अननैसेसरी फेवर मिले? गवर्नमैंट अफसरों की पैं ान अच्दी करदे तो कोई एतराज नहीं लेकिन कुछ लोगों को फेवर करने के उद्दे य से अगर वहां पर पच्चीसरूपये गज के हिसाब से जमीन दे दें तो मैं समझता हूं कि ठीक नहीं जबकि वहां पर 500 रूपये गज का रेट है।

प ा पालन राज्य मंत्री (चौधरी लाल सिंह): स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर हैं। ये जिस जमीन की बात कर रहे है यह अभी किसी को नहीं दी गई हैं। (ोर)

श्री कंवल सिंहः स्पीकर साहब, ये कहते है कि इनके पास कोई परपोजल नहीं है। अच्छी बात है। स्पीकर साहब, एक तरफ प्रांत का किसान इतना गरीब है कि उसको दो वक्त पेट भर कर रोटी भी नहीं मिलती हो और दूसरी तरफ ये अफसरों को इस तरह फेवर कर रहे है। कहीं पर किसी अफसर की फेवर कर देते है कहीं पर किसी दोस्त की फेवर कर देते है। जिन लोगों को फरीदाबाद और पंचकूला में कोटें से प्लाट मिलने लग रहे है उन

लोगों के साथ फेवर की जा रही है। क्यो डिसक्रि ानरी कोटा रखा गया है, प्रजातंत्र में इस प्रकार का भेदभाव कयों हो? हुड्डा जमीन एक्वायर करता है, आप उसकी फ्री सेल क्यों नही ंकरते। आप डिवैल्पमैंट चार्जिज ज्यादा से ज्यादा लगा लें उसके बाद आक ान से जो बाकी पैसा आए, वह किसानों को दीजिये। **(12. 00बजे)** स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि इस प्रकार की धांधलेबाजी नहीं होनी चाहिए। चौधरी भजनलाल जी ने तो खुद धांधलेबाजी की हुई है, यह बात तो रिकार्ड पर है।

स्पीकर साहब, अब मैं फारेस्ट डिवैल्पमैंट बोर्ड के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। केवल दस रूपए टोकन ग्रांट देकर फारेस्ट डिवैल्पमैंट बोर्ड को सात करोड़ रूपया ट्रांसफर किया जा रहा है। स्पीकर साहब, गवर्नमैंट हेराफेरीकरके यह पैसा फारेस्ट डिवैल्पमैंट बोर्ड को ट्रांसफर कर रही है। आपको यह पता होगा कि केंद्रीय सरकार को भी इस फारेस्ट डिवैल्पमैंट बोर्ड के बनने पर नाराजगी है और इसके बिल्कुल खिलाफ है। यह भी सभी लोगों को पता है और प्रैस में यह बात क्लीयर आ चुकी है कि हाई कोर्ट और केंद्रीय सरकार ने यह कहा है कि फारेसट डिवैल्पमैंट बोर्ड बिल्कुल गलत बनाया है, यह होना ही नहीं चाहिए। स्पीकर साहब, जब हाई कोर्ट ने यह फैसला कर दिया है कि फारेस्ट डिवैल्पमैंअ बोर्ड का कांस्टीच्यु ान गलत है तो इस बोर्ड को जो पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है इसका कौन जिम्मेवार होगा? यह पैसा बोर्ड को ट्रांसफर किया जा रहा है इस धांधली

को तो ए0 जी0 साहब भी चैक नहीं कर सकेंगे। इसलिए मैं सारे सदन से यह प्रार्थना करूंगा कि यह पैसा बोर्ड को ट्रांसफर होने से रोका जाए। यह पैसा फारेस्ट डिपार्टमैंट के पास रहना चाहिए ताकि इसकी सकरूटनी ए0 जी0 साहब कर सकें।

श्री देद पाल (घरौंडा): स्पीकर साहब, मैं डिमांड नं0 एक पर अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। यह बहुत अच्छी बात है कि पलवल और नारायणगढ में अस्पताल बनानें के लिए सप्लीमैंटरी एस्टीमेटस में प्रोवीजन किया गया। लेकिन करनाल भाहर महाराज करण की नगर है और एक ऐतिहासिक जिला हैं। उसके बारे में काफी दिनों से यह सुनने में आया है कि करनाल का अस्पताल आबादी के हिसाब से बहुत छोटा हो चुका है। इसलिए मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि करनाल की डिवैल्पमैंट के साथ साथ वहां के अस्पताल का भी निमार्ण किया जाना चाहिए और जो छोटा अस्पताल है उसकी जगह बड़ा अस्पताल बनाया जाना चाहिए जिस तरह से इस सप्लमेंटरी एस्टीमेटस में सोनीपत में एक मिनि सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग के लिए पैसे का प्रोवीजन किया गया है उसी तरह से करनाल भाहर में मिनी सेक्रेटैरिएट बनाने के लिए सप्लीमेंटरी एस्टीमेटस में पैसे का प्रोवीजन किया जाना चाहिए था। मुझे पता है कि आज से 56 साल पहले करनाल में मिनि सैक्रेटेरिएट बनाने का प्रोवीजन था। एग्जिस्टिंग कोर्ट में करनाल में इतनी जगह है कि वहां पर मिनि सैक्रेटेरिएट बनाया जा सकता है। पता नहीं करनाल में मिनि सेक्रेटैरिएट बनाने के

लिए बजट में पैसे का प्रोवीजन क्यों नहीं किया गया।? यदि बजट में प्रोवीजन नहीं किया गया तो सप्लमैंटरी एस्टीमेटस में पैसे का प्रोवीजन किया जाना चाहिए था। इसके अलाव मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि हमारे करनाल जिलें में जो खादर का इलाका है, खास कर घरोंडा का इलाका जिसकी मैं नुमायंदगी करता हूं और सम्भालखां का इलाका जिसकी नुमायंदगी चौधरी कटार सिंह जी करते है तथा इंद्री का इलाका इन इलाकों में सड़कें बहुत कम है। उन इलाकों में सडद्यकें बनाने के बारे में पी0डब्ल्यू0डी0 के टैक्नीकल आफिसर्ज यह अड़चन डालते है कि वहां पर पानी की मार है इसलिए सड़कें बनाना बहुत मु कल है। मेरी समझ में नहीं आता कि वे आफिसर्ज किस बनिा पर यह कहते है कि वहां पर पानी की मार है? आज सारे हरियाणा में जहां पर पहले पानी की उम्मीद नहीं की जा सकती थी आज वहां पर बहुत मात्रा में पानी है और सड़कें भी है। जिन इलाकों में पहले पानी पहुचने की उम्मीद नहीं की जा सकती थी आज उन इलाकों में भी पानी की मार है और वहां पर सड़कें भी बनी हुई है। इसलिए मैं चाहता हूं कि ऐसे अधिकारी जो घरोंडा, सम्भालखां और इंद्री के खादर के इलाकों में सड़कें न बनाने के बारे में अपनी राय देते है, उनकी इस राय में कोई वजन नहीं है। उनका यह कहना कि वहां पर पानी की मार है इसलिए सड़कें नहीं बन सकती, यह बिल्कुल गलत बात है। स्पीकर साहब पानी जहां भी आएगा वहां पर सड़क जरूर टूटेगी लेकिन हमारा जो खादर का इलाका है वह पहले बैकवर्ड इलाका था। उस इलाके को इसलिए सड़कों से

महरूम रखा गया कि वहां पर पानी की मार है। स्पीकर साहरब, हमारे इलाके की यह खु ाकिस्मती है कि वहां पर पानी की मार नहीं है। लेकिन प्रांत के जो दूसरे इलाकें है जहां पर पानी की कोई उम्मीद नहीं की जाती थी वहां पर सड़कें बनी हुई है। हमारे इलाकें के बारे में जो टैक्नीकल एडवाइस है, it should not stant in the way of implementation of the schemes. Thanks.

श्री लछमन सिंह (कालका): स्पीकर साहब, मैं डिमांड नंबर 20 को स्पोर्ट करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं यह चाहूंगा कि इसको पास कर दिया जाए। मैं आपके माध्यम से सरकार को कुछ सुझाव देना चाहूंगा और यह उम्मीद करूंगा कि सरकार प्रैस्टीज क्वै चन बनाये बगैर उसके उपर गौर करेगी। स्पीकर साहब, सारे दे । के अंदर फारेस्ट डिवैल्पमैंट कारपोरे ांज है और वे फारेसट कारपोरे ांन फारेस्ट वैलफेयर को एक्सप्लौर करती है। उनको आगे मार्किट में जो सेल करते है उस पर इनकम टैक्स नहीं लगता। लेकिन हमारे यहां जो फारेस्ट डिवैल्पमैंट बोर्ड बना है इसको अगर कोई इनकम होगी तो उसके उपर इनकम टैक्स लगेगा। स्पीकर साहब आज दे । के अंदर इंनकम टैक्स की रे ाों जिस तरह से है वह आप जानते है। उस रे ाों के हिसाब से फारेस्ट डिवैल्पमैंट बोर्ड में जो इनकम होगी, उसका सत्तर परसैंट इनकम टैक्स में निकल जायेगा। स्पीकर साहब, आप यह भी जानते है कि फोरेस्ट डिवैल्पमैंट बोर्ड का मामला बड़ा कंट्रोवर्सि ायल बना हुआ है। आज से तीन साल पहले दे । में ग्रो मोर टरीज की एक बड़ी भारी स्कीम चली थी।

स्पीकर साहब आपकी नालेज के लिए चौधरी लाल सिंह जी यहां पर बैठे है। इनको पता है मेरे हल्कें और इनके हल्कें की एक एक बीघा जमीन चंडीगढ के आफिसर्ज ने खरीदी थी और उनके अंदर युकलिप्टस की प्लांटे ान की थी। आज उस जमीन पर दरखतों की तादाद करोड़ों तक बढ गई है जिसका क्लेम आज यह सरकार करती है कि वहां पर वे दरखत सरकार ने लगाये है। स्पीकर साहब, वे सारे दरखत जमींदारों के लगाये हुए है। पहले साल हरियाणा में जो बारह करोड़ दरखत लगाये गये थे, उसमें से तकरीबन नौ करोड़ दरखत प्राईवेट लैंड औनर्ज ने लगाये थे। स्पीकर साहब, जो युकलप्टस की प्लांटे ान लगाने की कोि ा ा करता है। इसलिए मैं सरकार को सुझाव दूंगा कि फारेस्ट डिवैल्पमैंट बोर्ड की बजाय इसका नाम फारेसट डिवैल्पमैंट कारपोरे ान रखा जाए। इससे यह फायदा होगा कि जो आफिसर्ज यह महसूस करते है कि हमारी सर्विसिज बोर्ड को ट्रांसफर हो गई है जोकि एक अटोनोमस बाडी है और इस पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। कल कीपार्टी मीटिंग में मेरे ख्याल में ऐसा कोई एम0एल0ए0 नहीं है जिसने फारेस्ट बोर्ड की खिलाफत न की हो। सभी सदस्य बोर्ड के खिलाफ बोले। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि बोर्ड की बजाय इसको कारपोरे ान बना दिया जाए ताकि उस पर सरकार का कंट्रोल रहे। कारपोरे ान बनाने में आफिसर्ज में जो डिसकंटैंटमैंट है वह भी दूर हो जायेगी। स्पीकर साहब, मैं एक बात यह भी कहना चाहता हूं कि आज सरे दे ा के अंदर ईमानदारी का प्रचार चल

रहा है और ईमानदार अफसरों की सरककार ने होंसलाफजाई की है। हमारे यहां एक चीफ कंजवेटर आफ फारेस्ट है चौधरी गुरनाम सिंह। वे ईमानदार आफिसर है। चीफ मिनिस्टर साहब इस बात की इंक्वायरी करवा लें, अगर ईमानदार अफसरों की लिस्ट बनानी हों तो दो लाख अफसरों की लिस्ट में चौधरी गुरनाम सिंह नम्बर एक पर अवल दर्जे के अफसर गिने जाएंगे। वे एक नम्बर पर आएंगे, दूसरे नम्बर पर नहीं आएंगे। स्पीकर साहब, उस आफिसर की जो टैक्नोलोजी है उसकी जो क्वालीफिके ान है, उसकी जो नालेज है उसके हिसाब से उसको ओ0एस0डी0 बना रखा है लेकिन न उसके पास दफ्तर है न स्टाफ है और न ही उसके पास कोई काम है फिर भी सरकार उसको तनख्वाह देती है। वह तनख्वाह लेता रहेगा उसको कोई दिक्कत नहीं है। मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि सरकार उससे काम ले और सरकार को उसकी सर्विसिज युटिलाइज करनी चाहिए। मैं यह बात तो कहने के लिए तैयार हूं कि यदि किसी आदमी को एडजैस्ट करना है तो अभी फतेहाबाद कांस्टीच्युएंसी का इलैक ान होना है। वहां से उसको टिकट दे दें वह वहां से जीत जाएगा और उसको अरोड़ा साहब की जगह वजीर बना देना कोई दिक्कत की बात नहीं है इस तरह से एडजैस्ट हो सकता है। बोर्ड के बारे में सब के एप्रीहैंसज है कि बोर्ड पर सरकार कंट्रोल तो कोई रहेगा नहीं, जिस तरह से मर्जी पैसा खर्च करें। यह बात ठीक है कि दस रूपये का टोकन पास कर लिया और बाद में एप्रोप्रिए ान बिल बिल कर इस पैसे को पास कर दिया जाएगा उस समय हम लोग

भी वोट करेंगे और वह पास हो जाता है। उसकी स्पोर्ट में उस समय मैं भी वोट करूंगा। मैं सरकार को यह सुझाव देना चाहता हूं कि सरकार इस बारे में गौर से विचार करे कि बोर्ड को जो नफा होगा वह इनकम टैक्स में चला जाएगा इससे फायदा क्या होगा? स्पीकर साहब, आज हरियाणा में लोग काफी एजूकेट हो चुके है और यह एक बिजनैस बन चुका है इसलिए प्राईवेट आदमी और हर व्यापारी जो टैक्स पे करते है वे हर साल 100, 200 और 400 तक युकलिप्टस के दरखत लगाते है, ज्यों ज्यों जमीन की अवेलिबिलिटी होगी त्यों त्यों प्लांटे ान बढ़ती चली जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। स्पीकर साहब एक आदम कैस प्लांटे ान करवा लेगा, इतना बड़ा महकमा है? प्लांटे ान काकाम तो फारेस्ट डिपार्टमेंट करता है लेकिन इस फारेस्ट बोर्ड का एक आदमी कैसे प्लांटे ान करवा लेगा, यह पता नहीं? आज से चार साल पहले कहते थे कि कोई प्लांटे ान नहीं हुई। उस समय उसके पास प्लांटे ान के लिए पचास लाख रूपये भी नहीं थे, लेकिन आज प्लांटे ान के लिए बतीस करोड़ रूपये है। आप यह देखें कि इस समय क्वंटम आफ मनी प्लांटे ान के लिए कितना मिला है। उस समय बजट में प्लांटे ान के लिए पैसा कम था तो प्लांटे ान कैसे होती? वर्ल्ड बैंक से लोन मिला है उससे प्लांटे ान हुई है। स्पीकर साहब, सरकार को ठंडे दिल से सोच लेना चाहिए कि आया सरकार को बोर्ड से फायदा होगा या कारपोरे ान बनाने से फायदा होगा। मैं तो यही कहता हूं कि जिस तरफ सरकार को फायदा नजर आए वही बात करे। सरकार

को स्टेट के हित की बात करनी चाहिए, किसी एक इंडिविजुअल के हित की बात नहीं करनी चाहिए। इसमें प्रैसटीज की कोई बात नहीं है। सरकार का प्रैस्टीज हमे ाा ऊंचा रहता है और ऊंचा भी रहना चाहिए। इसलिए मैं चीफ मिनिस्टर साहब से अपील करूंगा कि इस बारे में गौर करके विचार करें। यदि बोर्ड की बजाए कार्पोरे ान बना दिया जाए तो इससे आफिसर्ज में जो डिसकंटैंटमैंट है, वह भी दूर हो जाएगी और सरकार को भी फायदा होगा। इन भाब्दों के साथ में मैं इसकी रिपोर्ट करते हुए अपना स्थान लेता हूं।

चौधरी धीरपाल सिंह (बादली): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से, हाउस के अंदर सप्लीमैंटरी एस्टिमेटस आई है, उनका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। हम बार बार एस0ई0 और एक्सीयन के पास जाते है और कहते है कि हमारे हल्कें की सड़कों की हालत बहुत खराब है उनकी तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए। ये अधिकारी भी रूलिंग पार्टी के सदस्यौं की सड़कों को ठीक कर देते है और रूलिंग पार्टी का हर सदस्य अपने अपने इलाके में चार चार, पांच पांच किलोमीटर की सड़कें बनवा लेता है लेकिन इस काम में विरोधी पक्ष के सदस्य पीछे रह जाते है। उनके हल्कों में नई सड़कों का निर्माण बिल्कुल भी नहीं हो पता। विरोधी पार्टी के सदस्य इस काम के लिए मंत्री/मुख्य मंत्री तथा अधिकारियों को कहते कहते थक जाते है। इस मांग नं0 8 में जो धन रा ि ा मांगी जा रही है, यह

राजनीतिक भावना को और अधिक बढ़ावा देगी क्योंकि विरोधी पार्टी के सदस्यों के हल्कों में कोई काम नहीं हो पायेगा। जितनी भी सड़कें बनेंगी वे सभी की सभी रूलिंग पार्टी कै सदस्यों के हलकों में बनेगी।

अध्यक्ष महोदय, बाढ़ से रोहतक जिले का बहु त बुरा हाल है। इस बाढ से रोहतक जिले की 99 प्रति ात सड़कें टूट कर खराब हो चुकी है और मेरा ख्याल है कि इन सड़कों को दुबारा मुरम्मत करना संभव नहीं हो पायेगा। रोहतक के हर कस्बे में पानी भरा हुआ है। बादली से रोहतक, रोहतक से झज्जर, झज्जर से छारा, रोहतक से गोहाना, रोहतक से हिसार और रोहतक से जींद आदि सभी भाहरों को जाने वाली सड़कें इस बाढ की वजह से बंद हो चुकी है। रोहतक जिले कें अंदर रहने वाले लोग बहुत दुखी है। आजादी से पहले यानि 1947 से पहले रोहतक जिला सभी जिलों से अच्छा जिला माना जाता था लेकिन आज राजनितिक परिस्थितियों के कारण इस भाहर का बहुत बुरा हाल हो चुका है। वहां पर न सड़क बनाई जा रही है और न ड्रेनें बनायी जा रही है। जो ड्रेनें बनी हुई है उनकी खुदाई की तरफ भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। रोहतक जिले में एक छुडानी ड्रेन है। इस ड्रेन के अंदर बहुत अधिक पानी की मार रहती है। क्योंकि इस ड्रेन के अंदर मातन, छारा, खरहर आदि इलाकों का पानी आ जाता है। यह ड्रेन लुक्सर गांव के पास जा कर बंद हो जाती है। इस ड्रेन की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि

इस सारे इलाकें के पानी को समेट सके। छुड़ानी ड्रेन, लुक्सर के पास जा कर खत्म हो जाती है जिस के कारण सारे गांव का बहुत बुरा हाल है। यह हाल इसलिए है क्योंकि इस ड्रेन के अंदर तीन–चार ड्रेनों को मिला दिया गया है। इस संबंध में मेरी सरकार से प्रार्थना है कि इस तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए। इसी प्रकार से बहादुरगढ़ सब डिविजन और झझज सब डिविजन का भी बहुत बुरा हाल है। मांग नं0 8 में जो धन रा ि ा मांगी जा रही है उसके लिए बे ाक और रा ाी मांग ली जाए किसी को कोई ऐतराज नहीं होगा यदि हर जगह खराब हुई सड़कों की मुरम्मत ठीक प्रकार से कर दी जाए। स्पीकर साहब, आज सड़कों पर जो मैटीरियल डाला जाना चाहिए उस हिसाब से रोड़ी तारकोल आदि नहीं डाला जा रहा। पहले सूखी रोड़ी डाल दी जाती है फिर तारकोल डाला जाता है लेकिन तारकोल को पूरी मात्रा में डाला नहीं जा रहा। पता नहीं तारकोल को कहां पर ब्लैक में बेचा जाता है या कहां पर भेजा जाता है? इस संबंध में सरकार से प्रार्थना है कि इस तरफ गौर किया जाये। इस संबंध में मेरी यह भी प्रार्थना है कि सड़कों पर जो मैटीरियल डाला जाता है उस के अनुपात को मुख्य मंत्री जी या संबंधित मंत्री जी स्वयं चैक करने जाएं और देखें कि किस रे ाों से मैटीरियल डाला जा रहा है। मैंटीरियल का हिसाब किताब कागजों तक ही सीमित रहता है असल में प्रैक्टिकल तौर पर कुछ नहीं हो पाता। स्पीकर साहब मैं हाउस की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि छारा से झझर को जो सड़क जाती है जब से वह सड़क बनी है तब से

आज तक इस सड़क को दुबारा मैटीरियल डाल कर ठीक नहीं किया गया। इस संबंध में मेरी सरकार से प्रार्थना है कि सरकार बहादुरगढ़ सब डिविजन की तरफ तुरंत ध्यान दें और वहां की हालत को ध्यान में रखते हुए उचित पग उठाये। स्पीकर साहब, आप स्वयं चल कर देख लें। आपकों अहसास हो जाएगा कि वहां की हालत कितनी भाोचनीय है।

श्री अध्यक्षः यदि आप बुलाएंगे तो मैं जरूर आउंगा।

चौधरी धीरपाल सिंहः स्पीकर साहब, हमारी प्रार्थना है कि आप वहां पर आए और सारे हालात को स्वयं देखें। झझर, छारा, सांपला रोड पर पी0डब्ल्यू0डी0 के रिकार्ड के मुताबिक तो सड़क पर पुलिया बनी हुई है लेकिन असल में कुछ नहीं हुआ है। वहां पर ये पुलियां कच्ची बनायी हुई है। जब बाढ कै दिन आते है तो लोग पानी उतारने के लिए इन पुलियों को खोल देते है और जब बाढ का समय खत्म हो जाता है तो पी0डब्ल्यू0डी0 के कर्मचारी इनको मिट्टी से भर देते है। मेरा कहने का मतलब यह है कि उन पर पक्की छत आज तक नहीं डाली गयी। इसलिए सरकार से प्रार्थना है कि इस ओर ध्यान दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से दिसौर खेड़ी मैं बच्चों का एक स्कूल है, उसकी भी हालत बहुत खराब है क्योंकि उसकी छत गिर चुकी है। इसी प्रकार से मातन में प ाुओं का एक हस्पताल पिछले साल ही बनाया गया था, उसकी हालत बहुत

खराब है, वह भी गिर गया है। वहां पर किस प्रकार का मैटीरियल लगाया गया है, इसकी जांच होनी चाहिए।

स्पीकर साहब, इसी प्रकार से रोहतक भाहर की तरफ भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। बाढ के कारण वहां का भी बहुत बुरा हाल है। रोहतक भाहर में जब भी बारि ा होती है, बारि ा का सारा पानी इक्ट्ठा हो जाता है। पानी के निकास का कोई साधन नहीं है। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। पानी न निकलने के कारण भाहर के अंदर मच्छर बहुत अधिक पैदा हो गए है जिससे बीमारी फैलने का अंदे ाा हो गया है। यह सब कुछ सरकार की बदनियत के कारण हुआ है। स्पीकर साहब, जब भाहर का यह हाल है तो गांवों का क्या हाल होगा, यह आप स्वयं अंदाजा लगा सकते है।

स्पीकर साहब, अब मैं मांग नं0 13 के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। यह मांग हरियाणा हरिजन कल्याण निगम के लिए है। हम भी चाहते है कि सरकार को हरिजनों के कल्याण की तरफ ध्यान देना चाहिए। इस स्कीम के तहत बादली के पास सरकार ने 600 के करीब प्लाट काटे है। जब भी कोई चुनाव आता है तो इस प्रकार के प्लाट काट कर हरिजनों को दे दिए जाते है। स्पीकर साहब ये सारे के सारे प्लाट ड्रेन नं0 8 के साथ लगते हुए काटे गए है। यह पंचायत की जमीन है। मैंने बार बार हरिजन भाइयों को कहा है कि आप वहां पर प्लाट ने लें क्योंकि कल को यदि ड्रेन नं0 8 या साहिबी नदी टूट गयी तो 600 के

600 परिवार बर्बाद हो जाएंगे और हजारों आदमियों को जान से हाथ धोना पड़ेगा। इस संबंध में मेरा सरकार को अनुरोध है कि ऐसा गलत रास्ता नही अपनाना चाहिए। जब सरकार इनके लिए करोड़ों रूपये खर्च कर रही है तो इनको अच्छी जगह पर जमीन ले कर देनी चाहिएं।

स्पीकर साहब, अब मैं मांग नं0 20 पर आता हूं। अध्यक्ष महोदय, जिससमय फौरेस्ट एक्अ बनाया गया था, उस समय ट्रैजरी बैंचिज के और विरोधी पार्टी के सदस्यों ने काफी एतराज किया था लेकिन सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया।

श्री अध्यक्षः आपका समय खत्म हो गया है। अब आप बैठ जाईए।

चौधरी धीरपाल सिंहः स्पीकर साहब, सिर्फ दो मिनट और दे दीजिए।

श्री अध्यक्षः आपने पहले ही बहुत समय ले लिया है। इसलिए अब आप बैठ जाएं। अब डा0 ओम प्रका ा वर्मा बोलेंगें।

डा0 ओम प्रका ा भार्मा (जगाधरी): स्पीकर साहब, इस समय हाउस में सप्लीमैंटरी एस्टीमेटस ग्रांटस पर चर्चा चल रही है। मैं इन डिमांडज के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। स्पीकर साहब, जहां मैं इन डिमांडज का समर्थन करता हूं वहां साथ ही साथ मैं अपनी तरफ से डिमांड नं0 11 पर कुछ सुझाव देना चाहूंगा। इसके साथ ही साथ मैं मुख्य मंत्री जीसे रिकवैस्ट करूंगा और

आ वासन चाहूंगा कि जो बात मैं कहूं उन पर ध्यान दिया जाए। डिमांड नं0 11 में जमीन एक्वायर करने की बात कही गयी है यानी भाहरी विकास की बात कहीं गई है। इसी स्कीम के तहत मेरे भाहर में भी हुड्डा की तरफ से एक स्कीम चलाई जा रही है। हुड्डा ने तीन सौ एकड़ से ज्यादा जमीन खरीदी और इस स्कीम को तीन पार्टस में बांट दिया। स्पीकर साहब, इस स्कीम के तहत बड़ी ज्यादती होने जा रही है। इस जमीन पर तकरीबन डेढ हजार से ज्यादा लोगों के मकान बने हुए है सौ से अधिक दुाकनें बनी हुई है चार मंदिर है दो आटा मिल्ज है चार सा–मिल्ज है दो स्कूल है और एक पैट्रोल पम्प है। तकरीबन तीन सौ के करीब कोठे है। अगर इस स्कीम को एज इट इज सरकार की तरफ से लागू किया गया तो मैं समझता हूं कि हजारों मकान डेमोलि ा करने पड़ेंगे। जहां तक अर्बन डिवैल्पमैंट का ताल्लुक है, यह डिवैल्पमैंट भाहरों में होगी और म्यूनिसिपल लिमिट के अंदर होगी। जगाधरी म्युनिसिपल एरिया है और इसका सारा एरिया लगभग चार सौ या पांच सौ एकड़ के करीब है। जमुनानगर म्युनिसिपल एरिया में यह स्कीम लागू हो रही हैं और इसी तरह से जगाधरी में होगी। स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि यह एरिया तो आलरेडी बिल्ट–अप है, लोगों ने अपने खून पसीने की कमाई से इस मंहगाई के जमाने में एक एक, दो दो कमरेां के मकान बड़ी मु कल से बनाए है। इन लोगों ने अपना सर छुपाने के लिए ठिकाना बनाया हुआ है। मैं मुख्य मंत्री जी से रिक्वैस्ट करूंगा कि इन लोगों को इस स्कीम के

तहत न उठाया जाए, इस संबंध में मैं मुख्य मंत्री जी की तरफ से आ वासन चाहता हूं। वहां पर छोटी–छोटी फैक्ट्रयां बनी हुई है छोटे छोटे कारखाने बने हुए है। इन लोगों के खिलाफ ऐसी कोई कार्यवाही न की जाए जिससे उनको नुकसान हों। मैं चाहूंगा कि मुख्य मंत्री जी इस बारे में कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे इन गरीब लोगौं को नुकसान हो ताकि लोग आपकी लम्बी उम्र के लिए दुवाये दें और इन दुवाओं से इनके राज की अवधि लम्बी होगी। इन भाब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

मास्टर ि ाव प्रसाद (अम्बाला भाहर): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं डिमांडज के ऊपर अपने विचार रखना चाहता हूं। डिमांड नं0 8 में लिखा हुआ है कि सोनीपत के छोटे सचिवालय के लिए 220 एकड़, 5 कनाल, 11 मरले भूमि एक्वायर की है। अध्यक्ष महोदय, मैं अध्यापक हूं इसलिए मुझे इस बात का दुख है कि अध्यापक क्षेत्र में काम करने वाले जिन अध्यापकों ने, न मालूम किस तरीके से किन आर्थिक कठिनाइयों का सामना करते हुए प्लाटस ले लिए है और आज हम उन प्लाटस को एक्वायर करने जा रहे है। इन प्लाटस को एक्वायर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस छोटे से सचिवालय के लिए तो 220 एकड़ भूमि ही काफी है। इसी संबंध में मैं एक और बात गवर्नमैंट के सामने रखना चाहता हूं। मैंने पहले भी एक दो सुझाव दिए थे। एक सुझाव ऐसा था जिस पर अमल करने से सचिवालय मुफ्त में बन

सकता है लेकिन इस तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं गया। यह ठीक है कि अम्बाला में एक छोटे सचिवालय की जरूरत है। मैंने पिछली बार भी सुझाव दिया था कि सै ान कोर्ट के सामने जेल विभाग की बहुत सारी जमीन खाली पड़ी है और यह जमीन अम्बाला छावनी और अम्बाला भाहर के बीच में पड़ती है। सैंकड़ों बसें रोजाना आती जाती है। अगर वहां छोटा सचिवालय बना लिया जाए तो उस जमीन का सही इस्तेमाल होगा। आप को उस जमीन का भाुरू में 50–60 लाख रूपया देना पड़ेगा। जिस जगह पर अब सचिवालय बना रहे हे वह जमीन 200 रूपए गज बिक रही है और इसी भाव से यहां पर भी बिकेगी। दो सौ रूपए गज के हिसाब से प्लाटस बिकने से जो आमदनी होगी उसी आमदनी से छोटा सचिवालय बन सकता है लेकिन सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही, ध्यान दूसरी तरफ दे रही है जिसमें गरीब अध्यापकों के प्लाटस है। छोटे छोटे अध्यापकों ने बड़ी कठिनाइयों से प्लाटस ले रखे है अगर उन प्लाटस को गवर्नमैंट ने एक्वायर किया है तो छोड़ दिया जाए और छोटे सचिवालय के लिए तो दो सौ एकड़ की जमीन ही काफी है।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक सड़कों का सवाल है आज बरसात की वजह से बहुत सी सड़कें टूट गई है। अगर सरकार थोड़ी देर पहले इस समस्या का सामना करने के बारे में सोच लेती तो इसका इलाज हो सकता था और सड़कों की इतनी बरबादी न होती। यह तो अम्बाला ब्लोक है इस में नंगल का

हल्का भी आता है। आपक पुराना हल्का और नया हल्का इसी ब्लौक में आता है। इस हल्कें में जो सड़क कैथल को आती है, वह बरसात में बहुत ज्यादा खराब हो गई है और सड़क के दोनों ओर दो सौ गज की दूरी तक पानी ही पानी था। लोगों को आने जाने से बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा। जो नग्गल गांव है यह नगल कांस्टीच्युएंसी का केंद्र है। इसके बराबर टांगरी नदी बहती है। टांगरी नदी और मारकंडा के बीच में जो इलाका है इसमें पानी का निकास कहीं भी नहीं है। यहां पर तीन रास्ते पड़ते है जो टांगरी और घग्गर नदियों की तरफ जाते है। इस एरिये में पानी के निकास का कोई रास्ता नहीं जो बरसाती पानी को इधर उधर निकाल सके। अगर सरकार इस बरसाती पानी को निकालने की स्कीम पहले ही दीमाग में रखती है और पानी के निकास के दो तीन रास्तें बनाए होते तो यह प्रोब्लम न आती और न ही सड़कों का इतना नुकसान होता। इस एरिये में नग्गल, हसनपुर, अदोमाजरा, नडियाली, खैरा, इस्माईलापुर, टंगियारियां वगैरा कई गांव पड़ते है जिन में बरसाती पानी खड़ा है पानी का कोई निकास नहीं है। लोगों की कई फसलें तबाह हो गई है, लोगों को बड़ा भारी नुकसान हुआ है। आज भी आप जा कर देख सकते है खेतों में पानी खड़ा है। अगर समय पर इस तरफ ध्यान दिया जाता तो मैं समझता हूं कि देहातों की सड़कों पर जो पानी खड़ा हुआ है वह खड़ा न रहता।

श्री निर्मल सिंहः आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। स्पीकर साहब, भाायद आनरेबल मैम्बर को जानकारी नहीं नग्गल गांव के पास जो एस0वाई0एल0 नहर बन रही है उस में इनलैटस लगाने लग रहे है। इस वक्त काम चल रहा है एक्सपैरिमैंट के तौर पर एक इनलैट बन गया है और बाकी आहिस्ता आहिस्ता बन जायेंगे। वहां पर चीफ इंजीनियर गये है और वे इसका इंतजाम कर रहे है।

मास्टर ि ाव प्रसादः स्पीकर साहब, पानी के निकास के लिए कोई न कोई रास्ता बनना चाहिए।

मास्टर ि ाव प्रसादः स्पीकर साहब, मैं चाहता हूं कि इस समस्या का परमानैंट इलाज हो और अगर गवर्नमैंट का पैसा स्कीमों पर लगेगा तो ठीक रहेगा। दूसरी बात मैं एउमिनिस्ट्रेटर्ज के बारे में कहना चाहता हूं सबसे बड़ी दिक्कत भाहरों में यही है कि एडमिनिस्ट्रेटर बदलते रहते है जिससे भाहरों की डिफिकल्टीज दूर नहीं हो पाती। एक एडमिनिस्ट्रेटर आता है वह साल छः महीने रहता है बाद में उसको बदल दिया जाता है और जो नया आता है उसको भाहर की सही पोजी ान का पता नहीं होता। इसका परिणाम यह होता है कि भाहरों का बरसाती पानी बरसात में बाहर नहीं निकल पाता। स्पीकर साहब, सारे हरियाणा के भाहरों में, सिवाय अम्बाला भाहर के किसी दूसरे भाहर के साथ भाहर का लफज नहीं लगता लेकिन फिर भी यह भाहर नरक बना हुआ है। सड़कों पर, गलियों में अब भी बरसाती पानी चल रहा

है, गंदगी के ढेर पड़ें है जिनसे बदबू आती है ओर बीमारी फैलने का अंदे ाा है। आप देखें पार्क के सामने एक बड़ा दरवाजा है। अगर कभी मंत्री महोदय को मौका मिले तो जरूर जाकर देख सकते है। इस पार्क से आगे कोई गली ऐसी नहीं मिलेगी जो टूटी न हो। हम लोगों के नुमायंदे है इसलिए हमें इन बातों का पता होता है। पिछली बरसात में लोगों को जो दिक्कत रही है वह दूर होनी चाहिए लेकिन दुख के साथ कहना पड़ंता है कि इतनी देर में एडमिनिस्ट्रेटर बदल जाता है और नया आदमी होने की वजह से काम नहीं हो पाता।

अब एक बात मैं सोि ायल वैल्फेयर के बारे में कहना चाहता हूं। आज सरकार हरिजनों का दम भरती है। हरिजनों के बच्चे जो कालिजिज में पढ़ते है, राजनीतिक दृश्टि से सरकार ने उनके वजीफे की रा ाी बढ़ा दी है लेकिन कुल राि ा नहीं बढाई जिसका परिणाम यह हुआ कि जितने वजीफे मिलने चाहिए थे उतने नहीं मिले। राजनैतिक लाभ उठाने के लिए वजीफों की रा ाी तो बड़ा दी लेकिन कुल रा ाी नहीं बढाई वह उतनी ही रखी है यह भी बढ़नी चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को वजीफा मिल सके। मैं इन डिमांडज का इसलिए विरोध करता हूं कि अगर सरकार ने सही तौर पर ध्यान दिया होता तो सप्लीमैंटरी डिमांड दोबारा हाउस में पे ा करने की जरूरत न पड़ती। इन भाब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री अध्यक्षः अब आनरेबल फाईनैंस मिनिस्टर बोलेंगें।

श्रीमती चंद्रावती: अध्यक्ष महोदय, अभी तो काफी टाईम है। मेरी पार्टी के कुछ सदस्य बोलना चाहते है।

श्री अध्यक्ष: कौन–कौन बोलना चाहता है?

श्रीमती चंद्रावती: श्री ओम प्रका ा और मनफूल सिंह जी बोलना चाहते है।

श्री अध्यक्ष: मैडम, आपकी पार्टी में स्वयं कुछ कोआर्डिने ान होना चाहिए। मुझे जो लिस्ट दहिया साहब की तरफ से मिली है इसमें न तो मनफूल सिंह जी का नाम है और न ही श्री ओम प्रका ा जी का नाम है। मेरी समझ में नहीं आता कि आप लोग क्या करते है?

श्रीमती चंद्रावती: फिर मुझे ही थोड़ी देर बोलने दीजिए।

Mr. Speaker: Madam, I have now called upon the Finance Minister. You please take your seat.

श्रीमती चंद्रावती: अभी स्पीकर साहब, काफी टाईम है।

श्री अध्यक्ष: मैं फाईनैंस मिनिस्टर साहब को काल अपोन कर चुका हूं।

श्रीमती चंद्रावती: इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। स्पीकर साहब, नाम तो बाद में भी ऐड किये जा सकते है। दहिया जी

थोड़ी देर के लिए बाहर गए हुए थे इसलिए यह नाम ऐड नहीं हो सके।

श्री अध्यक्षः पर यह लिस्ट तो दहिया जी की तरफ से ही आई है।

श्रीमती चंद्रावतीः स्पीकर साहब, वैसे तो सै ान ही बहुत कम होता है और अब जब सै ान हुआ है तो इमसे मेरी पार्टी के लोगों को कम टाईम मिल रहा है। इसलिए मैं चाहती हूं कि हमें बोलने दिया जाए।

Mr. Speaker: I have already called upon the Finiance Minister and he is on his legs. He will speak now. (Noise & interruptions)

वित मंत्री (चौधरी कटार सिंह छोकर): अध्यक्ष महोदय, सप्लीमैंटरी ऐस्टिमैटस के थ्रू कोई ज्यादा अमाउंट नहीं मांगा गया है। केवल चार डिमांडज रखी गई है। इनमें से पहली डिमांड चार्जड डिमांड है। इस पर कोई वोटिंग नहीं होनी है क्योंकि यह ऐसी रा ि ा है जो अदालत के हुक्म से खर्च हुई है। यह डिकिटल अमाउंट है। इसके बावजूद भी मानयोग सदस्यों ने अपनी अपनी बातें कहीं क्योंकि उन्हें बात कहने का मौका मिला। डिमांड नं0 8 पी0डब्ल्यू0डी0 की बाबत है। इसमें भी तीन–चार रा ि ायां ऐसी है जो अदालत के कम्पनसे ान बढ़ाने की वजह से देनी पड़ी। कंटिनजैंसी फंस से इस पैसे को दे दिया गया था। अब चूंकि उसे हमने रीकूप करना है इसलिए डिमांड नं0 8 में यह

अमाउंट द ार्किया गया था। एक मुख्य इतराज जो मानयोग सदस्यों की तरफ से आया, वह यह है कि पहले सरकार कम्पनसे ान की पूरी रा ाी लोगों को नहीं देती।

श्री फतेह चंद विजः आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। अभी क्वै चन आर में मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि हरियाणा के सारे गांव सड़कों से मिला दिए गए है। अध्यक्ष महोदय उनकी वह बात ठीक नहीं है और मैं उसे चैलेंज करता हूं क्योंकि वित मंत्री जी की कांस्टिचुएंसी के सात गांव ऐसे है जहां सड़कें नहीं है। उनके नाम है बिसक, बेसकागढ़ी, रानामाजरा, जलालपुर, पत्थरगढ, के ावपुर और निवादा। (विघ्न)

चौधरी कटार सिंह छोकरः अध्यक्ष महोदय, ये मेरी कांस्टीच्युएंसी के गांव है। इन्हें पता नहीं क्यों फिक्र हो रहा है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, इनके इस एतराज में काफी बल है कि कम्पनसे ान का जो पैसा है वह पहले ठीक नहीं दिया जाता रहा और यह हमे ाा अदालत से बढ़ जाता है। पिछली दफा भी सदन में इस बारे में बातचीत हुई थी और मुख्य मंत्री जी ने वि वास दिलाया था कि आगे से यह रा ि ा मार्किट रेट से दिया करेंगे। ये जो रा ि ायां है ये बहुत पहले की है और इनके केस काफी समय से अदालतों में पड़े हुए थे। आप जानते है कि अदालतों के मामलों में हम दखल दे नहीं सकते। अगर लोग अदालतों से अपने केस वापिस ले लें तब तो सरकार कुछ कर सकती है वरना नहीं। आगे के लिए सरकार का ऐसा कोई इरादा नहीं है कि

लोगों को कम्पनसे ान मार्किट प्राइस के हिसाब से न दियाजाए। ऐसा वि वास जैसा मैंने पहले कहा पिछली बार मुख्य मंत्री जी ने हाउस में दिलाया हुआ है इस मामले मैं अब माननीय सदस्यों को ज्यादा परे ाान नहीं होना चाहिएं।

जहां तक अध्यक्ष महोदय, सड़कों की बात है, इन्होंने कहा कि सड़कों की हालत प्रदे ा में खराब हो गई है। अध्यक्ष महोदय, आप भी जानते है कि इसका मुख्य कारण बारि ा है। टैक्निकल बात यह है कि अगर एक दिन भी सड़क पर पानी रूक जाए तो तारकोल बह जाता है। तारकोल और पानी की बड़ी भारी दु मनी है।

श्रीमती चंद्रावतीः आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर मैं वित मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि मद्रास और बम्बई में जहां बहुत बारी ा होती है क्या वहां भी सड़कें एकदम से बह जाती है या केवल हरियाण में ही बहती है?

चौधरी कटार सिंह छोकरः यह तो आप कहीं भी जाकर देख लें। इसका एक ही इलाज है कि सड़के काफी ऊंची बनाई जाए। सड़कें जब ऊंची बनाई जाती है तो कुछ देर मामला ठीक रहता है लेकिन बाद में अहिस्ता आहिस्ता हालात बदल जाते है। दुाकनों को लोग बना लेते है, उनके प्लेटफार्म ऊंचे हो जाते है, ड्रेनेज सिस्टम ऊंचा हो जाता है और सड़कें नीची पड़ जाती है।

स्पीकर साहब, कुछ माननीय सदस्य इस बात पर बड़े ऐजिटेटिड है कि मैटीरियल खराब लगता है। जहां तक इस बात का संबंध है तारकोल हम सरकारी ऐजेंसी से खरीदते है किसी प्राईवेट से नहीं क्योंकि यह बनता ही सरकारी कारखानों में है। रोड़ी भी सड़कों पर ठीक पड़ती है लेकिन अगर पानी सड़कों को काट दे तो इसमें सरकार का क्या दोश है? सरकार भी इस बात से बड़ी दुखी है क्योंकि सड़कों को दुबारा बनाने में फिर पैसा खर्च करना पड़ता है।

श्री हीरा नंद आर्यः अध्यक्ष महोदय, इसका मुख्य कारण मैं यह भी समझता हूं कि अन–अथोराइज्ड कालोनीज बनती जा रही है। पहले आबादी में जोहड़ हुआ करते थे और फालतू पानी उसमे ंचला जाया करता था लेकिन अब वे बनने बंद हो गए है। ड्रेनेज सिस्टम सरकार बना नहीं पाती। इस वजह से भी सड़कें खराब हो रही है।

चौधरी कटार सिंह छोकरः स्पीकर साहब, यह भी एक कारण हो सकता है, मुझे यह मानने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके अलावा और भी कई कारण हो सकते है। हमारे दे ा में भाहरों की प्लैंड डिवैल्पमैंट हो नहीं सकतीं। पिछले 10–15 साल में भी यहां काफी हैफैजर्ड डिवैल्पमैंट हुई है। चकबंदी के कारण वे जगहें भी जहां नैचुरल फलों से पानी जाता था कई लोगों के हिस्से में आ गई। कई जगह बांधा लगाने पड़े। इन सब कारणों से पानी का नैचुरल फलों रूक जाता है।

इन सब बातों का कुछ हद तक ख्याल तो रखा जाता है लेकिन कई बार एमरजैंसी में भी काम करने पड़ जाते है। उदाहरण के तौर पर आज रोहतक और सोनीपत जिलों में बाढ़ से बहुत बुरी हालत है। वहां पानी को पम्प आउट करने के लिए कोई भी इमीजिएट मैयर लिया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय, एक मानयोग सदस्य ने बताया कि एक बिल्डिंग पिछले साल बनी थी लेकिन इस साल गिर गई। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, इस तरह की स्पैसिफिक बातें अगर ये लिख कर हमारे नोटिस में ले आएं तो आव यक कार्यवाही हो सकती है।

श्रीमती चंद्रावतीः आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। नरवाना में आपके एक मंत्री जी का घर है। वहां पानी का एक रिजर्वायर था। वह लाखों रूपये से बना था। लेकिन वह गिर गया। (विघ्न) यह बात अखबारों में भी आई थी। वित मंत्री जी कृपया इस बात का भी जवाब दें कि वह क्यों गिरा?

चौधरी कटार सिंह छोकरः अध्यक्ष महोदय, इस बारे में तो इस वक्त केवल इतना ही कहा जा सकता है कि बहिन जी इस संबंध में हमें लिख कर दे दें कि वह रिजर्वायर कौन सी जगह पर था तथा कब गिरा। उसके बाद उस पर उचित कार्यवाही की जाएगी।

श्री ुतेहचेंद विजः स्पीकर साहरब, मैंने इनकें हल्के के सात गांव कै नाम दिये हैं। उनके बारे में भी ये बता दें।

श्री राम बिलास भार्माः अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी 15 अगस्त को नारनौल गए थे वहां इनके नोटिस में यह बात लाई गई थी कि नारनौल और कोरियावास के बीच में नारनौल से रामबास एप्रोच रोड पर पुल उदघाटन से पहले गिर गया है और यह बात मौंके पर जा कर देखी जा सकती है। इसी तरह से कर्नल राम सिंह जी जब वहां गए थे तो पूरी की पूरी पंचायत इनके सामने पे ा हुई थी और इन्हें भी यह बात बताई गई थी लेकिन उस बारे में आज तक कुछ नहीं हुआ।

चौधरी भजन लालः उसकी इंक्वायरी करवा रहे है। जिसका फाल्ट मिलेगा उसके खिलाफ ऐक ान लिया जाएगा।

चौधरी कटार सिंह छोकरः चौधरी बीरेंद्र सिंह जी ने और विज साहब ने यह बात कही कि जमुना के खादर के इलाके में सड़कें नहीं बन रही है और जिन गांवों में सड़कें नहीं बनी है वे मेरी अपनी कांस्टीच्युएंसी में है लेकिन मैं उनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि वहां सड़कें बननी भाुरू है और बहुत स्पीड के साथ वहां पर काम भाुरू है। यह बात ठीक है कि पहले वहां सड़कें नहीं बनी थी। इसकी वजह यह थी कि वहां पर जमुना दरिया पड़ता है, जिस पर पुल नहीं था जिस वजह से वहां सड़कें नहीं बन पाई थी।

श्रीमती चंद्रावतीः स्पीकर साहब, मैं वित मंत्री महोदय की जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि उचाना में 3.5 लाख रूपए

की लागत से जो रिजवायर बना था वह जनवरी के महीने में गिरा है। आप इन्कवायरी करा लें कि वह क्यों गिरा है?

चौधरी कटार सिंह छोकरः आपकी बात नोट कर ली है।

श्री बीरेंद्र सिंहः स्पीकर साहब, सुबह जब डा0 मंगल सैन जी यह कह रहे थे कि अगर गवर्नमैंट की तरफ से गलतब्यानी हो जाती है तो उनके खिलाफ क्या ऐक ान होगा, उस समय आपने फरमाया था कि रूल्ज बने है उनके मुताबिक ऐक ान होगा। सुबह मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि कोई ऐसा गांव नहीं है जो सड़क के साथ जुड़ा हुआ न हो लेकिन वित मंत्री जी ने यह माना है कि खादर के सात गांव जो उनकी अपनी कांस्टीच्युएंसी के है, वहां पर सड़कें नहीं बनी है। वित मंत्री और मुख्य मंत्री जी की यह कंट्राडिक्टरी स्टेटमैंट है इसलिए आप इनके खिलाफ रूल्ज इस्तेमाल करके एक ान लीजिए।

श्री अध्यक्षः चौधरी बीरेंद्र सिंह, यह बात आपकी तरफ से कही जाए तो जंचती नहीं है अगर कोई नया मैम्बर कहे तो ठीक है लेकिनआपके मुंह से ठीक नहीं लगतीं। मंत्री जी ने कलियर कहा है कि फलां–फलां एरिया में सड़क नहीं है।

श्री भागी रामः स्पीकर साहब उन्होंने सात गांव के नाम बताए है जहां पर सड़कें नही बनी है।

चौधरी कटार सिंह छोकरः स्पीकर साहब, ऐसी आबादी के गांव जो अभी तक रैवेन्यू अस्टेट में नहीं है, माल के कागजों में एग्जिस्ट नहीं करते है, वे गांव ढाणी कहलाते है। वहां पर भी सड़कों की कमी रही है लेकिन पिछले दिनों गवर्नमैंट ने फैसला किया है कि ऐसी ढाणियों को जो अब रेवैन्यू अस्टेट में नहीं है या जहां पर हरिजन पापुले ान है वहां भी सड़कें बनानी भुरू कर दी है। हमारे खादर के एरिया में जहां सड़कें नहीं बनी है उनके लिए पैसा पहले से ही प्रोवाईड है सड़कें मंजूर है। ये सड़कें पुलों की दिक्कत के कारण नहीं बन सकी थी क्योंकि वे पुल ज्यादा देर नहीं ठहर सकते थे, यह टैक्नीकल डिफिकल्टी है।

चौधरी भाग मलः स्पीकर साहब मैं इनके ब्यान को चैलेंज करता हूं। इस सरकार ने अपने सवाल के जवाब में बताया है कि हरियाणा में कोई ऐसा गांव नहीं है जहां पर सड़कें न हों। मेरे अपने हल्के के यानी सढौरा कांस्टीच्युएंसी के बीस गांव ऐसे है जो रैवेन्यु डायरैक्टरी में है लेकिन वहां पर सड़कें भी नहीं नहीं है।

(श्री भागी राम की ओर से विघ्न)

श्री अध्यक्षः भागी राम जी, मैं आपको कई दफा कह चुका हूं कि आप पार्लियामैंटरी तरीके को समझने की कोि ा ा करें। जब मैं आपको बार–बार कहता हूं तो मुझे खेद महसूस होता है। इसलिए आप बीच में न बोला करें।

चौधरी बीरेंद्र सिंह जी ने अभी ऐक ान लेने की बात कही थी। ऐक ान लेने का भी प्रौसीजर एडौप्ट करके जरूर ऐक ान लूंगा।

चौधरी कटार सिंह छोकरः स्पीकर साहब, जहां पर सड़कें नही बनी है वहां पर सरकार को पूरी चेश्टा है और हमारी पूरी कोि ा ा है कि जल्द से जल्द सड़कें बनें।

स्पीकर साहब, यहां पर डिमांड नम्बर 11 के विशय में जिक आया। मिनिस्टरी आफ वर्कस एंड हाउसिंग गवर्नमैंट आफ इंडिया ने एक करोड़ 85 लाख रूपया अर्बन डिवैल्पमैंट के लिए हुड्डा को देना है। हुड्डा को इसलिए देना है क्योंकि अर्बन डिवैल्पमैंट का काम यही डिपार्टमैंट करता है। जितना पैसा हमें केंद्रीय सरकार से मिला है उसके बराबर का पैसा हरियाणा प्रदे ा की सरकार को भी देना है। डा0 मंगल सैन जी ने एतराज किया कि यह अमाउंट ऐसे भाहरों के लिए आया है जो कैपीटल रीजन में है जैसे पानीपत, करनाल, कुरूक्षेत्र और गुडगांवा। उन्होंने कहा कि रोहतक को कैपिटल रीजन में क्यो ंनहीं भाामिल किया गया जबकि वहां पर सब सुविधाएं उपलब्ध है? रोहतक के बारे मैं मैं कुरैक्ट पोजी ान तो नहीं बता सकता कि इसे कैपिटल रीजन में क्यों नहीं लिया गया लेकिन जिन भाहरों के लिए यह अमाउंट आया है, वह कैपीटल रीजन की वजह से आया है। इस विशय में डा0 मंगल सैन जी या तो खुद जानकारी ले लें या मैं उन्हें लेकरदे दूंगा। यह भी हो सकता है कि सारे भाहरों को एक साथ

पैसा देने की स्कीम न बनी हो, लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि रोहतक भाहर के साथ भेदभाव करने वाली बात नहीं है।

डा0 ओम प्रका ा जी ने कहा कि उनके भाहर में 600 एकड़ जमीन को एकवायर करके डिवैल्पमैंट की जा रही है। उसमें मकान, मंदिर आदि आते है। अगर ऐसी बात है तो उसको छोड़ा जा सकता है।

जहां तक इस बात का संबंध है कि भाहरी विकास के लिए एक करोड़ 85 लाख रूपया हुड्डा को देना है या नगरपालिका को देना है यह पैसा कैपिटल रीजन के लिये आया है। उसमें करनाल, पानीपत, कुरूक्षेत्र और गुडगांवा आते है। यह पैसा हुडडा को ही दिया जाएगा क्योंकि कई पर्टिकुलर स्कीमें होती है उन स्कीमों के तहत पैसा मिलता है लेकिन यह कहना कि कई भाहरों को इग्नोर किया गया, यह गलत बात है। कई स्कीमों में ऐसा होता है कि जितना पैसा केंद्रीय सरकार की ओर से दिया जाता है उसके बराबर का पैसा प्रदे ा की सरकार को देना पड़ता है। सैंटर की बहुत सी ग्रांटस कांट्रीब्यूटरी होती है।

इसके अलावा एक सो ाल वैल्फेयर की भी डिमांड है। यह पैसा भी हमें अनुदान के तौर पर मिला है। कुछ पैसा पहले मिला था और कुछ बाद में मिला है।

श्रीमती बसंती देवीः आन ए प्वायंट आफ आर्डर स्पीकर साहब मैं यह कहना चाहती हूं कि जो इस स्कीम में रोहतक भाहर

को छोड़ दिया गया है, क्या इस स्टेज पर रोहतक उस स्कीम में भाामिल नहीं हो सकता है (व्यवधान व भाोर) जिस वक्त सी0एम0 साहब भाशण देते है तो यही कहते है कि रोहतक तो हरियाणा का दिल है लेकिन ऐसे वक्त वे दिल को भूल जाते है।

श्री अध्यक्षः यह कोई प्वायंट आफ आर्डर नहीं है। आप बैठिये।

चौधरी कटार सिंह छोकर5 स्पीकर साहब, रोहतक के बारे में डा0 मंगल सैन जी ने जो बातें कहीं थीं मैंने उनका जवाब दे दिया है। मैं यह मानता हूं कि रोहतक में इस वक्त फलडज की वजह से काफी नुकसान हुआ है। इसमें किसी की दो राय नहीं है कि रोहतक को ज्यादा से ज्यादा रिलिफ मिलनी चाहिये। आई0पी0एम0 साहब और हमारे मुख्य मंत्री महादेय भी इस इलाके में जाते रहते है। यह बात नहीं है कि रोहतक को हम किसी किस्म से निग्लैक्ट कर रहे है। मैं यही कहना चाहूंगा कि रोहतक की तरफ और ज्यादा ध्यान दिया जायेगा चाहे वहां पर कोई भी डिवैल्पमैंट का काम करना हो सड़कें बनाना हो या कोई दूसरा काम करना हो, वहां पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा।

हमने फारैस्ट डिपार्टमैंट के लिए बीस रूपये की टोकन डिमांड की है। यह मांग कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है, बहुत ही मामूली सी मांग है। हमारे कई माननीय सदस्यों ने इन बिटविन दी लाईनज पढने की कोि ा ा की है। हमारे एक माननीय सदस्य

वकील है बहुत सुलझे हुए आदमी है मैं उनका नाम नहीं लूंगा उन्होंने और एक दूसरे माननीय सदस्य ने यह कह दिया कि हमारे से सात करोड़ रूपया ले लिया। स्पीकर साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। यह रूपया तो पहले ही फारेस्ट डिपार्टमैंट के लिये असैम्बली से वोटिड है पास हो चुका है। इसमें फर्क सिर्फ इतना है कि सब कुछ एक्टीविटीज बोंर्ड में और डिपार्टमैंट में बांट दी गयी है। जो एक्टीविटीज बोर्ड करेगा उसको मीट करने के लिए बोर्ड को पैसा दिया गया है ताकि वह उनकी लागत मीट कर सके। कुछ स्कीमें डिपार्टमैंट ही चला रही है। स्पीकर साहब, इसमें दिक्कत यह आयी कि जब यह बोर्ड बनाया गया या तो यह फैसला किया गया था कि जो पैसा इस बोर्ड को आयेगा वह चाहे किसी भी किस्म का हो वह गवर्नमैंट के खजाने में या खाते में जमा होगा। मेरा कहना यह है कि बहुत से माननीय सदस्यों ने जो यह भांकाएं उठायी है कि घपला होगा पता नहीं इसका एकाउंटिंग सिस्टम क्या होगा या क्या नहीं होगा, यह दूर हो जाना चाहिए। मैं समझता हे कि हमारे माननीय सदस्यों की तमाम भांकाएं दूर हो जानी चाहिए क्योंकि जिस दिन इस बोर्ड ने अपना फंक ान करना भुरू किया है उसी दिन से यह निर्णय लिया गया था कि इसकी अपनी कोई भी आय नहीं होगी। जो भी इंकम होगी, यह गवर्नमैंट के खजाने या ट्रैजरी में जमा होगी। अब सवाल यह पैदा होता है कि जब सारी की इंकम गवर्नमैंट ट्रेजरी में जमा हो रही है तो खर्चा कहां से पूरा होगा, इस बोर्ड ने स्कीमों को इम्पीमैंअ करने के लिये भी पैसा खर्च करना है और

अपन एम्पलाईज को तनख्वाह वगैरा भी देनी है। इसके लिये ऐसा कियागया है कि जो स्कीमें इस बोर्ड को ट्रांसफर किया गया है ताकि लागत और तनख्वाह वगैरा का खर्चा मीट कर सके। यहां पर इस बारे में बहुत डाउटस रेज किये गये और एक सुलढे हुए हमारे माननीय सदस्य ने इस बारे में एक्सपलेने ान भी देनी चाही कि बाकी के बोर्डज और कारपोरे ान्ज की ग्रांटस का आडिट तो लोकल फंड एग्जामिनर करता है लेकिन इसका आडिट पता नहीं कौन करेगा? मैं अपने माननीय सदस्यों को इस बारे में जानकारी देना चाहता हूं कि कायदा यह है कि अगर कोई सबसटां ि ायल ग्रांट किसी संस्था को दी जाती है उसका आडिट तो ए0 जी0 साहब को करना होता है। सबसटां ि ायल ग्रांट का मतलब यह होता है कि पांच लाख रूपये से ज्यादा की अगर ग्रांट दी जा रही है। मेरा कहना यह है कि लोकल फंड एग्जामिनर इसका आडिट नहीं करेगा, इसकाबकायदा आडिट ए0 जी0 करेगा। एक तरह से आप यह मान लीजिये कि जो डिपार्टमैंट की एक्टीविटीज है और फारेस्ट बोर्ड की एक्टीविटीज है इनकी एकाउंटिंग और आडिटिंग में कोई डिफरैंस नहीं होगा। इसीलिये यह सावधानी बरती गयी है ताकि इसमें कोई कमी न रहें। हमने सारी कमियों को और लूपहोलज को कवर करने की कोि ा ा की है। लेकिन हो सकता है कहीं पर कोई कमी रह गई हो। मेरे बताने के बाद मेरे हाउस के साथियों की भांकाएं या डाउटस दूर हो जाने चाहिए। वैसे ही किसी को ब्लेम करने की कोई बात नहीं है। यह बात अव य है कि आम तौर पर ए0 जी0 साहब बोर्डज के एकाउंटस

चैक नहीं करते, इन्सपैक्ट नहीं करते, आडिट नहीं करते और पैसा भी बोर्डज को अलग से डिपोजिट होता है लेकिन इसमें चूंकि यह सावधानी बरती गयी है इसलिये ऐसा किया गया है। यह जानकारी मैं सदन को देना चाहता था।

इसके बाद सरदार लछमन सिंह जी ने एक बात यह कही कि बोर्ड की बजाय इसको कारपोरे ान बना दिया जाये। कहने का मतलब यह है कि बोर्ड का नाम हटाकर कारपोरे ान कर दिया जायें ताकि इसको कोई इनकम टैक्स वगैरा न देना पड़े। मैं उनकी जानकारी के लिये यह बताना चाहता हूं कि चूंकि बोर्ड की अपनी कोई आय नहीं है होगी तो उसके ऊपर इनकम टैक्स लगाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता।.....
....

सरदार लछमन सिंहः आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। स्पीकर साहब, एक बड़ी आर्गेनाइजे ान बनाई जा रही है जो लाखों रूपयों में डील करेगी। मिनिस्टर साहब कैस एंटीसिपेट कर रहे है कि कोई प्रोफिट नहीं होगा? मिलियंज एंड मिलियंज आफ फारैस्ट काटे जा रहे है और वह बेचे जा रहे है। इस काम पर जो लागत आयेगी और जो इन्कम होगी उमसें कुछ न कुछ तो प्रोफिट होगा? उसकी बाकायदा बेलैंस भीट बनेगी। फिर इस में इन्कम टैक्स कैसे नहीं लगेगा? आप बे ाक इस बारे में किसी इन्कम टैक्स एक्सपर्ट से पूछ लीजिये। It is obvious that there

will be income tax leviable on their income. The law is vey clear on this point.

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, मेरी एक सबमि ान है। सरदार लछमन सिंह जी अब कैबिनट में नहीं रहे। वैसे सरदार लछमन सिंह जी बड़े ही सियाने और समझदार आदमी है। इस कारोबार में वे बड़े एक्सपर्ट है। मेरी अपने फाइनैंस मिनिस्टर महोदय से यह दरख्वास्त है कि वे उनकी रेगुलर और कांटीन्यूअस एडवाईस लेते रहे ताकि ऐसे किसी काम में इनसे कोई गलती न हो।

चौधरी साहब सिंह सैनीः स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने अभी यह बताया है कि बाकी बोर्डज और कारपोरे ान्ज का आडिट तो लोकल फंड एग्जामिनर करता है लेकिन इसका आडिट ए0 जी0 करेगा क्योंकि इसमें कोई वि ोशता है। इसमें जो स्पै ौलिटी है क्या मंत्री महोदय कृपया वह स्पैि ालिटी बताने का कश्ट करेंगे जिसकी वजह से इसका आडिट ए0 जी0 करेगा जबकि ए0 जी0 यह कहता है कि वे इसका आडिट नहीं करेगें? (व्यवधान वि भाोर)

चौधरी कटार सिंह छोकरः स्पीकर साहब, मैं आपके थ्रू आनरेबल मैम्बर्ज से यह कहना चाहता हूं कि मैं तो जवाब दे रहा हूं और ये इसकी क्वै चन आवर की तरह से ट्रीट कर रहे है यह अच्छा नहीं लगता मेरे बोलते समय कोई सवाल खड़ा नहीं करना चाहिये। जो बाते इन्होंने कही है उनका जवाब देने का मेरा अधिकार है। बीच में कोई सवाल करने की कोई बात नहीं है।

चौधरी सुरेंद्र सिंहः स्पीकर साहब, मैं केवल इतना ही जानना चाहता हूं कि केंद्रीय सरकार और हरियाणा सरकार के बीच में जो बोर्ड के बारे में कौरस्पौंडैंस हुई है, उससे कहीं आगे चलकर बोर्ड पर कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा?

चौधरी कटार सिंह छोकरः एडमिनिस्ट्रेटिवली इसमें क्या होगा, क्या नहीं होगा, इस बारे में तो कुछ नहीं कह सकता लेकिन जो इस बोर्ड की कांस्टीच्युएंसी है जो यह बोर्ड कमाई करेगा, उसके बारे में जो मैंने जानकरी दी है उससे जो–जो डाउटस आनरेबल मैम्बर्ज के दिलों में थे, वे दूर हो गये होंगो और मुझे आ ाा है वे कनविंस हो गये होंगे कि किसी किस्म की बेईमानी ऐसा करने से रूल–आउट हो जाती है। जब बोर्ड की एक भी पैसा अपने खाते में रखने का अधिकार नहीं है और उसका एक–एक पैसा गवर्नमैंट के खजाने में जमा हो रहा हो तो इससे कोई घपला नहीं हो सकेगा। इस डिमांड में बीस रूपये की टोकन मांग इसलिये रखी गयी है क्योंकि जब पिछली बार बजट पे ा किया, उस वक्त यह निर्धारित नहीं हो पाया था कि इसके लिये फाइनैसिंग अरेजमैंटस क्या होंगे। अब क्या होगा? अब उसका खाता खुल जायेगा, उसव खाते में गवर्नमैंट से जो पैसा जायेगा, उसमे से वह आने खर्च चला सकेगा। इसके अलावा इसमें और कुद भी नहीं है। यह अमाउंट जो बोर्ड को ग्रांट–इन–एड के तौर पर दी जा रही है यह गवर्नमैंट को ट्रांसफर करने का अधिकार है और सरकार ग्रांट इन एउ दे सकती है। यह वोटिड

अमाउंट है। सिर्फ बीस रूपये टोकन अमाउंट के तौर पर सप्लीमैंटरी ऐसटीमेटस में रखा है। **(13.00बजे)** स्पीकर साहब, जो बाकी डाउटस थे उन के बारे में मैंने बता दिया है। मेरे साथियों ने कुछ लोकल प्रोबलम्ज रखी है वे नोट कर ली है और उनके बारे में जो भी हो सकता है वह किया जाएगा।

श्री अध्यक्षः साहेबान, अब मैं डिमांड को हाउस की वोटिंग के लिए पुट करता हू।

Quesiton is-

That a supplementary sum not exceeding Rs. 1,85,00,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1984 in respect of Demand No. 11-Urban Development.

The motion was carried.

Mr. Speaker; Question is-

That a supplementary sum not exceeding Rs. 14,26,000 for revenue expenditure and Rs. 12,84,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1984 in respect of Demand No. 13-Social Welfare and Rehabilitation.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is-

That a supplementary sum not exceeding Rs. 20 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1984 in respect of Demand No. 20-Forest.

The motion was carried.

अध्यक्ष द्वारा घोशणा–

ध्यानाकर्शण सूचनाओं संबंधी

श्री अध्यक्षः मैंने सुबह कुछ अनाउंसमैंट करने के लिए कहा था। डा0 मंगल सैन ने सरदार लछमन सिंह को थ्रेट के बारे में एक काल अटैं ान मो ान का नोटिस दिया था। मैं डा0 साहब को बताना चाहता हूं कि वह काल अटैं ान मो ान बनता ही नही है। दूसरा डा0 साहब ने लैक्चरारज के मुताल्लिक काल अटैं ान मो ान का नोटिस दिया था, वह भी इस जद में नहीं आता और जो बाकी है वे मैं कंसीडर कर रहा हूं। आज उनके बारे में फैसला नहीं कर पाया हूं। कल सुबह बताउंगा।

श्री बीरेंद्र सिंहः मैंने भी सरदार लछमन सिह के बारे में कुछ कहा था।

श्री अध्यक्षः मैं उसकों कंसीडर करूंगा।

दी हरियाणा सीलिंग आन लैंड हौल्डिंगज (अमैंडमैंट) बिल, 1983

Minister of State for Revenue (Shri Lachhman Dass Arora): Sir I beg to introduce the Haryana Ceiling on Land Holding (Amendment) Bill, 1983.

Sir, I beg to move:-

That the Haryana Ceiling on Land Holdings (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved:-

That the Haryana Ceiling on Land Holdings (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

श्रीमती चन्द्रावती (बाढड़ा): स्पीकर साहब, मुझे एक बात समझ नहीं आती कि जब कोई जमीन भूदान के लिए दे दी गई उसको सीलिंग एक्ट से ऐग्जैम्प्ट करने की क्या जरूरत आ गई ? मैं आपके द्वारा सरकार सके कहना चाहती हूं कि इसकी जरूरत ही नहीं है। जिसके पास ज्यादा जमीन है वह दान में नहीं दे सकता, ऐसा कोई कानून नहीं हैं या वह जमीन ऐक्वायर हो गई और भूदान के नाम या भूदान के नाम पर जो आथोराइज्ड व्यक्ति हैं, उसके नाम रजिस्ट्री हो गई, उसके नाम चढ़ गई है तो अब उस जमीन को अधिकतम सीमा से निकालना ठीक नहीं है। अगर इस तरह से चलता रहेगा तो कल को मन्दिर वाले आएंगे फिर मसजिद वाले आएंगे ओर फिर ट्रस्ट वाले आ जाएंगे। इस तरह से यह सीमा से निकालने की गल्त प्रथा पड़ जाएगी। अगर वह जमीन हरिजन को देनी है, किसी लैंडलैस को देनी है या किसी गरीब आदमी को देनी है तो वह जमीन दी जा सकती है। कोई दिक्कत

वाली बात नहीं है। मैं यही कहना चाहती हूं कि यह बिल लाना ही गल्त चीज है। अधिकतम सीमा से कोई जमीन निकालना कानूनी तौर पर गलत है and I want it to be placed on record that there is no need to bring this Bill.

श्री वीरेन्द्र सिंह (नारनौंद): अध्यक्ष महोदय, हरियाणा सीलिंग आन लैंड होल्डिग्ज (अमैन्डमैंट) बिल में जो अमैंडमैंट की जा रही है उसके जरिए भूदान बोर्ड के पास जो सरप्लस जमीन है उसको लिमिट से ऐग्जैम्प्ट सरकार करना चाहती है। इसके औबजैक्ट्स एंड रीजन्ज हो रहा है कि अगर ऐग्जैम्प्ट न किया गया तो भूदान का जो ओबजैक्ट था वह डिफीट हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, जहां तक मैं समझता हूं, भूदान आन्दोलन का यह औबजैक्टिव था कि बड़े लोगों से जमीन दान में लेकर उसको गरीब किसानों, लैंडलैस लोगों और हरिजनों से तकसीम कर दिया जाए। अगर भूदान बोर्ड के पास इतनी जमीन फालतू हो गई है कि उनको सीमा से ऐग्जैम्पट कराने की जरूरत पड़ गई है तो मेन ओबजैक्ट तो स्पीकर साहब डिफीट हो गया, क्योंकि जिस परपज से जमीन ली गई थी वह पूरा नहीं हुआ और गरबी लोगों को जमीन नहीं दी गई। भूदान मूवमैंट जिस परपज से भ्रुरू किया गया था that very purpose is being defeated by taking the exemption for this land. गवर्नमैंट बड़ी इ तहारबाजी करती है, बड़ा प्रोपेंगण्डा करती है कि हरिजनों को इतनी जमीन दे दी, गरीब लैंडलैस को इतनी जमीन दे दी, वह इस चीज से थोथी साबित हो जाती है, क्योंकि भूदान बोर्ड जिस परपज से बनाया

गया था वह परपज पूरा नहीं हुआ है और उसके पास फालतू जमीन है। इसका मतलब यह है कि गरीबों को वह जमीन नहीं दी गई। प्राईवेट ओनर्ज को तो छोड़ दीजिए। जो बोर्ड सिर्फ गरीबों को जमीन देने के लिए बना था वह भी जमीन नहीं दे पाया। इससे इनका खोखलापन अपने आप नजर आ जाता है।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): आन ए प्वाएंट आफ आर्डर,सर। स्पीकर साहब, ये समझ नहीं सके कि बिल की नीयत क्या है। स्पीकर साहब, भूदान आन्दोलन दे ा के अन्दर इसलिए चला कि जिन लोगों के पास ज्यादा जमीन है उनसे मांग कर गरीब लोगौं को जमीन दी जाए। भूदान बोर्ड के पास जमीन काफी आ गई और वह जमीन गरीब आदमियों को बांट दी गई। उस संस्था को जिसने जमीन गरीब लोगों को बांटी हे उसको अगर अधिकतम सीमा से माफ नहीं करेंगे तो जो जमीन दी गई है वह वापिस आ जाएगी।

स्पीकर साहब, वह जमीन सरप्लस हो जायेगी। कायदे कानून से 18 एकड़ से ज्यादा जो जमीन है, वह सरप्लस है। सरपलस जमीन उन लोगों से छूट जाएगी और किस को जाएगी जो नियम के नीचे आते हैं। जो लोग 20–20 सालों से बैठे हैं, हरिजन भी हैं और गैर हरिजन भी है। जो सरप्लस जमीन है, वह उन लोगों को दी गई है जिन लोगों के पास जमीन नहीं थी। अगर हम ऐसी छूट नहीं देंगे, कानून पास नहीं करेंगे तो उन लोगों को वह जमीन वापिस आ जाएगी क्योंकि जब एक कानून

बन गया तो उसको एक यूनिट माना जाएगा। भूदान बोर्ड के पास जमीन है ही नहीं, वह जमीन दी हुई है, उसी के लिए हम मन्जूरी चाहते हैं और कुछ नहीं है।

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, परपज बताना तो इनका काम था और यह कह रहे हैं कि हम इनकी बात को नहीं समझे। मैं कहता हूं कि यह कुछ नहीं समझे। स्पीकर साहब, ला से इनका कोई तान्ल्लुक नहीं है, इसलिए यह हमारी बात कैसे समझ सकते हैं ? परन्तु स्पीकर सर, सरप्लस लैन्ड भूदान बोर्ड के पास बहुत थी और जो सरप्लस लैन्ड होती है, वह युटीलाईज होती है, इनको यह समझा दीजियेगा। (ाोर एवं व्यवधान) स्पीकर सर, मैं गुजारि ा कर रहा था कि मुख्य मंत्री जी को इतनी समझ नहीं है कि यह सरप्लस लैन्ड है जोकि भूमि हीन युटीलाइज कर रहे है। फिक्स यूनिट से ऊपर जमीन बढ़ जाएगी, वह युटीलाइज होती है। और किसी परमिसीबल एरिया में युटीलाईज नहीं की जाती। लैन्ड ओनर्ज ने जितनी जमीन रखनी होती है, वह जमीन युटीलाईज नहीं हो सकती और जो सरप्लस लैन्ड होगी, वही युटीलाईज लैड हो सकती है। इन हालात में, मैं यह गुजारि ा करूंगा कि पीछे जो इसका परपज है, वह तो ये बताते नहीं है। वह परपज तो छुपा हुआ है और बहन जी ने ठीक ही कहा है कि इस तरीके से सरकार कुछ लोगों को प्रोटैक ान देना चाहती है। आज नहीं तो कल, या परसों या दस दिनों बाद इस असैम्बली में आ जाएगी, सब को इनके बारे में पता चल जाएगा। अगर ये ठहरे, तो सब को

पता चल जाएगा। अगर ये न ठहरे, इनका पता चाक हो गया तो फिर इनके इस बिल का भी पता चका हो जाएगा। अगर यह ठहर गये तो पता नहीं हरियाणा प्रान्त में कौन कौन से गुल खिलाएंगे ? पता नहीं कौन कौन से ट्रस्ट क्रिऐट करवाएंगे, कौन कौनसी धर्म ाालाओं, मन्दिरों और गौ ाालाओं के नाम जमीन करवा के, इस अमैन्डमैंट के तहत इनको एग्जम्पें ान मिलेगी ? इसलिए मैं इस बिल का पुरजोर करता हूं कि यह रिजैक्ट होना चाहिए।

श्री हीरा नन्द आर्य (लोहारू): अध्यक्ष महोदय, भूदान यज्ञ बोर्ड की भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करने सम्बन्धी बिल पर, जो अमैन्डमैंन्ट्स यहां पर लाई गयी है, मैं उनका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

श्री अध्यक्ष: आर्य साहब, यह तो बढ़िया बात है, क्यों इसका विरोध करते हो ? आप मेरे चैम्बर में तो यह कह कर आये थे कि आप इसका विरोध नहीं करेंगे।

श्रीमती चन्द्रावती: स्पीकर साहब, एज ए वकील आप सोचिये। (ाोर एंव व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बतौर वकील ही मैं बात कर रहा हूं कि भूदान यज्ञ बोर्ड के पास जो 100 एकड़ जमीन पड़ी हुई है, वह सरप्लस बन जाएगी। अगर वह 1000 छोटे मुजारों में बंट चुकी है तो मलकीयत तो भूदान वालों की ही है। क्लैक्टर नोटिस देंगे कि

यह सरप्लस लैन्ड है और जो बंटी है, वह गलत बंटी है, हम इसको आप बांटेंगे।

श्रीमती चन्द्रावतीः अगर सरप्लस के कानून के नीचे आएगी तो वह लागू होगा ही, वरना वह पहले से ही बंटी हुई है। (ाोर एवं व्यवधान)

श्री हीरा नन्द आर्यः आज बोर्ड के पास कोई जमीन नहीं है। मालिक बोर्ड है। 20–30 साल पहले लोगों को जमीन अलाट कर दी थी, तो वह जमीन for the purposes of land owner it may be surplus but for purposes of utilisation it cannot be utiliese by other than those to whom it has been allotted. तो वह जमीन किसी दूसरे को अलाट नहीं की जा सकती। मालिक के लिए तो वह सरप्लस हो सकती है लेकिन जिसको जमीन अलाट कर दी गयी है, जो छोटे मुजारे हैं, अलाटी हैं, उनके इलावा वह जमीन किसी को नहीं दी जा सकती। इसका मुख्य मुद्दा कुछ और है स्पीकर साहब (ाोर एवं व्यवधान) अगर इनकी नीयत साफ है तो आज तक एग्जम्प ान की आव यकता क्यों नहीं पड़ी और आज उसकी जरूरत क्यों पड़ी है ? वह जमीन जहां कहीं से भी मिली, वह मुजारों को दी जानी चाहिए थी। अगर कोई अमैंडमैंट करनी थी तो हमारी राय के मुताबि यह अमैंडमैंट करते कि जो पहले लोगों ने बाप के नाम और लोगों के नाम जमीन रख रखी है, उस जमीन को ठीक तरीके से युटीलाईज करते लेकिन आज उन जमीनों को तो युटीलाइज नहीं कर पा रहे हैं, अपनी गलत

बातों को छुपा रहे है। (ाोर एवं व्यवधान) स्पीकर साहब, इसी तरह से इनके दोस्त हिटलर नाम से हैं, जिनका पहले भी कई बार चर्चा यहां पर आ चुका है। पिछले दिनों उनके खिलाफ मर्डर का केस रजिस्टर हुआ है। (ाोर)

श्री अध्यक्षः आर्य साहब, इसकी इस बिल से क्या रेलेवेन्सी है ?

श्री हीरा नन्द आर्यः स्पीकर साहब, मेरा कहने का मतलब यह है कि ऐसे ऐस आदमियों की जमीन लेनी चाहिए। चीफ मिनिस्टर साहब बैठे हैं, ये बताएं कि क्या हिटलर के खिलाफ केस दर्ज नहीं हुए हैं ? (ाोर एवं व्यवधान) मेरा कहने का मतलब यह है कि इन्होंने जो भूदान यज्ञ बिल लाने की चेश्टा की हैं, इसके पीछे इनका निजि स्वार्थ है और अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए यह वि ोश रूप से अलग अलग ट्रस्ट क्रिऐट करके इसको यह यहां पर लाना चाहते हैं। इसलिए मैं यह समझता हूं कि इन को इस बिल को वापिस ले लेना चाहिए। लोगों की जमीनों को हथिया कर गलत तरीके से बोर्ड ट्रस्ट बनाना चाहते है। गलत रिवायता पैदा करना चाहते है। मैं आपका धन्यवाद करता हुआ अपना स्थान लेता हूं और इस बिल का पुरजोर विरोध करता हूं। धन्यवाद।

श्री राम विलास भार्मा (महेन्द्रगढ़): स्पीकर साहब, भूदान यज्ञ बोर्ड की भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करने सम्बन्धी बिल पर जो अमैंडमैंट यहां पर लाई गई है, उस बारे में मैं अपने

विचार रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। जैसाकि मेरे पूर्व वक्ता साथियों ने कहा, it may be something else. इस भूदान यज्ञ आन्दोलन को मुख्य मंत्री चौधरी भजनलाल जी ने अपने कार्य काल में तो भागू नहीं किया। इस भूदान आन्दोलन को जिस तपस्वी ने इस दे ा में भागू किया, उसने तो इनके दरवाजे पर अपना सर पटक पटक कर अपने प्राण दे दिये। आज भूदान आन्दोलन में जो जमीन, जमीन दाताओं ने दी, वह कितनी गरीब जनता तक पहुंची, देखने वाली बात तो यह है, कितनी गरीब हरिजन जनता तक पहुंची, किीने बे–जमीन आदमियों तक पहुंची यह जानकारी हमारी यह सरकार तो नहीं दे सकती। जो बिल यहां पर आज लाया गया है, इसके पीछे यह परपज नहीं है स्पीकर साहब, आप भी किसान के बेटे हैं, आप भी अच्छी तरह से समझते हैं। उन्होंने अपने परपज में यह लिखा है कि भूदान यज्ञ बोर्ड हमारे ऊपर दबाव डाल रहा है कि इसको सीलिंग से मुक्त किया जाए। 30 साल से इस पर मुजारे बैठे हैं, इस पर का त करके अपने परिवार का पालन पोशण कर रहे हैं, गरीब हरिजन का त कर रहा हैं। यह बिल उन लोगों के दिल में द ाहत पैदा करने के लिए लाया गया है। जो लोग भूदान बोर्ड की जमीन के ऊपर बैठे हैं, अगर उनको कहा जाए कि यह जमीन जो पहले बांटी गई थी, इस का बंटवारा कानूनी तौर पर फिर से होगा। एक नई दह ात उन गरीब लोगों के दिलों में पैदा करने के लिए यह बिल यहां पर लाया गया है। अभी आपने स्पीकर सहाब, फरमाया था कि भूदान यज्ञ की जो जमीन लोगों के पास है, वह गरीबों में बांट दी गई और उनकी

मलकीयत तो पहले ही हो गयी। जो लोग 20–25 सालों के बैठे हैं, उन पर 1952 का एक्ट लागू हो चुका है। इस एक्ट के तह भूदान के बहाने से कुछ ऐसे ट्रस्ट, जैसा कि मेरे दोस्त आर्य जी ने कहा है कि कुछ मन्दिर, जिनमे वैस्टिड इंट्रस्ट इंवाल्वड है। जिनमें सरकार के अपने कुछ निजी स्वार्थ हैं, सरकार ऐसे बोर्ड और ट्रस्ट बनाना चाहती है। स्पीकर साहब, ये सरकार महाराश्ट्र वाला इतिहास हरियाणा में दोहराना चाहती है। इस बिल में किसी गरीब हरिजन का कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिए मैं पुरजोर बिल का विरोध करता हूं क्योंकि इसके पीछे गलत भावना छिपी हुई हैं।

राजस्व राज्य मंत्री (श्री लछमन दास अरोड़ा): स्पीकर साहब, अपोजी ान के जो सदस्यगण बैठे हैं, उनकी एक तरह से आदत बन चुकी है कि वे नुक्ताचीनी करें। चाहे हम कितना ही सही काम करें, इन्होंने उसकी मुखालिफत करनी ही है। (ाोर) जहां तक इस बिल का सवाल है इस पर इन्होंने जो इलजाम लगाए कि असलियत कुछ और है, हम कुछ और करना चाहते हैं यह बिल्कुल गलत बात है। आज दो अढ़ाई एकड़ भूमि जो गरीबों को दी गई ळे, वह उनके नाम नहीं है। वह तो उनको उस जमीन की आमदन खाने के लिए दी गई है। मैं अपने दोस्तों को वि वास दिलाना चाहता हूं कि इसके पीछे ऐसी कोई गलत भावना नहीं है। यह बिल तो उन गरीबों के हित में है जिनके पास

इस बोर्ड की जमीन है। इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा कि यह बिल पास किया जाए।

श्री अध्यक्षः प्र न है किः—

दि हरियाणा सीलिंग आन लैंड होलडिंग्ज (अमैंडमैंट) बिल पर तुरन्त विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्षः अब सदन बिल पर क्लाज बाई क्लाज विचार करेगा।

क्लाज 2

श्री अध्यक्षः प्र न है किः—

कि क्लाज 2 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 1

श्री अध्यक्षः प्र न है किः—

कि क्लाज 1 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनैक्टिंग फारमूला

श्री अध्यक्षः प्र न है किः–

कि अनैक्विंटग फारमूला बिल का अनैक्विंटग फारमूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाइटल

श्री अध्यक्षः प्र न है किः–

कि टाइटल बिल का टाइटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्षः अब मंत्री जी प्रस्ताव करेंगे कि बिल पास किया जाए।

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौधरी भाम ेर सिंह सुरजेवाला): मैं प्रस्ताव करता हूंः–

कि बिल पास किया जाए।

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, मेरा प्वांयट आफ आर्डर है। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि आपने स्टेट मिनिस्टर फार रैवेन्यू को आदे ा दिया कि बिल पास करवाने के लिए मो ान मूव करें। आने बहुत देर तक इन्तजार किया परन्तु वे सो गये और उनकी जगह पार्लियामैंटरी अफेयर्ज मिनिस्टर ने मूव कर दिया।

उन्होंने थिंक कर लिया कि यह गलत बिल आ चुका है इसलिए he kept mum. (ाोर)

श्री अध्यक्षः आप जानते हैं कि ओवर आल इन्चार्ज पार्लियामैंटरी अफेयर्ज के मिनिस्टर्ज होते हैं। इसलिए उन्होंने बिल पास करने के लिए मूव कर दिया। (ाोर)

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, इनकी कांि ायस गिलती है। ये आठ आदमियों को मरवा चुके हैं एक आध को और मरवा देंगे। (ाोर)

ि ाक्षा राज्य मंत्री (श्री जगदी ा नेहरा): स्पीकर साहब, मेरी गुजारि ा है कि जो लफज चौधरी वीरेन्द्र सिंह ने अभी कहे थे वे रिकार्ड से निकलवा दिये जाएं। (ाोर)

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआः—

कि बिल पास किया जाए।

श्री अध्यक्षः प्र न हैः—

कि बिल पास किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्षः अगर हाउस सहमत हो तो बैठक का समय 15 मिनट के लिए बढ़ा दिया जाये ?

आवाजें: ठीक है जी।

श्री अध्यक्षः बैठक का समय 15 मिनट के लिए बढ़ाया जाता है।

दि हरियाणा पब्लिक प्रिमिसिज एंड लैंड (इविक ान एंड रैंट रिकवरी) अमैंडमैंट बिल, 1983

श्री अध्यक्षः अब मिनिस्टर साहब दि हरियाणा पब्लिक प्रिमसिज एंड लैंड (इविक ान एंड रैंट रिकवरी) अमैंडमैंट बिल, 1983 को इन्ट्रोड्यूस करेंगे तथा उसके कंसीड्रे ान के लिए मो ान मूव करेंगे।

Minister of State for Revenue (Sh. Lachhman Dass Arora): Sir, I big to introduce the Haryana Public Premises and Land (Eviction and Rent Recovery) Amendment Bill, 1983.

यूनिवर्सिटयों में कुछ यूनिवर्सिटी क्वार्टर बने हुए हैं जिनमें लोग रह रहे हैं। किसी एम्पलाई की तबदीली हो गई या कोई कर्मचारी रिटायर हो गया, उसके बाद भी वे लोग उन मकानों पर काबिज रहते हैं। यह बिल इसलिये जाया गया है ताकि ऐसे लोगों को उन मकानों से रिमूव किया जा सके।

Now, I beg to move:-

That the Haryana Public Premises and Land (Eviction and Rent Recovery) Amendment Bill be taken into consideration at once.

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ किः–

दि हरियाणा पब्लिक प्रिमिसिज एंड लैंड (इविक ान एंड रैंट रिकवरी) बिल पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री मंगल सैन (रोहतक): स्पीकर साहब, मैं इस बिल के बारे में एक स्पश्टीकरण चाहता हूं कि यूनिवर्सिटी में यदि किन्हीं प्राइवेट लोगों ने मकान लिया हुआ हो क्या उस पर भी यह कानून लागू होगा ?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौधरी भाम ेर सिंह सुरजेवाला): स्पीकर साहब, मैं डा. साहब को बताना चाहूंगा कि जो यूनिवर्सिटी की मलकीयत है, केवल उन्हीं मकानों पर होगा, जो मलकीयत नहीं है उन पर लागू नहीं होगा।

श्रीमती चन्द्रावती (बाढड़ा): स्पीकर साहब, सरकार हर चीज को मल्टीप्लाई करना चाहती है, जबकि पब्लिक प्रिमिसिज एक्ट में पब्लिक प्रोपर्टी को खाली कराने के लिए आलरेडी बिल एग्जीस्ट करता है। मैं नहीं समझती कि इनको यह अमैंडमैंट लाने की क्यों जरूरत पड़ गई। यदि गवर्नमैंट मकान खाली कराना चाहे तो पब्लिक प्रिमिसिज एक्ट के तहत एक मिनट में मकान खाली करवा सकती है लेकिन इस कानून को लाने का उद्दे य यही है

कि सरकार उनको टाईम देना चाहती है और टाईम देने के लिए यह कानून लाया गया है। आज भी बिना कानून के वे लोग यूनिवर्सिटी के मकानों में बैठे हुए हैं। मैं यह समझती हूं कि यह गलत बात है। When one Act is already there is no need to bring this Bill. जो लीगली इस बारे में जानते हैं उनसे सलाह कर लीजिए वैसे इस कानून को लाने की कोई आव यकता नहीं है। यह सरकार हर चीज को मल्टीप्लाई करना चाहती है। मैं यह बात इसलिए कह रही हूं कि आगे आने वाले हरियाणा गवर्नमैंट के लोगों में यह बात न आये कि जब यह कानून हाउस में लाया गया था उस समय ला को जानने वाले लोग नहीं थे। इसलिए मैं सरकार से दरख्वास्त करूंगी कि इसको वापिस लेना चाहिए। आलरेडी जो पब्लिक प्रिमिसिज एक्ट है उसके तहत प्रिमिसिज खाली करवाई जा सकती है। (ाोर एवं विघ्न)

पंडित रो ान लाल तिवाड़ी: स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। बहन जी पब्लिक प्रिमिसिज एक्ट के बारे में बहुत कुछ कह रही है और इसके साथ ही यह भी कह रही है कि इस कानून को लाने की कोई आव यकता नहीं थी क्योंकि पब्लिक प्रिमिसिज एक्ट के तहत उन लोगों से मकान खाली करवाए जा सकती हैं। मैं बहन जी से एक ही बात कहता हूं कि बहन जी खुद 6 महीने से जब से ये अपोजी ान लीडर बनी है, एम.एल.ए. फलैट पर कब्जा किए हुए हैं जबकि इनको सरकार की तरफ से कोठी मिली हुई है। बहन जी ..... और इस कानून की

मुखलफित करने के लिए खड़ी हो गई। ये खुद 6 महीने से फलैट पर कब्जा किए हुए हैं पहले इनका वह फलैट खाली करना चाहिए। वह फलैट मुझे अलाट हुआ है। (ाोर)

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, ये बातें एक्सपंज होनी चाहिए। (ाोर एवं विघ्न)

श्रीमती चन्द्रावतीः स्पीकर साहब, माननीय सदस्य इस तरह की बात कह रहें हैं इसलिए मैं भी अपनी बात कहना चाहूंगी, आप मुझे टाईम दें। (ाोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्षः मैडम आप बैठ जाईए। आप एक बात समझ लीजिए कि आपको बोलने के लिए मेरी इजाजत लेने की जरूरत है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब मर्जी आए आप बोलने के लिए खड़ी हो जाएं और बोलना भाुरू कर दें। When the Minister is on his legs, one should not interrupt him. I will give you time. जो कुछ उन्होंने कहा है उसका जवाब आप उस समय दे सकती है जिस समय आप मेरे से इजाजत लेकर बोलेंगी। आपको हाउस का डैकोरम भी रखना चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि जिस वक्त मर्जी आए आप बोलना भाुरू कर दें।

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः स्पीकर साहब, लीडर आफ दि अपोजी ान ने यह फरमाया है कि पब्लिक प्रिमिसिज एक्ट के अन्दर आलरेडी यह कानून मौजूद है जिसके तहत यह बेदखली करवाई जा सकती है और यह अमैंडमैंट लाने की कोई

आव यकता नहीं थी और यह अमैंडमैंट महज इसलिए लाई जा रही है कि यूनिवर्सिटी में कुछ लोगों को मकानों पर कब्जा बनाए रखना है। स्पीकर साहब, यह इनकी बात बिल्कुल इसके उल्ट है। आलरेडी जो कानून है पब्लिक प्रिमिसिज एक्ट का, उसके अन्दर लोकल बाडीज लफज लिखा हुआ है और लोकल बाडीज तथा गर्वनमै।अ की जो बिल्डिंगज हें, वे उसमें फाल करती हैं। उस कानून में यूनिवर्सिटी का लफज नहीं है, इसलिए पब्लिक प्रिमिसिज एक्ट आज यूनिवर्सिटी की मलकियत की जो बिल्डिंग्ज हैं, उन पर लागू होगा। स्पीकर साहब, आप भी वकील है और आप भी जानते हैं कि जो रैंट रिस्ट्रिक ान एक्ट है, उसका बहुत लम्बा प्रोसीजर है। इसलिए यह समरी प्रोसीडिंग्ज है और जो युनिवर्सिटी की बिल्डिंग्ज हैं जिनके बारे में अभी मंत्री जी ने बैकग्रांउड बताई हैं, उनसे क्वाटर खाली करवाने के लिए बिल है, कब्जा बनाए रखने के लिए नहीं है।

(i) श्रीमती चन्द्रावती द्वाराः–

श्रीमती चन्द्रावतीः स्पीकर साहब, आन ए पर्सनल एक्सप्ले ान सर। स्पीकर साहब, यह बात ठीक है कि जब मैं अपोजी ान लीडर बनी थी तो उस समय मैंने फ्लैट नम्बर 24 अलाट करवाया था। लेकिन मुझे सरकारी अक्मोडे ान मिलने के बाद मैंने आपसे बार बार यह रिक्वैस्ट की थी कि मेरी पार्टी के दो मैम्बर्ज को फ्लैट अलाट होने है इसलिए आप फलैट नम्बर 24 मेरी पार्टी के किसी एक मैम्बर को अलाट कर दें। श्री रो ान

लाल तिवाड़ी हमारी पार्टी से डिफैक्ट कर गए हैं इसलिए उनको यह फ्लैट नहीं मिलना चाहिए। श्री रो ान लाल तिवाड़ी पहले हमारी पार्टी में थे लेकिन बाद में वे डिफैक्ट कर गए। इसलिए स्पीकर साहब, मैं बार बार आपको कहती रही कि मुझे जो फ्लैट अलाट हुआ है वह श्री तिवाड़ी की बजाए हमारी पार्टी के किसी दूसरे मैम्बर को अलाट कर दें। वैसे आपकी मर्जी है जिसको चाहें उसको अलाट कर दें। मैंने आपसे इसलिए रिक्वैस्ट की थी क्योंकि हमारी पार्टी के कई सदस्यों ने फ्लैट अलाट करवाने के लिए दरखास्तें आपकी सेवा में दे रखी थी। उस फ्लैट को खाली करने के बारे में मुझे कोई एतराज नहीं है, अब भी एतराज नहीं है। मैं यह बात कहना चाहती हूं कि मेरी पार्टी के दो सदस्य सरदार सुजान सिंह और श्रीमति बसंती देवी को फलैट मिले हुए हैं, इनके अलावा हमारी पार्टी के किसी भी सदस्य के पास फ्लैट नहीं है। स्पीकर साहब, उस फलैट पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। हमारे एक पारिवारिक दोस्त हैं और वकील भी है, वे उसमें रह रहे हैं। माननीय सदस्य जिस ढंग से बोले हैं उनको इस तरह से बोलने का कोई हक नहीं है। मैं यह कहती हूं कि वह फलैट मेरी पार्टी के किसी सदस्य को अलाट कर दिया जाए या अपोजी ान के किसी भी सदस्य को अलाट कर दिया जाए लेकिन श्री रो ान लाल तिवाड़ी को अलाट न किया जाए क्योंकि ये डिफैक्टर हैं।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, इससे ज्यादा बुरी बात और क्या हो सकती है कि फ्लैट का कितना

मिसयूज हो रहा है और उसमें एक वकील रह रहा है। फिर यह कहती है कि तिवाड़ी साहब हमारी पार्टी छोड़ कर चले गए इसलिए उनको यह फ्लैट अलाट नहीं होना चाहिए। स्पीकर साहब, फलैट अलाट करने का अधिकार आपको है, इनको नहीं है। (ाोर एवं विघ्न)

श्रीमती चन्द्रावतीः आप बची में क्यों बोल रहे हैं, मुझे अपनी पूरी बात कहने दें।

श्री अध्यक्षः मैडम आप बैठिए। जहां तक फलैट अलाटमैंट की बात हे इस बारे में अपोजी ान लीडर यह नहीं कह सकती कि फलैट फलां मैम्बर को अलाट किया जाए और न ही लीडर आफ दी हाउस यह बात कह सकते हैं कि यह फलैट फलां मैम्बर को अलाट किया जाए इसमें थोड़ी सी डिस्क्र ान मेरी है। जब तक हाउस कमेटी नहीं बनती तब तक मैं फलैट अलाट कर सकता हूं। लेकिन जिस समय हाउस कमेटी बन जाती है उसके बाद फलैट अलाटमैंट का काम वह कमेटी करती है। फलैट अलाट करने का एक सैट प्रोसीजर है जिसमें फस्ट कम फस्ट सर्व वाली बात है। जिस सदस्य ने फलैट अलाटमैंट के लिए दरखास्त दी हुई है और उसका नम्बर पहले आता है तो जो फलैट खाली होगा वह उसको अलाट हो जाएगा। यह बात भी दुरूस्त है कि श्रीमती चन्द्रावती ने मुझे कहा था कि यह फलैट तिवाड़ी साहब को अलाट कर दिया जाए और मैंने तिवाडी साहब को वह फलैट अलाट कर दिया था। लेकिन फलैट अलाट करने का न किसी मिनिस्टर को

अखित्यार है, न लीडर आफ दी अपोजी ान को अखित्यार है और न ही विधान सभा सैक्रेटरिएट को अखित्यार है कि किसी सदस्य को अपनी मर्जी से फलैट अलाट कर दें। यह हाउस कमेटी का बिजनैस है और किसी का बिजनैस नहीं है। इसके अलावा यह बात भी सही है कि आपको बहुत बार लिखा गया है और बहुत कोरस्पौंडैंस चली है कि फलैट खाली कर दिया जाए लेकिन आपने खाली नहीं किया। इस बात के लिए मुझे भी भार्मिन्दा होना पड़ता है। इसके बावजूद आप कहती हैं कि उस फलैट में एक वकील रह रहा है जिसका विधान सभा से कोई ताल्लुक नहीं है। यदि किसी एम.एल.ए. को वह फलैट अलाट हुआ है और उसको उसका कब्जा नहीं मिल रहा है, यह बहुत गलत बात है। तिवाड़ी साहब को पिछले 6 महीने से वह फलैट अलाट हुआ है लेकिन वह फलैट खाली न करने की वजह से उनको कब्जा नहीं मिल रहा है।

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, मेरी एक सबमि ान है। मई 1982 में चुनाव हुए थे और पहली जून को मैंने आपकी सेवा में दरख्वास्त देकर यह फरियाद की थी कि मुझे भी फलैट चाहिए लेकिन आपने उस समय कुछ मजबूरी जाहिर की थी और कहा था इस समय कोई फलैट खाली नहीं है। जिस समय खाली होगा उस समय कंसीडर कर लिया जायेगा। स्पीकर साहब, हम तो आपका हुक्म मानने वाले मैम्बर है। हम आपको कोई कश्ट देने वाले मैम्बर नहीं हैं और न ही मैंने आपको फलैट अलाट करने के बारे में कोई कश्ट दिया है, लेकिन आज उन बातों को लगभग 14–15

महीने का अर्सा हो गया है। मुझे यह नहीं मालूम कि हमारा नाम किस सीरियल नम्बर पर है। फलैट अलाटमैंट के लिए हमारा नम्बर आयेगा या नहीं आएगा। स्पीकर साहब, इस बात के अलावा भी मुझे विधान सभा सैक्रेटैरिएट के बारे में बहुत सी बातें कहनी है और होस्टल में लगे हुए टैलीफोन के बारे में भी बातें कहनी है। वह सारी बातें मैं आपको बाद में कह दूंगा, यदि इस समय उन बातों के बारे में कुछ कहूंगा तो आप कहेंगे कि आपको विधान सभा सैक्रेटेरिएट के बारे में बात नहीं कहनी चाहिए। स्पीकर साहब, मैं खुद ही इस समय उन बातों को हाउस में कह कर कोई रोंग प्रैसीडैंट क्रीएट नहीं करना चाहता।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्षः अगर हाउस सहमत हो तो हाउस का समय 10 मिनट और बढ़ा दिया जाए।

आवाजें: ठीक है जी।

श्री अध्यक्षः बैठक का समय 10 मिनट के लिए और बढ़ाया जाता है।

वैयक्तिक स्पश्टीकरण (पुनरारम्भ)

(ii) पंडित रो ान लाल तिवाड़ी द्वाराः–

श्री रो ान लाल तिवाड़ीः स्पीकर साहब, मैं एक बात स्पश्ट कर देना चाहता हूं कि मैं चुनाव आजाद उम्मीदवार के तौर

पर जीत कर आया था कि किसी पार्टी के सदस्य के रूप में। जो सदस्य उस समय लोकदल की टिकट पर जीत कर आए थे उनमें से काफी सदस्य दल बदल कर जनता पार्टी में चले गए हैं। मैंने अपना रास्ता कांग्रेस पार्टी की तरफ देखा, इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी में भाामिल हो गया। मैंने अपना दल नहीं बदला है। मैं बहन जी से पूछना चाहता हूं कि इन्होंने कितनी दफा दल बदला है। यह बात ये खुद ही बता दें। जहां तक इस फलैट का सवाल है, यह फलैट मुझे अगस्त में अलाट हुआ था। हम हाउस कमेटी में भी इस संबंध में बार बार जाते रहे और सैंकड़ों नोटिस भेजते रहे। इनके पास लीडर आफ दी अपोजी ान के नाम से कोठी है। इसके साथ ही साथ इन्होंने फलैट पर भी कब्जा किया हुआ है। पता नहीं इन्होंने अपना फलैट किसी को किराये पर दे रखा है या वैसे ही दिा हुआ है। इन्होंने फलैट में जिस व्यक्ति को बैठा रखा हे वह एक वकील है जिनके कब्जे में यह फलै्ट हैं। मुझे कहते हुए बड़ा ताजजुब हो रहा है कि ये कोठी भी रख रही है और फ्लैट भी रखे हुए है। जहां तक मैं समझता हूं, लीडर आफ दी अपोजी ान के लिए यह भाोभा देने वाली बात नहीं है कि वे दोनों चीजें रखें।

श्रीमति चन्द्रावतीः स्पीकर साहब, एम.एल.ए. साहब को इस तरह बोलने की इजाजत नहीं होनी चाहिए।

आवाजें: एम.एल.एज. को क्यों रोका जाए ? यह कहां तक उचित है कि लीडर आफ दी अपोजी ान कुछ भी कहती रहें और मैम्बर को बोलने न दिया जाए।

श्रीमती चन्द्रावती: आप मेरी बात सुनिए। स्पीकर साहब, वैसे देखा जाए तो इन फलैट्स के अन्दर एम.एल.एज. बहुत कम रहे हैं दूसरे लोग जिनका विधान सभा से ताल्लुक नहीं हैं, वे रह रहे हैं। (ाोर)

श्री अध्यक्ष: एम.एल.एज. तो कहेंगे कि हमें फ्लैट मिलने चाहिए। (ाोर)

श्रीमती चन्द्रावती: स्पीकर साहब, मैंने यह नहीं कहा कि यह फ्लैट खाली मत कराओ। मैंने आपके सामने एक बात कही है कि मेरी पार्टी के किसी मैम्बर को यह फलैट दे दो, किसी डिफैक्टर को न दो। छोटी छोटी कई बातें हैं जिनका यहां पर जिक्र करना अच्छा नहीं लगता। हमने कई दफा कहा है कि इस बिल्डिंग के अन्दर अपोजी ान को भी एक कमरा दे दो, लेकिन आज तक इतनी बड़ी बिल्डिंग के अन्दर हमें एक छोटा सा कमरा भी नहीं मिल पाया। मैं फिर यही कहती हूं कि आप इस फ्लैट को मेरी पार्टी के मैम्बर को दे दो या जो डिफैक्टर नहीं है, उसको दे दो। इतना कहते हुए मैं अपना स्थान लेती हूं।

दि हरियाणा पब्लिक प्रिमिसिज एंड लैंड (इविक ान एंड रैंट रिकवरी) अमैंडमैंट बिल, 1983 (पुनरारम्भ)

Mr. Speaker: Question is:-

That the Haryana Public Premises and Land (Eviction and Rent Recovery) Amendment Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the House will take up the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker: Question is:-

That clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is:-

That clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is:-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is:-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Minister of State for Revenue (Sh. Lachhman Dass Arora): Sir, I beg to move:-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved:-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is:-

That the Bill be passed.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the House stands adjourned till 9.30 a.m. tomorrow, the 14th September, 1983.

13.45 Hrs.

(The Sabha then adjourned till 9.30 a.m. on Wednesday, the 14th September, 1983.)